

निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS

कार्यपालक

EXECUTIVES

श्री विनोद कुमार गौड़, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Sh. Vindo Kumar Gaur, Chairman-cum-Managing Director

श्री आर. के. मिश्रा, निदेशक Sh. R.K. Mishra, Director श्री दिनेश अरोड़ा, निदेशक

Sh. Dinesh Arora, Director श्री एम.एम. शर्मा, निदेशक (वित्त)

Sh. M.M. Sharma, Director (Finance) श्री संजय खताळ, निदेशक (वाणिज्यक)

Sh. Sanjay Khatal, Director (Commerical)

श्री ए.के. सिंह, वरिष्ठ महा प्रबंधक (विपणन)

Sh. A.K. Singh, Sr. General Manager (Marketing) श्री पंकज कुमार प्रसाद, वरिष्ठ महा प्रबंधक (अभियांत्रिकी) Sh. Pankaj Kumar Prasad, Sr. General Manager (Engg.)

श्री बी. बी. सॉव, महा प्रबन्धक (मानव संसाधन) Sh. B. B. Saw, General Manager (H.R.) श्री कौशिक रक्षित, महा प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

Sh. Kaushik Rakshit, General Manager (F&A) श्री कुलदीप सिंह, महा प्रबंधक (उत्पादन एवं सामग्री प्रबंधन)

Shri Kuldeep Singh, General Manager (Prodn. & MM)

श्री ए.के. घिल्डियाल, उप महा प्रबन्धक (संतर्कता)

Sh. A.K. Ghildiyal, Dy. G. M. (Vig.)

श्री मो. राकिम, कंपनी सचिव

Sh. Md. Raquim, Company Secretary

बैंकर्स / **BANKERS** सांविधिक लेखा परीक्षक STATUTORY AUDITORS

भारतीय स्टेट बैंक / State Bank of India सर्वश्री के सी. खन्ना एंड कम्पनी M/s K.C. Khanna & Co. सनदी लेखाकार, नई दिल्ली

Chartered Accountants, New Delhi

शाखा लेखा परीक्षक BRANCH AUDITORS

- M/s Shrikant Modak & Associates, Pune-411030 (Maharashtra) सर्वश्री श्रीकान्त मोदक एंड एसोशिएट, पुणे -411030, महाराष्ट्र
- K. V. Narasimhan & Co. CA, Chennai-600008 (Tamil Nadu) सर्वश्री के. वी. नरसिम्हान एंड कम्पनी सीए, चैन्नई-600008 तमिलनाडू
- 3. M/s Mathesh & Ramana, CA, Hyderbad -500029 (AP) सर्वश्री माथेश एंड रमना, सनदी लेखाकार, हैदराबाद -500029 (आंध्रप्रदेश)
- 4. M/s A. Ray & Associates, CA, Kolkata-700013 (W.B.) सर्वश्री ए. रॉय एंड एसोशिएट, सनदी लेखाकार, कोलकता-700013 (पश्चिम बंगाल)

पंजीकृत कार्यालय REGISTERED OFFICE

बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-110012 Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi-110012



क्षेत्रीय प्रबंधकों के पतों की सूची

Addresses of Regional Managers

- 1. श्री ए. ब्रिटू कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर हैब्बल, बेंगलुरु-560024 (कर्नाटक) Sh. A. Brittoo University of Agril. Sciences Campus Hebbal, Bengaluru- 5600024 (Karnataka) Ph: 080-23415816, 23416824, 23410159
- 2. श्री प्रेम चंद 48-49, सेक्टर-बी, औद्योगिक क्षेत्र, गोविन्दपुरा भोपाल-462023 (मध्य प्रदेश) Sh. Prem Chand 48-49, Sector-B, Industrial Area, Govind Pura Bhopal - 462023 (Madhya Pradesh) Ph: 0755-2580271, 2787122
- 4. श्री एम. अहमद रज़ा,
 22-सी, सिडको (उत्तर) औद्योगिक क्षेत्र, नजदीक
 टेलीफोन एक्सचेंज, अम्बातुर,
 चैन्नई-600098 (तिमलनाडू)
 Sh. M. Ahmed Raza
 22-C, SIDCO (N), Industrial Estate,
 Near Telephone Exchange Amatur,
 Chennia-600098 (Tamil Nadu)
 Ph: 044-26242363, 26256192
- 5. श्री के.सी. शर्मा चौमु हाऊस (तबेला), सरदार पटेल मार्ग, सी स्कीम, जयपुर-302001 (राजस्थान) Sh. K. C. Sharma Chomu House (Tabela) Sardar Patel Marg, C-Scheme Jaipur-302001 (Rajasthan) Ph: 0141-2376760, 2365947

- 6. श्री पी. के. पटनायक
 सेक्टर-IV एवं V, ब्लॉक ए.क्यू. प्लॉट नं. 12,
 सॉल्अ लेक सिटी, कोलकाता-700 091 (पश्चिम
 बंगाल)
 Sh. P.K. Pattnaik
 Sector-IV & V, Block-AQ
 Plot No-12
 Salt lake City,
 Kolkata 700091 (West Bengal)
 Ph: 033-23671077, 23671074
 7. श्री मुस्तानसिर
- 65, पान दरीबा लखनऊ - 226004 (उत्तर प्रदेश) Sh. Mustan Sir 65, Pan Dariba. Lucknow - 226004 (Uttar Pradesh) Ph: 0522-2450319, 2453847
- 8. श्री आर. के. राम शेखपुरा, राजा बाजार पटना-800014 (बिहार) Sh. R.K. Ram Sheikhpura Raja Bazar Patna-800014 (Bihar) Ph: 0612-2287744, 2280200
- 9. श्री आर. के. माथुर 681-690, मार्किट यार्ड, गुलटेकड़ी पुणे-411037 (महाराष्ट्र) Sh. R.K. Mathur 681-690, Market Yard Gultekdi, PUNE-411037 (Maharashtra) Ph: 020-24264587, 24266584
- 10. श्री राधे श्याम 17-11, तुकाराम गेट, लालगुड़ा, सिकन्दराबाद - 500017 (आंध्र प्रदेश) Sh. Radhey Shyam 17-11, Tukaram Gate, North Lalaguda Secundarbad-500017 (Andhra pradesh) Ph: 040-27731152, 27730635



विषय सूची CONTENTS

	યૃષ્ઠ સંख્યા
सूचना	91
Notice	4
अध्यक्ष का अभिभाषण	95
Chairman Speech	8
निदेशकों की रिपोर्ट	99
Directors' Report	13
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	118
Comments of the Comptroller & Auditor General of India	35
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	120
Aduitors' Report	37
निदेशकों की रिपोर्ट की संयोजनी	129
Addendum to the Director's Report	47
तुलन पत्र	133
Balance Sheet	52
लाभ-हानि खाते की विवरणिका	134
Statement of Profit & Loss Account	53
वित्तीय विवरणी की टिप्पणियां	135
Notes on financial Statement	54
नकदी प्रवाह विवरण	168
Cash Flow Statement	89



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking-

Miniratna Company)

(CIN: U74899DL1963PLC003913)

"An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company"

BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX

NEW DELHI-110 012 (INDIA)

Website: www.indiaseeds.com

PHONES: 25842383, 25846272, 25842692, 25846295 e-mail – nsc@indiaseeds.com/mraquim@rediffmail.com

No. 1(51)/2014-CS/NSC

Dated: the 19 Sept., 2014

"NOTICE"

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 51st Annual General Meeting of the Members of National Seeds Corporation Limited will be held on 26.09.2014 at 10.00 AM at Registered Office of National Seeds Corporation Limited, (NSC) Beej Bhavan, Pusa Complex, New Delhi-110012 to transact the following business:-

ORDINARY BUSINESS:

To consider and if thought fit to pass, the following resolutions as Ordinary Resolutions:-

- 1. "RESOLVED THAT Audited statement of Profit & Loss for the year ended 31st March, 2014 and the Balance Sheet as at that date, together with the Reports of the Board of Directors and the Auditors thereon be and the same are hereby adopted".
- 2. "RESOLVED THAT a dividend @ 20% of the Paid up Equity Share Capital on prorata basis for the Financial Year 2013-14 be and is hereby declared."
- 3. "RESOLVED THAT in view of representations of Branch Auditors and Statutory Auditors of NSC for increase in their remuneration from the financial year 2013-2014 and recommendations of the Board of Directors at their 255th Meeting held on 31.07.2014 and pursuant to the provisions of Section 224(8)(aa) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 1956/ Section 142 of the Companies Act, 2013, the approval of the Company be and is hereby accorded for increase in the existing remuneration by 40% plus usual TA/DA in accordance with the Rules of the Corporation for the Financial Year 2013-14 and 2014-15, as per details below:
 - i) Statutory Auditors from existing Rs. 1.50 lakhs to Rs. 2.10 lakhs;
 - ii) Branch Auditors of Regional Office, Bengaluru from Rs. 20,000/- to Rs. 28,000/-;
 - iii) Branch Auditor Regional office, Hyderabad from Rs. 20,000/- to Rs. 28,000/-;
 - iv) Branch Auditor Regional Office, Pune from Rs. 20,000/- to Rs. 28,000/-;
 - v) Branch Auditor Regional Office, Kolkata from Rs. 20,000/ to Rs.28,000/-;
 - vi) Branch Auditor Regional office, Patna from Rs. 20,000/ to Rs.28,000/-;
 - vii) Branch Auditor Regional Office, Chennai from Rs. 20,000/- to Rs.28,000/-;
 - viii) Branch Auditor Regional Office, Chandigarh from Rs. 25,000/- to Rs. 35,000/-;



- ix) Branch Auditor Regional Office, Lucknow from Rs. 25,000/- to Rs.35,000/-;
- x) Branch Auditor Regional Office, Bhopal from Rs. 25,000/ to Rs.35,000/-;
- xi) Branch Auditor Regional Office, Jaipur from Rs. 25,000/- to Rs.35,000/-

Total financial implications of the increase will be Rs 1.48 lakhs per annum."

SPECIAL BUSINESS:

- 4. "RESOLVED THAT the Audited Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March, 2014 and the Balance Sheet as at that date together with the Reports of Auditors and Directors of erstwhile State Farms Corporation of India Limited (SFCI) thereon be and the same are hereby adopted."
- 5. "RESOLVED THAT a dividend @ 7.50 % of the paid up Equity Share Capital for the Financial Year 2013-14 be and is hereby declared on behalf of erstwhile SFCI."
- 6. "RESOLVED THAT in view of representations of Statutory Auditors and Tax Auditors of the erstwhile SFCI for increase in their remuneration for the financial year 2013-2014 and recommendations of the Board of Directors of NSC at their 255th Meeting held on 31.07.2014 and pursuant to the provisions of Section 224(8) (aa) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 1956/ Section 142 of Companies Act, 2013, the approval of the Shareholders of N.S.C. be and is hereby accorded for increase in the existing remuneration by 40% plus usual TA/DA as per Rules of the Corporation as detailed below:-
 - (a) Statutory Auditors from existing fees of Rs. 1.25 lakhs plus taxes to Rs. 1.75 lakhs plus taxes;
 - (b) Tax Auditors from existing fees of Rs. 75,000/- plus taxes plus TA/DA to Rs. 1.05 lakhs plus taxes plus TA/DA.
- 7. "RESOLVED that pursuant to the provisions of Section 148 and other applicable provisions, if any of the Companies Act, 2013 and Rule 14(a) (ii) and other applicable Rules, if any of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, the actions of the Board of Directors in appointing M/s Anika Sabharwal & Associates as Cost Auditors at a remuneration of Rs. 2.00 Lacs + Service Tax and out of pocket expenses for the Financial Year 2014-15, vide their Circular Resolution dated 27.06.2014 be and the same are hereby ratified".

By the order of Board of Directors of National Seeds Corporation Limited

Sd/(Mohd. Raquim)
Company Secretary

Place: New Delhi



- 1. A copy each of Annual Accounts for the year ending 31st March, 2014 along with Reports of Directors and Auditors thereon in respect of both the Corporations accompanies this Notice.
- 2. The Audited Annual Accounts for the year 2013-14 have been forwarded to the Comptroller and Auditor General of India (CAG) U/s 619(4) of the Companies Act, 1956. The comments, if any of the CAG will be placed before the Shareholders at the Annual General Meeting.
- 3. A member entitled to attend and Vote at this meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and Vote in his/her place and the Proxy need not be a member of the Company.
- 4. Explanatory Statement pursuant to Section 173(2) of the Companies Act, 1956/102 of Companies Act, 2013 accompanies this Notice, in respect of items of special business.
- 5. Consents of the Shareholders for convening the AGM at shorter Notice have been received pursuant to Section 101 of the Companies Act, 2013.

To,

- 1. All the Members, NSC Ltd., New Delhi.
 - i. Hon'ble President of India through Authorised Representative Shri Ram Kumar, Under Secretary (Seeds), Ministry of Agriculture, New Delhi.
 - ii. Shri V.K. Gaur, Chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited, New Delhi.
 - iii. Shri Ram Kumar, Under Secretary (Seeds), GOI, MOA, Krishi Bhavan, New Delhi.
 - 2. Shri R.K. Mishra, Addl. Commissioner (Seeds), GOI, MOA, Krishi Bhavan, New Delhi & Director NSC.
 - 3. Shri Dinesh Arora, Dy. Secretary (Fin.), GOI, MOA, Krishi Bhavan, New Delhi & Director NSC.
 - 4. Shri M.M. Sharma, Director (F), National Seeds Corporation Ltd., New Delhi.
 - 5. Shri Sanjay Khatal, Director (C), National Seeds Corporation Ltd., New Delhi.
 - 6. M/s K.C. Khanna & Co., Chartered Accountants, Cannaught Place, New Delhi.
 - 7. M/s Lunawat & Co., Chartered Accountants, 54, Daria Ganj, New Delhi-2.
 - 8. Shri Kaushik Rakshit, General Manager (F), NSC Ltd., New Delhi.



Explanatory Statement pursuant to Section 173 (2) of the Companies Act, 1956/Section 102 of the Companies Act, 2013 relating to Special Business is given as under:-

- Item No. 4 Pursuant to the Provisions of Section 391-394 read with Section 396 of the Companies Act, 1956, the Petitions for Amalgamation of SFCI with NSC were moved by both the Corporations on 22.1.2014 before the Ministry of Corporate Affairs (MCA) after receipt of the approval of the Union Cabinet under Section 396 of the Companies Act, 1956 from the Administrative Ministry. After issuing several instructions for compliance by NSC & SFCI and making several hearings, the MCA vide order dated 30.04.2014 conveyed under their letter dated 05.05.2014 approved the Scheme of Amalgamation of SFCI with NSC to take effect from 01.04.2014. Amalgamation has been ordered for dissolution of SFCI without winding up. Consequently the Board of Directors and General Body of Shareholders have of SFCI become defunct. Therefore, for the purpose of getting the adoption of Annual Accounts of erstwhile SFCI, the same are being placed before the General Body of the Shareholders of NSC for adoption. None of the Directors of NSC is interested in the Resolution.
- Item No.5 In view of the facts reported in the preceding para, dividend @ 7.5 % of the paid up Equity Share Capital is also being declared on behalf of erstwhile SFCI for which the approval of the Shareholders of NSC is required. None of the Directors of NSC is interested in the Resolution.
- Item No.6 The Statutory Auditors and Tax Auditors are representing for increase in their remuneration due to increased volume of their Business/ transaction/ workload particularly after amalgamation of SFCI with NSC. Considering their request, the Board of Directors of NSC in their meeting held on 31.07.2014 have recommended for increase over their remuneration by 40% plus usual TA/DA. None of the Directors of NSC is interested in the resolution.
- In order to comply with statutory Provisions, the Board of Directors of your Corporation have approved the appointment of Cost Auditors for the Financial Year 2014-15 at a fees of Rs. 2.00 lacs + Service Tax and out of Pocket expenses for which ratification of the actions of the Board is solicited. None of the Directors is interested in the resolution.

By Order of the Board of Directors of National Seeds Corporation Limited

> Sd/-(Mohd. Raquim) Company Secretary


Place: New Delhi Dated: 19.09.2014



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A Government of India Undertaking - Miniratna Company)

* FROM THE DESK OF CMD, NSC 51ST ANNUAL GENERAL MEETING



Sh. V.K.Gaur Chairman cum -Managing Director

Dear Shareholders,

- 1. I warmly welcome to esteemed Shareholders at the 51st Annual General Meeting of your Corporation. Before coming up on other matters at this occasion, I would like to inform you that vide Order dated 30.04.2014 of the Ministry of Corporate Affairs (MCA), the amalgamation of State Farms Corporation of India Limited (SFCI) with National Seeds Corporation Limited (NSC) has taken place w.e.f. 01.04.2014. Consequently SFCI stands dissolved without winding up w.e.f. 01.04.2014. Therefore, the Directors' Report and Annual Accounts for the Financial Year 2013-14 of the erstwhile SFCI are also placed before the Shareholders of the NSC for adoption as the Board of Directors and General Body of Shareholders of erstwhile SFCI are no longer in existence.
- 2. As such I am happy to place before you the Audited Annual Accounts along with Reports of the Directors and Auditors thereon for the Financial Year 2013-14 in respect of NSC as well as SFCI. Since the Audited Annual Accounts along with Annexures of both the Corporations are already with you for some time, now, therefore, for the sake of brevity, I may be permitted to take the same as read.
- 3. Like the previous years, I kept up the overall performance of both the Corporations at high level undoubtedly with the Cooperation and guidance of my colleagues on the Board and Officers & staff of both the Corporations during the year under review. I extend my profound gratitude for continuous patronage, encouragement and support of the Board and Senior Level Officers at the Ministry at all occasions wherever needed. I also acknowledge with humbleness, the confidence and trust you reposed on me to this high Office.
- 4. PERFORMANCE OF NSC DURING THE YEAR 2013-14.
- I. GENERAL ECONOMIC SCENARIO AND PERFORMANCE:

Despite international slow down in the Economic Scenario and wide spread competitive situation in the domestic and international markets, the Agriculture Sector also faced various challenges from the private players. The further upsets were also faced by Agriculture Sector from the natural factors particularly in the areas where our Units are operating in the Production and Marketing Activities. Despite these challenges, your Corporation has performed well and earned encouraging revenues.



II. FINANCIAL FRONT:

- We achieved total revenue of Rs. 738.75 Crores as against 691.26 Crores during the preceding year thereby touching a growth of 7 %. Profit after Tax was Rs. 54.07 Crores as against Rs. 44.30 Crores during the last year.
- Earning per Equity Share of Rs.1000/-each raised from Rs. 1953.19 to Rs.2383.76 (after adjusting the extra ordinary items), thus earning per Equity Share was increased by Rs. 430.57.
- Considering the above increase in Revenue, Profit and EPS, the expenses remained Rs. 657.06 Crores as against Rs. 629.99 Crores in the last Year.
- Bonus Equity Shares of Rs.1000/- each to the quantum of 20619 Equity Shares were issued to the Government of India thereby the Equity Base was enlarged to Rs. 2268 Lakhs.
- Availed CC Limit attracted an interest burden of Rs. 160.93 Lakhs in comparision to Rs.494.79
 Lakhs during the last year due to effective Cash Management.

III. DIVIDEND:

Your Board of Directors have recommended for declaration of Dividend @ 20 % on pro-rata basis on the paid-up Equity Share Capital of the Corporation thereby absorbing an amount of Rs. 482.60 Lakhs including dividend distribution tax of Rs. 70.10 Lakhs in the Year.

IV. EFFECTS OF AMALGAMATION OF SFCI WITH NSC:

The two giant PSUs engaged in the seed activities in the Public Sector have now become one and as such the NSC is now placed as Apex Level Seed Production Company in the Public Sector in the Country. NSC is already holding the "B" schedule status with ISO Certifications and is likely to lead the way for Schedule "A" PSU. The resources like Land, Manpower, Plants, Machineries, Equipments, Technologies, Research and Development (R&D) and Finance have now been unified thereby enabling NSC to not only meet the targets under MoU which is entered into with the Government of India every year but also to dent into other activities for diversification, Innovation, Exploring Export potential and other profitable avenues.

V. OPERATIONAL HIGHLIGHTS:

The turnover on account of sale of 14,53,070 qtls. of Certified/quality seeds during the year fetched Rs.737.52 Crores as against the last year of 15,56,025 qtls. The reasons for reduction in quantitative terms were mainly due to decrease in sale of Wheat Seed by about 80,000 qtls., Paddy by 50,000 qtls. The Seeds purchased were however reduced from 1666791 qtls. to 1428575 qtls. thereby getting the reduction in the dependency on the external market. The Corporation has also added Warehousing capacity of 34,600 qtls. for storage of its seed and Processing capacity was increased to the extent of 2,40,000 qtls. besides improvement in the quality parameters.



5. **PERFORMANCE OF SFCI:**

Like NSC, SFCI also faced the depressed economic and competitive situation from the domestic and international Private Players in the Seed Sector but during the period under review, SFCI performed well by earning a total revenue of Rs. 523.35 Crores as against 485.55 Crores during the last year. The Profit after Tax was, however, Rs. 41.84 Crores as against Rs. 42.58 Crores during the last year. The Profit has gone down due to damage of crops by rains & hail storm at the time of maturity in Farms. Loss was further on account of lower stock value of Guar price; employee cost increased by Rs. 9.00 Crores; negative inflation in case of Gram and Groundnut crops.

I. DIVIDEND & RESERVES:

In spite of these factors, SFCI has continued to pay a Dividend of 7.5 % on the Paid up Equity Shares Capital for the Financial Year 2013-14 which will absorb Rs. 2.36 Crores besides the provisions towards dividend Distribution Tax, CSR Funds and transfer to General Reserves and Surplus Accounts.

II. PRODUCTION FRONT:

Production performance during the year have faced challenges mainly due to natural factors but the Corporation has stood it optimum level from its resources and strategies. Total Seed production of the Corporation was 5,81,087.96 qtls. as against the 7,52,949.97 qtls. during the last year. The reason for reduction in production was due to adverse effect of heavy rains at the time of maturity stage of the Soyabean crop.

III Nalhati Farm at West Bengal.

It may also be mentioned that after closure of Central State Farm, Bahraich, an attempt has been made by the Management to get a substitute by opening a mini Farm at Nalhatti at West Bengal which was opened during the Financial Year under report and started production during the later part of the year.

Certain Tractors, Combines, Fertilizer Spreaders and Electronic Weigh Bridge were also added in the machinery fleet of the Corporation which are worth to Rs. 371.00 Lakhs. Certain other constructions work were also undertaken at the Farms with an expenditure of Rs. 396.29 Lakhs with the support of Government of India. Certain new initiatives have also been taken by the Corporation to further improve the Production, Engineering and Marketing activities in the Corporation.

6. MANPOWER DEVELOPMENT:

Both the Corporations are making serious efforts to boost the morale, financial upliftment and welfare of their Workers and Staff as a token of regards and their better prospects.



7. FUTURE OUTLOOK:

After the unification of SFCI & NSC undoubtedly the resources of NSC have increased to high extent on the Production, Engineering, Marketing and Financial fronts. There is technically qualified team of Officers, staff and experienced workers who are taking the Seed Production at high level. Therefore, we may hope that the Corporation will further come-up even facing the national and internal challenges not only in seed activities but also in other allied and diversified activities.

8. MOU RATING:

Performance of NSC and SFCI have been adjudged as "Excellent" during 2012-13 by DPE. This is being informed as the information was confirmed after the previous AGM.

9. COMPLIANCE ASPECTS:

- (i) We feel proud to inform you that the Ministry of Agriculture, Government of India have recommended the DPE to grade both the Corporations as "Excellent" in the matter of implementation of Corporate Governance Guidelines for the Financial Year 2013-14.
- (ii) In so for as NSC is concerned, due to non-appointment of Independent Directors on the Board, the Audit Committee could not be reconstituted for which the matter is pending with the Ministry of Agriculture for consideration. However, in SFCI there were 3 Independent Directors who were regularly holding the Audit Committee Meetings for discharging the functions as enshrined in the Corporate Governance Guidelines of the DPE. Both the Corporations have, however, complied with the Corporate Governance Guidelines.
- (iii) Regarding Corporate Social Responsibilities (CSR) and Research & Development (R&D), both the Corporations are performing well by preferring the achievement of full targets as stipulated in the MoU entered into with the Government of India. In addition there are other Committees like Remuneration Committee, Steering Committee, Grievance Committee etc. in the Corporation. To conclude, both the Corporations were fully complying all the applicable Laws, Guidelines etc. which were applicable to them.

10. ACKNOWLEDGEMENTS:

I take this opportunity to place my sincere thanks and regards to Hon'ble Minister for Agriculture, the Hon'ble Minister of State for Agriculture, the Secretary (A&C), the Joint Secretary (Seed) and other Officers in the Ministry of Agriculture. I am also grateful to Comptroller and Auditor General of India, the Statutory and Branch Auditors of the Corporations for their support and guidance. I would also like to place on record my sincere thanks and high appreciation to my esteemed colleagues on Board and to all the Officers and staff of both the Corporations who have provided every possible guidance, support and assistance to the Management in achieving the targets. On behalf of the Shareholders and Management, I also convey my sincere thanks to the



Bankers, Customers and other Stake Holders, for their continued support, confidence and trust bestowed upon your Corporations. I have a strong belief that with such dedicated and hard working workforce coupled with valuable support of our esteemed stakeholders and enlarge treasure of resources, Corporation will establish further high ups and milestones in the years to come.

(Vinod Kumar Gaur) Chairman-cum-Managing Director

Place: New Delhi

Dated: 26th September, 2014.

^{*} This does not purport to be a part of the proceedings of 51st Annual General Meeting.



DIRECTORS' REPORT

Dear Shareholders,

Your Directors have the privilege in presenting the 51st Annual Report on the performance of your Corporation for the financial year ended March 31, 2014 along with Audited Accounts of the Corporation. The working results of the Corporation for the year under report are given as below along with the figures for the previous year:

FINANCIAL HIGHLIGHTS

(a) Working results (Amount Rs. in Lakhs)

Particulars		
INCOME	2013-14	2012-13
Revenue from Operations	72111.18	68,477.40
Other Income	1763.46	648.22
Total	73,874.64	69,125.62
Expenses:		
Cost of materials consumed	1654.33	2,443.21
Purchases of Stock-in-Trade	46478.80	49,710.53
Changes in inventories of finished goods		
work-in-progress and stock-in-trade	2854.77	(838.74)
Employee Benefits Expense	6851.42	5,256.63
Finance costs	160.93	494.79
Other Expenses	7439.28	5602.53
Depreciation	266.85	329.84
Total	65706.38	62998.79
Profit Before Tax, exceptional, extraordinary,		
prior period items and tax	8168.26	6126.83
Exceptional items	(4.72)	(8.13)
Profit Before extraordinary, prior period items	8172.98	6134.96
Extra ordinary items	106.38	
Profit before prior period items and tax	8066.60	6134.96
Prior Period items(net)	0.09	(91.48)
Profit Before Tax	8066.51	6226.44
Tax expense:		
Current Tax	3048.00	2,185.69
Deferred Tax	(383.68)	(399.98)
Taxation related earlier years	(4.47)	10.65
Total	2659.85	1,796.36
Profit for the year	5406.66	4430.08
Earnings per equity share		
(Face value of Rs. 1000 each)		
Basic & Diluted before extraordinary items	2430.67	1953.19
Basic & Diluted after extraordinary items	2383.76	1953.19



During the year 2013-14, the Corporation achieved total Revenue of Rs. 73,874.64 lakhs as against Rs. 69,125.62 Lakhs during the preceding year, registering 7.0 % growth.

(b) Capital Structure

As on March 31, 2014, the paid-up share capital of the Corporation was Rs. 2268.12 lakhs consisting of 226812 equity shares of Rs. 1000 each. The Government of India held 100% of the paid-up share capital. Reserves & Surplus increased to Rs. 24220.16 lakhs from Rs. 19730.84 lakhs. During the year capital grant for purchase of Plant & Machinery and construction of Seed Stores & Buildings was capitalized for Rs. 43700 Lacs and depreciation charged on assets acquired against capital grant amount to Rs. 139.41 lakhs was adjusted. After carrying out above adjustments, balance Capital Grant Reserve as on 31.03.2014 remained at Rs. 1695.80 lakhs as against Rs. 1373.22 lakhs as on 31.03.2013.

(c) Loans

The Corporation is having sanctioned Cash Credit (CC) Limit of Rs. 7500.00 lakhs from the State Bank of India. During the year, the Corporation has paid an interest of Rs.160.93 Lakhs in comparison to Rs.494.79 lakhs in the previous year.

(d) Investment

Investment of the Corporation in various State Seeds Corporations (SSCs) as on 31st March, 2014 was Rs. 780.68 lakhs. A total dividend of Rs. 50.93 lakhs was received during the year 2013-14 from State Seeds Corporations (SSCs).

(e) Dividend

During the year 2013-14, Board of Directors have recommended payment of dividend @ 20 % on prorata basis on the paid up share capital of the Corporation, absorbing an amount of Rs.482.60 Lakh including dividend distribution tax of Rs. 70.10 lakhs for the year 2013-14. Dividend will be paid after approval at the Annual General Meeting.

1. Amalgamation of State Farms Corporation of India Limited with National Seeds Corporation Limited.

i. Considering the fact that both the PSUs are Wholly Owned Government of India Undertakings under the Administrative control of the Ministry of Agriculture and that both the PSUs are engaged in the production and marketing of Breeder, Foundation & Certified seeds of various varieties of crops for multiplication by the ultimate users, the proposal for Amalgamation of both the PSUs



pursuant to section 391-394 read with Section 396 of the Companies Act, 1956 was considered and approved by their Board of Directors during 2013.

- ii. After the approval by the Boards, the proposal was submitted to the Ministry of Agriculture for arranging to obtain the approval of the Union Cabinet which was duly done on 26.12.2013. The decision of the Cabinet was conveyed to both the Corporations by the Ministry of Agriculture on 7.1.2014. Accordingly, the required petitions for Amalgamation were moved before the Ministry of Corporate Affairs (MCA) on 22.1.2014. The matter was persued with the MCA which after holding three hearings was convinced with the case and also dispensed with certain requirements which were time consuming like the meetings of shareholders and creditors etc. The MCA finally approved the proposal for Amalgamation of both the PSUs vide order dated 30.04.2014 conveyed vide letter dated 5.5.2014. It was interalia ordered that SFCI shall be dissolved without winding up. The Ministry also directed both the PSUs to file copy of order dated 30.04.2014 with the Registrar of Companies which was duly done.
- iii. In the post merger era, a lot of actions were taken to comply with the orders in toto. The properties and assets which were belonging to SFCI are now under the process of mutation in the name of NSC. Publication in the local newspaper was also made for the information of general public. The trade mark application which was lying under the process of Registration in the name "Farm Sona", by SFCI, has been applied for changing the name to NSC. All the staff of SFCI has been taken on ROLLS of NSC. The Banks have been informed about the merger. In respect of all the Court cases, Legal Proceedings/Liabilities, the Advocate concerned have been directed to move applications before the Court concerned for filing a fresh Memo of Parties showing the name of NSC in place of SFCI. Similarly Income Tax and other Taxation Authorities have been informed about the fact.
- iv. Internally the production and marketing functioning have been reshuffled, ROs have been merged and MoUs are being combined to have a fresh mandate from the DPE for implementation on the revised parameters. The production and marketing targets are being increased to generate more Revenues.
- v. From the position narrated above, it is a matter of pleasure that now NSC has become an Apex Level Seed Production PSU in the Country. It is already holding the "B" schedule status and is likely to be upgraded to schedule "A" PSU.

2. OPERATIONAL HIGHLIGHTS:

(a) Sale of Seeds

The turnover on account of sale of 14,53,070 qtls. of certified / quality seed during the Year 2013-14 was Rs.73751.77 lakhs. The quantitative details are given below:-

S.No.	Class of Seed	Sale of Seeds (in Qtls.)	
		2013-14	2012-13
1	Certified Seeds	14,53,070.00	15,56,025.00



The sale of certified seed was reduced in quantitative terms from 15.56 lakh qtls to 14.53 lakh qtls. due to decrease in sale of Wheat seed by about 80,000qtls, Paddy by 50,000 qtls. and there is increase in sale of Pulses seeds by 20,000 qtls.

The crop-wise gross value of certified seed is presented her under;

S.No.	Crop Group	Sale of certified / Quality Seeds (Rs. In lakhs)		% increase /
		2013-14	2012-13	
1	Cereals	21319.74	20881.55	1.65
2	Oilseeds	35060.82	27843.01	25.58
3	Pulses	11371.91	10347.27	9.71
4	Fodders	4533.13	3974.33	14.22
5	Fibers	364.92	1636.91	-77
6	Vegetables (including	1101.25	4329.97	-72
	potato and planting material)			
	Total	73751.77	69013.04	6.7

There has been growth in almost all crop groups except Fibers and Horticultural crop group. Decrease in Fibers is due to market being very tricky and in horticultural group the sales reduced drastically due to decision to not to handle such products through out sourcing.

(b) Purchase of seeds

S.No.	Class of Seeds	2013-14	2012-13
1	Certified Seeds	13,73,867.00	15,94,755.00
2.	Foundation Seeds	51,201.00	65,219.00
3.	Breeder Seeds	3507.00	6,817.00
	Total	14,28,575.00	16,66,791.00



(c) Strategic Business Alliance

The Corporation entered into Memorandum of Understanding with below mentioned 9 Prominent Private Seed organizations for selling their products, so that farmers can get the seed of their choice from one shop,

S.No.	Name of MoU Partners	
1	M/s Devgen Seeds and Crop Technology Pvt. Ltd.,	
2	M/s Dhaanya Seeds	
3	M/s VNR Seeds Pvt. Ltd.,	
4	M/s. United Phosphorus Ltd.,	
5	M/s. Seed Works International Pvt. Ltd.;	Purchase of Private Research bred
6	M/s Syngenta India Limited	seeds from these Companies for sale
7	M/s Kaveri Seed Company Limited,	to farmers through regular sale
8	M/s Proline Seeds Company (India)Pvt. Ltd.,	channels of the corporation.
9	Bhartiya Beej Nigam Ltd.,	

(d) Initiatives in the North Eastern States

NSC has accorded due priority to seed availability and supplies in the Country's remote areas and Eastern States in general and North Eastern States in particular. During the Year 2013-14 Corporation has supplied 14741qtls. of seed to North Eastern State.

3. Import & Export of Seeds

NSC imported 40Kg. Paddy /SL-8H from Bangladesh costing USD325. It has been supplied to ICAR for multi-location trials.

During the year no export of seed was made but talks have been initiated which may create export potential likely in 2014-15.

(e) Seed production Activities:

Corporation is undertaking seed production of more than 600 varieties/hybrids/clones including parental line of about 60 crops consisting of Cereals, Millets, Oilseeds, Pulses, Fodder, Fibers, Green Manure, Potato and a wide range of vegetable crops. NSC is not only producing seeds of varieties of different crops, it is also engaged in production of hybrid seed of Maize, Sorghum, Bajra, Paddy, Sunflower, Castor, Vegetables etc.



Newer varieties: Added 25 Nos. of newer varieties and hybrids in crops like Wheat, Paddy, Maize, Groundnut, Sorghum, Castor, Sunflower, Lucerne, Foxtail Millet, Soyabean, Sesamum, Mustard, Moong, Lentil, Gram etc.

(f) PROFITABILITY:

During the year under reporting, turnover of the Corporation shows significant increase from 691.26 Crores to 738.75 Crores as compared to previous years mainly because of increase in the sale prices of various crops seeds like Moong, Soyabean, Gram, Wheat, Groundnut etc.

However, inspite of the increase in the turnover during the year under report, the expenses have been reduced as compared to the previous year. Finance cost of the Corporation has been drastically reduced from Rs. 4.95 Crores to 1.61 Crore. Net saving in the finance cost during the financial year is Rs.3.34 Crores. The operational cost has been reduced from Rs. 32.96 Crores to Rs. 30.05 Crores and saving is around Rs. 2.91 Crores.

(g) Inventory of Seeds:

A comparative statement of inventory of seeds as on 31.03.2014 and 31.03.2013 is given below:-

Type of Seed	2012-13		2013-:	14
	Quantity Amount C		Quantity	Amount
Breeder	825	31.00	647	28.00
Foundation	8384	254.00	11773	477.00
Certified	168194	6323.00	80185	3348.00
Total	177403	6608.00	92605	3853.00

(Quantity in Qtls.) (Amount in Lakhs)

(h) QUALITY CONTROL:

Corporation has made every effort to produce and distribute the highest quality seeds to the farmers as per the Indian Minimum Seed Certification Standards prescribed by Government of India. As a matter of abundant precaution apart from producing the seeds as per Certification Standards and having it validated by State Seed Certification Agencies of the respective States. NSC has strong internal quality monitoring system for checking the quality of seeds at various levels of its production, processing, packing, movement and marketing. To facilitate strict internal quality checking each region has been provided with one Quality Control Officer who inspects the seed production fields and give necessary advice to the seed growers for undertaking various



measures like rouging, weeding, spraying with suitable insecticides and pesticides etc. for maintaining the quality of the seed in field. The QCO also visits processing plants and seed stores to check the seed quality during processing and storage. The work of the QCOs is monitored by the QC Division at Head Office through analysis of the reports on monthly basis as well as field visits. Proper guidance is also given to them from time to time.

There is also a regular system of identifying the seed stocks which have become sub-standard in the natural process and action is being taken for its disposal as non-seed as one of the quality control measures.

During the year, all the five NSC Quality Control Laboratories (QCLs) at New Delhi, Secunderabad, Bhopal, Kolkata and Pune have analyzed 23606 samples on various seed quality parameters viz. germination, physical purity, moisture, other distinguishable varieties, insect damage, seed health etc. as prescribed under the Indian Minimum Seed Certification Standards (IMSCS) in accordance with the Seed Testing Procedures.

To make the Quality Control Lab technically competent so as to test the seeds at par with International standards and to get ISTA (International Seed Testing Association) accreditation the Corporation has initiated requisite actions from September, 2012. As a first step NSC has participated in the proficiency test of the seed samples received from the ISTA secretariat, Switzerland. One sample each of **Pisum Sativum** (Peas) and **Brassica napus** (Mustard) were received and tested under the reporting period. Totally 4 ISTA samples were tested yet.

A DNA Fingerprinting lab has also been established at Delhi for conducting the genetic purity test of the hybrid, before supplying to the Farmers.

Seed Health Testing facility has also been established in Quality Control Lab., New Delhi by purchasing modern scientific equipments with an idea that the seed supplying to farmers by Corporation should be free from insect infestation and seed bone disease. Timely up gradation of labs are also undertaken to make the seed testing more accurate & scientific.

(i) Publicity and Extension Education Activities:

In order to educate the farmers on the usage of certified/quality seeds, your Corporation participated in Exhibition/farmers Fairs/Kisan Meals organized at important location in the country viz 9th Hightech Agriculture & International Hort-Expo-2013 at Pragati Maidan, New Delhi, National Skill Foundation of India (NSFI) Global Agri Connect-2013 at Indian Agricultural Research Institute, Pusa, New Delhi, India International Trade Fair-2012 at Pragati Maidan, New Delhi, Pusa Krishi Vigyan Mela at IARI Mela Ground, New Delhi, University of Agricultural Science at UAS, Raichur, 4th Agrotech-2013 at Milan Mela Ground & UITC Sonar, Kolkata, Krishi Mela, Madya, Mysur, Krishi Vasant, National Agriculture Fair cum exhibition, Nagpur at Nagpur (M.S) and Kisan Fair at HAU, Hissar.



Senior Officials actively participated in Krishi Darshan and other agricultural programmes of Doordarshan (DD) and All India Radio (AIR) and provided valuable informations for the benefit of farmers.

(j) Seed Industry Literature:

NSC published and made available Farmers Seed Guide-cum-Diary, 2014 along with calendar for distribution to dealers, farmers and other organization directly & indirectly engaged in Seed Industry. Apart from above, printed material in the Vegetable Kitchen Guide (North) & (South) Rabi seed Programme, Kharif Seed Programme and NSC Beej ke baten (Quarterly magazine) were made available to the farming community.

4. STRENGTHENING OF INFRASTRUCTURE:

(a) Construction of Ware House & Plant Building.

Corporation added Ware Housing capacity of 34600 qtls. during the year 2013-14. NSC, now has a seed storage capacity of 5,85,800 qtls. and AC storage capacity of 10700 qtls. as on 31.03.2014.

(b) Creation of Processing capacity and strengthening:

2,40,000 qtls Seeds Processing capacity has been added during the year 2013-14 by installation of complete seed processing line of 8 TPH capacity(Wheat basis) each at Chitorgarh, Nandyal & Warangal leading to availability of annual processing capacity of 13.72 lacs qtls. as on 31.03.2014. Procured & installed 1 DG set at Head Office, Pre-cleaner, Fine Cleaner & VB Elevator at Bellary, 5 Nos. Air Compressor in Existing Plants and one Belt Conveyor at Jalgaon.

(c) RTI Act, 2005:

During the financial year 2013-14 Corporation received 94 Nos. applications under the RTI Act and all the applications have been disposed off within stipulated date as per the Act and submitted all the relevant information to Ministry after following the norms of the RTI Act, 2005.

(d) Assistance for boosting Seed Production in Private Sector:

Central Sector Scheme for Boosting Seed Production in Private Sector launched during the year 2005-06, continued during the year 2013-14 also. Under the Scheme, entrepreneurs are given back-ended subsidy @ 25% of capital cost subject to maximum of Rs. 25.00 lacs per unit. While working as nodal agency proposal received from entrepreneurs from different states were processed and 1st instalment of subsidy to the tune of Rs. 158 lacs for 28 Nos. projects and 2nd instalment amounting to Rs. 245 lacs for 40 nos. projects was released during the year 2013-14 envisaging creation additional processing capacity 9.89 lakh qtls. and Ware House capacity of 3.08 lakh qtls. during the year in private sector.



5. HUMAN RESOURCE:

The total number of employees of all categories as on 31.03.2014 was 701 against 767 as on 31.03.2013. The staff strength in Group A,B,C & D as on 31.03.2014 was as under:-

Group	Total No. of Employees	Sanctioned Strength
А	142	166
В	206	247
С	211	282
D	142	154
Total	701	849

The information with regard to the posts filled-up by promotion/direct recruitment and number of candidates belonging to SC/ST promoted/appointed during the year 2013-14 is as under:-

A.PROMOTION:

Group	No. of	No. of candidates belonging to SC/ST	
	Posts filled	SC	ST
А	67	7	1
В	33	10	1
С	33	6	-
D	83	22	2
TOTAL	216	45	4



B. DIRECT RECRUITMENT:

Group	No. of	No. of candidates belonging to SC/ST/OBC/PH			
	posts filled	SC	ST	OBC	PH
А	2	-	-	-	-
В	-	-	-	-	-
С	6	-	-	4	-
D	5	-	-	1	-
Total	13	-	-	5	-

C. Representation of SC/ST in various groups of employees as on 31.03.2014:

Group	Total No. of	No. of Employees belonging to SC/ST	
	Employees	SC	ST
А	142	20	3
В	206	36	13
С	211	34	5
D	142	30	4
Total	701	120	25

D. **Employment of disabled Persons**

The strength of Disabled Persons as on 31.03.2014 was as under:-

i) Blindness of low vision

1

ii) Hearing impairment

Nil

iii) Locomoter disability of cerebral palsy in post identified for each disability



E. Employment of Ex. Serviceman:

Category	Strength
Group-A	-
Group-B	-
Group-C	1
Group-D	1
Total	2

The Corporation is following guidelines received from Department of Public Enterprises, Govt. of India, New Delhi from time to time in regard to maintaining "Post Based" reservation roster.

6. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT:

The Corporation has continually endeavoured to upgrade competencies and management development skills of employees engaged in seed related activities during the year under report. Training courses were organized on various aspects of Hybrid Seed Production, Production and Marketing of Seed and Planting Materials, Seed Quality Control, Computer Application, Executive Development Programme, Orientation Training Programme in Seed, Administrative & Accounts training programme and Miscellaneous training conducted by reputed institute for enhancing knowledge & skills etc. Out thrust has been to meet the requirement of the changing business environment. Accordingly, substantial numbers of employees have been exposed to training and development activities.

The officials from different SSCs, SAUs, State Seed Certification Agencies, Department of Agriculture/Horticulture, KRIBHCO, Private Seed Companies including NSC employees attended the training programme.

7. INFORMATION TECHNOLOGY:

Your company has successfully implemented "Beej Prabandhan"-ERP during 2011-12 and enhancement of the application is in process since then as well as in current year to monitor all the accounts and inventory at different locations/regional offices all over India. Local Area Network has been set up along with firewall device for smooth and safe internet access. The website of the Corporation was revamped during the last year.

8. OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION

With a view to promote the use of Hindi in Official work, competitions were organized during the year in the "Hind-Pakhwara" and successful participants were given cash prizes. Hindi Pakhwara closing ceremony was celebrated at Head Office and Units of the Corporation.



Official Language Inspection of Regional Offices were conducted by Head Office and necessary instructions were given for ensuring the progressive use of Hindi in day to day official work.

The website of NSC is available in bilingual form i.e. in English and Hindi both the languages and it is being updated from time to time.

During the year Hindi Workshops were organized and employees participated in these workshops. Meetings of Official Language Implementation Committee at Head Office was conducted regularly in each quarter to discuss the progressive use of Official Language in Official Work and the quarterly reports on progressive use of Hindi were regularly sent to the Ministry of Agriculture.

Constant efforts were made to comply with the provisions enumerated in the "Annual Programme for transacting the Official work of the Union in Hindi for the year 2013-14".

9. VIGILANCE

In accordance with the directives of Central Vigilance Commission, Vigilance Awareness Week 2013 was observed from 28.10.2013 to 02.11.2013 at HQ, NSC, Delhi and all Regional Offices spread all over India. In this regard, a lecture on "Promoting Good Governance- Positive Contribution of Vigilance" was delivered by Shri K.L. Ahuja, Ex. Director, Central Vigilance Commission on 30.10.2013 at 3.30 PM at HQ, NSC, Delhi. As on the spot essay competition was organized during Vigilance Awareness Week 2013 on 28.10.2013 on the topic of "Role of Vigilance in Promoting Good Governance" and prizes were distributed to the wining participants.

Apart from above, efforts were made to create an atmosphere of honesty and transparency among the employees of the Corporation. As preventive measures, inspections/surprise checks/scrutiny of contracts were conducted. Regular monitoring of pending disciplinary cases and complaints is being done. Regular interaction with Management is maintained for rendering suitable advice on Disciplinary/Vigilance matter as per guidelines issued by CVC/DOPT/DPE.

10. RECOGNITIONS:

(a) ISO 9001:2008 and EMS 14001:2004:

NSC is certified for Quality Management System and Environmental Management System since 19.03.2007 and 21.03.2009 respectively. In order to ensure that NSC is following the provisions contained in the manuals and following the specified process, internal and external audit is conducted annually. As a result of this audit, NSC has been recertified for 9001:2008 for a period of 3 years which is valid up to 19.03.2016 and also was certified for EMS 14001:2004 for which certification is valid till 30.03.2015.

(b) MOU Rating

As you are aware that NSC is one of the PSEs which has been signing Memorandum of Understanding with Government of India, Ministry of Agriculture continuously for the last 20 years. The performance



of your Corporation under various MOU parameters based on the audited data for the year 2012-13 has been evaluated by the Department of Public Enterprises and rated as "Excellent".

The merged Memorandum of Understanding between your Corporation and Ministry of Agriculture, Government of India for the year 2014-15 is under finalization.

11. Corporate Social Responsibility & Sustainable Development:

As per DPE guidelines, circulated vide 15(3)/2007-DPE(GM)-GL-99 dated 09.04.2010, the Corporation adopted the provisions under Corporate Social Responsibility. A provision of 3% of net profit was made for implementation of various activities under CSR & SD. Various activities were planned in a manner that the impact of implemented programmes became visible on the selected segment of society.

(a) Village Development:

NSC adopted seven villages for undertaking the activities. These villages were Chamlamori(Haryana), Darnia (Haryana), Lehni (UP), Sukrauli (UP), Ahirauli (UP), Vivra (Maharashtra) and Bhakhari (Bihar). Activities were also undertaken which are described briefly as under:-

In order to select the programme and project, decisions on programme and projects to be implemented was taken by Board Level Committee on recommendation of Below Board Level Committee as per MoU. Under the project NSC Constructed 8 Nos. of Toilets for Girls in Schools, Distributed 342 Nos. Solar Lamps & 1213 Nos. School Kits for girls in the villages studying in VIII standard and above, organized 10 Nos. Health checkup Camps, Vaccination for Children & Women, Diet recommendation for female, including medicine, provided Water Cooler in School for arranging cold water during summer and installed Solar lights. All these works were undertaken by NSC with observing prescribed purchase procedure of the Corporation.

(b) Afforestation (Tree Plantation):

Under afforestation programme, NSC planted 1.09 lakh trees in seeds villages.

(c) Relief and Rehabilitation Activity:

Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises vide letter No. 15(9)/2013-DPE (GM) dated 24.06.2013 directed to take up relief and rehabilitation activities in Flood Affected Area of Uttrakhand by undertaking such projects under their CSR and Sustainability activities in that area, DPE further relaxed limit of natural calamities and authorized to Board of Directors (BOD) for higher spending on this account.

BOD in 252nd meeting held on 15.01.2014 approved limit to Rs. 200.00 lacs and Rs. 38.80 lacs for relief and rehabilitation project of Govt. of Uttrakhand and Forest Research Institute, Dehradun respectively with 50% contribution from CSR fund of NSC & SFCI each. Accordingly, out of sanctioned amount, Rs. 40.00 lakh and Rs. 2.00 lakhs of NSC share was released to Deptt. of Agril., Government of Uttrakhand and Forest Research Institute, Dehradun respectively after completing base line survey during the year 2013-14.



12. CORPORATE GOVERNANCE:

The Corporation strives to foster a corporate culture in which high standards of ethical behaviour, individual accountability and transparent disclosure are ingrained in all its business dealings and shared by its Board of Directors, Management and Employees.

The Corporation has established systems & procedures to ensure that its Board of Directors is well-informed and were-equipped to fulfil its overall responsibilities and to provide the management strategic direction; it needs to create long-term shareholder value.

A report on Corporate Governance is given in Annexure-I

It is a matter of pleasure that for the Financial Year 2013-14, the Administrative Ministry has recommended the Grading of your corporation as "Excellent" under Corporate Governance. We expect that it would be awarded as such by DPE.

13. BOARD OF DIRECTORS

During the year Smt. Smriti Sharan ceased to be Director of the Corporation.

Further, Shri R.K. Mishra, Additional Commissioner (Seeds) joined the Corporation in her place.

14. BOARD MEETINGS

During the year ended 31st March, 2014, 8 Board Meetings were held on 3.5.2013, 26.6.2013, 6.8.2013, 26.9.2013, 11.10.2013, 6.12.2013, 15.1.2014 and 26.3.2014.

15. AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee was constituted in accordance with the directions issued by Department of Public Enterprises vide O.M. No. 18(8)/2005-GM dated 14th May, 2010 on Corporate Governance for Public Sector Enterprises. However, with the expiry of the term of independent Directors w.e.f. 16.01.2012, the Audit Committee ceased to exist. The Audit Committee will be reconstituted upon appointment of independent Directors by the Ministry of Agriculture.

16. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to Section 217 (2AA) of the Companies Act, 1956, your Directors state:

- a) That in the preparation of Annual Accounts, applicable Accounting Standards have been followed.
- b) That your Directors have selected such accounting policies based on generally accepted principles and applied them consistently and made judgement and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Corporation at the end of the financial year and of the profit or loss of the Corporation for that period.



- c) That your Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of your Corporation and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- d) That your directors have prepared the annual accounts on a going concern basis.

17. TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS & OUTGO AND CONSERVATION OF ENERGY:

NSC keeps in close touch with the public research system headed by ICAR. Seed multiplication of newly released varieties from ICAR's crop projects are taken up to make available superior varieties for commercial cultivation. During the year 25 new varieties were included in the NSC's product range.

Energy Conservation:

- 1. Transparent sheets were used on roof of godowns to save electricity consumption during day time.
- Processing machineries were replaced with higher capacity to result in economy of operation.
 Details of Foreign Exchange Earnings and outgo have been given in preceding para.

18. AUDITORS

The Comptroller and Auditor General of India appointed M/s K.C. Khanna & Co, Chartered Accountants, the Statutory Auditors and other C.A. Firms were appointed as Branch Auditors for the financial year 2013-14.

19. GENERAL

None of the employes of the Corporation is drawing salary in excess of the prescribed amount i. e. Rs. 5 lakhs per month or Rs. 60 lakhs per annum to be reported under Section 217 (2A) of the Companies Act, 1956 read with Companies (Particulars of Employees), Rules 1975 as amended from time to time.

20. BUY BACK OF SHARES:

There was no buy back of shares by the Corporation during the year. Therefore, the information pursuant to Section 77 A of the Companies Act, 1956 be treated as Nil.

21. ACKNOWLEDGEMENTS:

The Board of Directors acknowledges and place on record their appreciation for the guidance, cooperation and encouragement extended to the Corporation by the Department of Agriculture & Co-operation, Government of India, Ministry of Agriculture, ICAR, Agriculture Departments of various States, State Agricultural Universities, State Seeds Corporations and the State Seed Certification Agencies.



The Board also gratefully acknowledges the support and co-operation it received from its stakeholders, Seed Growers, Dealers/Distributors and all customers of NSC who continued to repose faith and trust in the working of your Corporation and would like to assure that your Corporation would continue to strive for providing better services in the coming years.

Your Directors are also grateful to the C&AG of India, Ministry of Agriculture, DPE, State Bank of India for their valued cooperation and support on behalf of Board. Last but not the least the Board wishes to place on record its deep gratitude to all NSC employees whose enthusiasm, commitment and sense of ownership has made this Corporation a proud.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Place: New Delhi (Vinod Kumar Gaur)

Dated: 13.08.2014. CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR



REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. CORPORATE GOVERNANCE PHILOSOPHY

Your Corporation has implemented its Corporate Social Responsibility (CSR) Policy with an aim to ensure that the Corporation becomes a socially responsible corporate entity contributing towards quality of life of the society at large. Your Corporation has entered into a MoU with Government of India for spending 3% of PAT towards CSR activities as part of its Corporate Social Responsibility. The Corporation has undertaken major initiatives in several critical areas which impact the lives of the common man in a positive way.

Corporation believes in integrity as a necessary condition for enduring success. Transparency, fairness, accountability and responsibility are the pillars of the Corporation's business activities. NSC provides appropriate access to information to the citizens under the provisions of Right to Information (RTI) Act, 2005. The initiative further reinforces the commitment of the Corporation to adopt best corporate governance practices.

2. BOARD OF DIRECTORS

a) Size of Board

National Seeds Corporation Limited is a Government company within the meaning of Section 617 of the Companies Act, 1956 as the President of India holds 100% of the total paid-up share capital. As per Articles of Association, the power to appoint Directors vests in the President of India.

In terms of the Articles of Association of the Corporation, the strength of NSC Board shall not be less than two Directors and not more than twenty five Directors. These Directors may be either whole-time, functional Directors or part-time Directors.

b) Composition

The Board of Directors should have an optimum combination of executive and non-executive Directors. As on 31st March, 2014 the Board comprised five Directors out of which one is Chairman cum Managing Director, two directors are nominees of Government of India and two are functional Directors.



c) Board Meetings

The meetings are convened by giving appropriate advance notice after obtaining approval of the Chairman of the Board/Committee. To address specific urgent need, meetings are also being called at a shorter notice. In case of exigencies or urgency, resolutions are passed by circulation.

Detailed agenda, management reports and other explanatory statements are circulated in advance in the defined agenda format amongst the members for facilitating meaningful, informed and focused decisions at the meetings. Where it is not practicable to circulate any document or the agenda is of confidential nature, the same is tabled at the meeting with the approval of Chairman.

The meetings of the Board of Directors are normally held at the Corporation's registered office in New Delhi. 8 Board Meetings were held during the financial year 2013-14. Details of number of Board meetings attended by each of the Directors are given below:-

S.No	Directors	Board meetings Held during the year	Attended	No. of other Director-ships
1.	Shri V.K. Gaur, Chairman-cum-Managing Director	8	8	
2.	Shri M.M. Sharma, Director (Finance)	8	7	3
3.	Shri Sanjay Khatal, Director (Commercial)	8	7	1
4.	Shri Dinesh Arora, Director	8	7	Nil
5.	Shri R.K. Mishra, Director*	8	1	Nil

^{*} Attended 1st Board Meeting held on 26.03.2014 immediately after appointment.



d) Remuneration of the Directors

i) Functional Directors

S.No.	Name & Designation	Gross Emoluments (Rs. in lakhs)		
1.	Shri V.K. Gaur, Chairman-cum-Managing Director.			
	i w.e.f.12.6.2013 to 31.03.2014-	16.60		
	with additional charge of CMD, SFCI.			
	ii. w.e.f. 01.04.2013 to 11.06.2013- additional			
	charge of NSC and regular CMD- SFCI			
2.	Shri M.M. Sharma, Director (Finance)	21.50		
3.	Shri Sanjay Khatal, Director (Commercial)			
	(w.e.f. 27.05.2013 to 31.03.2014)	15.20		

ii) Part-time Official Director

No remuneration is paid to the Part-time Official Directors by the Corporation.

iii) Part time Non-official Director

No remuneration other than sitting fee is being paid to Part-time Non-official Directors, when appointed.

3. RISK MANAGEMENT:

In pursuance of Clause 7.3 of DPE guidelines on Corporate Governance for CPSEs, NSC is committed for risk management as an element of its strategy to safeguard the Corporation's assets from any injury, loss or damage that could materially affect its ability to discharge its responsibility towards farmers, employees and other members of the public. Risk management process includes risk identification, risk assessment, risk valuation, categorization and risk treatment plan for mitigation of the risks. All the fixed assets of the Corporation are insured through insurance policy and there is a proper internal control system to check the frauds. There is a clear laid-down practice for appointing the independent Chartered Accountants for all the Regional Offices as well as Head Office for undertaking quarterly internal audit and verification of the assets at the end of the year. Once a fraud is detected, disciplinary action is taken by following the set approved procedure after conducting investigation and enquiry. The assets of the Company are properly insured. The Corporation has also formulated the Risk Management Policy.



4. ACCOUNTABILITY OF DIRECTORS

Memorandum of Understanding (MoU) is entered into annually by the Corporation with Government of India (GOI) in the beginning of the year setting the targets in financial and non financial area with weightages decided in consultation with GOI. The performance of the Corporation is measured at the end of the year vis-à-vis these targets. The performance with regard to MoU is reviewed regularly within the Corporation on quarterly basis. Slippages, if any, are identified and necessary remedial actions are suggested in these forums.

At the end of each financial year the MoU achievements report is furnished to Ministry of Agriculture and performance of the Corporation is evaluated by Ministry of Agriculture and Department of Public Enterprises Task Force on the basis of actual achievements as per signed MoU.

5. GENERAL BODY MEETING

Annual General Meeting

Date, time and location where the last three Annual General meetings were held are as under:-

Date	29.09.2011		21.09.2012		26.09.2013		
Time 02.		02.30PM		11.45 AM		11.45 AM	
Venue	ue Registered Office at		Registered Office at		Registered Office		
	Beej Bhavan, Pusa		Beej Bhavan, Pusa		at Beej Bhavan,		
	Complex, New Delhi		Complex, New Delhi		Pusa Complex, New Delhi		
Special	Special NIL		NIL		Yes		
Resolution							
Attendance	1.	Shri S.K.Roongta	1.	Shri S.K.Roongta	1.	Shri V.K. Gaur	
	2.	Dr. P.V. Salvi	2.	Shri S. Selvaraj	2.	Sh.Ram Kumar,	
						Representative of President of India	
	3.	Sh.Y.R.Purandare	3.	Dr.N.Emayavaramban	3.	Sh.Ram Kumar, US(Seeds)	
	4.	Sh.Gopal Sadhwani	4.	Shri M.M. Sharma	4.	Sh. Dinesh Arora	
					5.	Sh. M.M. Sharma	
					6.	Sh. Sanjay Khatal	



6. **DISCLOSURES**

a) Related Party Transactions

As per the disclosures given by the Directors of the Corporation there were no related party transactions that have potential conflict with the interest of the Corporation at large.

b) Accounting Treatment:

The financial statements are prepared with applicable mandatory Accounting Standards and relevant presentational requirements of the Companies Act, 1956.

7. MEANS OF COMMUNICATIONS

Operational and financial performance of the Corporation was uploaded on Corporation's website www.indiaseeds.com .

8. AUDIT QUALIFICATIONS:

It is always the Corporation's endeavour to present an unqualified financial statement. Management reply to the statutory auditors' observations on the accounts of the Corporation for the year ended 31st March, 2014 are forming part of Directors' Report.

9. SHAREHOLDING PATTERN OF THE CORPORATION

100% shares of the Corporation are held by Government of India.

10. WHISTLE BLOWER POLICY:

Being a public sector undertaking, the records of the Corporation are open to audit by Comptroller and Auditor General of India and open to inspection by Vigilance. Your Corporation had an independent Vigilance department headed by Part-time Chief Vigilance Officer. The Vigilance department is functioning under the overall guidance of the Central Vigilance Commission and lays stress on preventive vigilance.



RAVI. S. SHARMA & ASSOCIATES

Company Secretaries

CERTIFICATE OF CORPORATE GOVERNANCE

To the Members of

National Seeds Corporation Limited,

Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi-110012

We have examined the compliance of the conditions of Corporate Governance by **National** Seeds **Corporation Limited,** ["the Corporation"] for the year ended on 31st March 2014, as envisaged in the Office Memorandum No.18(8)/2005-GM dated 14th May, 2010 issued by the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises, Government of India.

The compliance of the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Corporation for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Corporation.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, and according to the records and documents maintained by the Corporation, we certify that the Corporation has complied with the conditions of Corporate Governance, as stipulated in the guidelines on corporate governance issued by the Department of Public Enterprises for Central Public Sector Enterprises (CPSEs) except (i) *The time gap between two Board meetings exceeded more than three months; (ii) The Corporation has not constituted Audit Committee during the financial year; and (iii) The Corporation has not reconstituted Remuneration Committee during the financial year.*

However it has been clarified by the company that despite requesting the administrative Ministry to appoint the Independent Directors who are mandatory in the Audit Committee & Remuneration Committees, these Directors have not been appointed as yet and therefore the Audh committee is not in existence.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Corporation nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Corporation.

For, Ravi S Sharma & Associates

Company Secretaries

Sd/-

Place: New Delhi Ravi S. Sharma

Date:08.08.2014 (Proprietor)

Office: 2749, 4th Floor, Lane No. 13, Main Patel Road, Ranjeet Nagar, New Delhi - 110008, Tel/Fax +91-11-25701748



Office of the Principal Director of Commercial Audit & Ex-officio Member, Audit Board-IV, New Delhi.

No. 271-PDCA/HS/MAB-IV/A/cs/NSC/14-15/504

Dated: 26.09.2014

To,

The Chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited, Beej Bhawan, Pusa Complex, New Delhi-110012.

Sub: Comments of the Comptroller & Auditor General of India under Section 619 (4) of the Companies Act, 1956 on the accounts of National Seeds Corporation Limited for the year ended 31st March 2014.

Sir,

I am to enclose the comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 619 (4) of the Companies Act, 1956 on the accounts of **National Seeds Corporation Limited** for the year ended 31st March 2014.

The receipt of the letter may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

Encl: As above

(Suparna Deb)

Principal Director of Commercial Audit &

Ex-Officio Member, Audit Board-IV

8th & 9th Floor Annexe Building, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 Tel. 23239413, 23239415, 23239419, 23239420 Fax: 23239416 Email: mabNewdelhi4@cag.gov.in



COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619 (4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE ACCOUNTS OF NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2014.

The preparation of financial statements of **National Seeds Corporation Limited** for the year ended 31st March 2014 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the company. The Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 619 (2) of the Comapnies Act, 1956 are responsible for expressing opinion on these financial statements under Section 227 of the Companies Act, 1956 based on the independent audit in accordance with the Standards on Auditing prescribed by their professional body, the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 18.08.2014.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under Section 619(3)(b) of the Companies Act, 1956 of the financial statements of **National Seeds Corporation Limited** for the year ended 31st March 2014. This supplementary audit has been carried out indpendently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquires of the statuory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditor's report under Section 619(4) of the Companies Act, 1956.

For and on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India

(Suparna Deb)

Principal Director of Commercial Audit & Ex-Officio Member, Audit Board-IV

Date: 26.09.14

Place: New Delhi.



INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To The Members of National Seeds Corporation Limited

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of **National Seeds Corporation Limited** ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2014, and the Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the accounts of the Head Office and the Regional Offices at Chandigarh, Jaipur, Lucknow and Bhopal audited by us and six other Regional Offices at Chennai, Bangalore, Hyderabad, Pune, Kolkata and Patna, audited by Branch Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India, whose reports have been considered by us in framing our Report.

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the Accounting Standards notified under the Companies Act, 1956 ("the Act") read with the General Circular 15/ 2013 dated September 13, 2013 of the Ministry of Corporate Affairs in respect of Section 133 of the Companies Act, 2013. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.



Basis for Qualified Opinion

- a) Note no. 5 regarding capital grant of ₹ 45 lacs for procurement of equipments for seed testing laboratories which had not been utilized and needs to be refunded to the grant sanctioning authority, and being in the nature of a currently refundable obligation and resulting in the overstatement of capital grant and understatement of current liabilities to that extent, needs to be correctly classified in the Balance Sheet.
- b) Note no. 39 regarding non-availability of details of payment for land and lease deeds in respect of certain offices and non-execution/non-availability of title deeds/lease deeds and finalization of lease amount in respect of certain properties, the financial impact of which, on the accounts, if any, is not ascertainable.
- Note no. 40 regarding balances of Trade Receivables, Loans and Advances, Other Current Assets, Trade payables and other Current Liabilities being subject to confirmation/reconciliation. The precise effect of consequential adjustments upon such confirmation/reconciliation, if any, on the accounts is not ascertainable.
- d) Policy 2.11.3 on Medical Benefit Scheme for retired employees:

The Company has, in note no. 44 (i) to the accounts, stated that there is change in the accounting policy, due to which the profit for the year has been understated by ₹ 93,39,000. The stated change is that while, till 31.3.2013, the amount computed at 1.5% of the profit before tax of the previous year, net of payments to the insurance company towards mediclaim policy, was being appropriated from the surplus for the year and the amount so appropriated was being shown as "Retired Employees Welfare Reserve" under "Reserves and Surplus", for the year ended 31.3.2014, as per the changed accounting policy, the Company has charged the amount, computed on the above basis, at ₹ 93,39,000 (to the Statement of Profit and Loss).

As per the accounting policy, an amount equal to 1.5% of the profits (before tax), of the preceding year, and net of payments for mediclaim insurance cover, was being appropriated from the surplus in the Statement of Profit and Loss (and together with the contributions received from retired employees seeking eligibility to the scheme), was treated as a reserve, carried forward in the balance sheet under the head 'Reserves and Surplus'. The Company, has, for the first time, as at 31.3.2014, got an actuarial valuation made in terms of the Accounting Standard, AS 15 - Employee Benefits (Revised), issued by the Institute of Chartered Accountants of India, to determine the provision required to be disclosed as part of the Long-Term Provisions.

The amount charged (₹ 93,39,000), for the first time to the Statement of Profit and Loss, as stated above, continues to be based on the computation as per previous year's accounting policy (i.e., @1.5% of the preceding year's profits before tax), and not on the basis of the



amount required to be actually charged, with breakup of the chargeable amount for the current and earlier years; also having corresponding effect on the provision for taxation. The amount corresponding to the charge has, however, been shown as an addition to the Reserves, and from the aggregate Reserve as at the year end, the said year-end actuarially determined liability has been transferred to the Provision.

Thus, the precise effect of the change in the policy has not been ascertained and disclosed by the Company, as affecting the Statement of Profit and Loss for the year, while disclosing in the Balance Sheet, the year end actuarially determined (net amount of ₹ 1,91,05,850), as part of "Long Term Provisions for Retired Employees Welfare"; and, contrary to the practice otherwise followed, the Company has not disclosed any movement in the provision under this head. But for the effective change in the accounting policy, the profits of the Company would be higher to the extent of the amount to be determined (instead of the amount of ₹ 93,39,000).

e) <u>CSR Activities</u>:

The Company has, in note no. 44 (ii) to the accounts, stated that there is change in the method of accounting, due to which the profit for the year has been overstated by ₹ 1,21,72,022. The stated change is that while, till 31.3.2013, the actual expenditure incurred during the year on such activities (amount computed with reference to 3% of the profit after tax of the previous year), was being charged to the Statement of Profit and Loss, for the year ended 31.3.2014, as per the changed method of accounting, the Company has appropriated the amount, computed on the above basis, (spent ₹ 1,21,72,022 and unspent ₹ 11,20,000) from surplus for the year and credited the unspent amount of ₹ 11,20,000 to "Unspent CSR Reserve" under "Reserves and Surplus".

Due to the change in the method of accounting as stated above, the profits of the Company for the year, are higher to the extent of ₹ 1,21,72,022, subject also to the effect of actual tax implications / adjustments, as regards expenditure in respect of CSR activities, that need to be examined by the Company, based on expert advice; and, accordingly, on which possible tax effects, we are unable to express an opinion.

f) <u>Pension Scheme</u>:

As per note no. 47, the Company, in its 252nd Board Meeting held on 15.01.2014 has framed, as per the DPE guidelines, and approved a contributory Pension Scheme, (effective from 1.4.2011), which is pending approval of the related Government Ministry. As per the Scheme, the Company is required to contribute 10% and eligible employees 5% of the basic salary and dearness allowance since the said effective date. Notwithstanding that the scheme has not yet been approved by the Government and is pending implementation, the Company has, during the year ended 31.3.2014, acknowledged a definite obligation and created a provision in respect of the employer's contribution amounting to ₹8,00,39,000 on the above basis, by a charge to the Statement of Profit and Loss.



In the absence of detailed information, we are unable to comment on timing and manner of disclosure of the provision made by the Company in the manner done and particularly pending the formal approval and manner of implementation of the said scheme, also based on the contributory amounts yet to be received from the eligible employees to make the scheme effective, and the contention of the Management that the liability is immediately payable.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraphs, the accompanying financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

- a) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2014;
- b) in the case of the Statement of Profit and Loss, of the profit of the Company for the year ended on that date; and
- c) in the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of matter

In terms of standard agreements entered into with the farmers to whom seeds are sold with a buy back arrangement for the anticipated yields, the Company does not have a system for computation of the amounts in breach of each agreement in this regard nor has it taken, on record, action for recovery/ waiver. The Management, notwithstanding that there was no laid down system, has contended / represented that the Regional Managers have analysed the causes of non receipt of the seed and there is no recovery to be recorded, and that there is no waiver/ recoverable affecting the financial statements. We have placed reliance on such representation and accordingly do not qualify our report on this matter.

Report on other Legal and Regulatory Requirements

- 1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2003, as amended by the Companies (Auditor's Report) (Amendment) Order, 2004 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (4A) of section 227 of the Act, and on the basis of such further checks as we considered necessary and according to the information and explanations given to us, we give in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 4 and 5 of the Order.
- 2. As required by section 227(3) of the Act, we report that:
- a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;



- b) In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books;
- The Balance Sheet, Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement dealt with by this Report c) are in agreement with the books of account;
- d) Except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, in our opinion, the Balance Sheet, Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement comply with the Accounting Standards notified under the Act, read with the General Circular 15/2013 dated September 13, 2013 of the Ministry of Corporate Affairs in respect of Section 133 of the Companies Act, 2013;
- Being a Government Company, pursuant to the Notification no. GSR 829(E) dated 21.10.2003 issued e) by Government of India, provisions of clause (g) of sub-section (1) of section 274 of the Act, are not applicable to the Company.

For K. C. Khanna & Co. **Chartered Accountants** Firm's Registration No. 000481N

H-96, Connaught Circus, New Delhi-110 001

Dated: 18.08.2014

Harsha Chandra Partner Membership No. 080489



Year ended March 31, 2014

Annexure to the Independent Auditor's Report

(Referred to in Paragraph 1 under 'Report on other Legal and Regulatory Requirements' section of even date)

- (i) (a) The Company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of fixed assets.
 - (b) We have been informed that the fixed assets have been physically verified by the Management as at the close of the financial year and no discrepancies have been reported on such verification.
 - (c) The disposal of fixed assets, during the year, at the Company, was not substantial. Such disposal has not affected the going concern status of the Company.
- (ii) (a) As per the information and explanations given to us, the inventory has been physically verified internally and also as at the year-end by independent Chartered Accountants appointed for that purpose. In our opinion, the frequency of such verification is reasonable.
 - (b) As per the information and explanations given to us, the procedures of physical verification of inventory followed are reasonable and adequate in relation to the size of the Company and the nature of its business.
 - (c) The Company is maintaining proper records of inventory. The discrepancies noticed on physical verification were not material and have been properly dealt with in the books of account.
- (iii) According to the information and explanations given to us, the Company has neither granted nor taken any loans, secured or unsecured, to/from any companies, firms or other parties covered in the register maintained under section 301 of the Act. Accordingly, clauses (iii) (b) to (iii) (d) and (iii) (f) to (iii) (g) of paragraph 4 of the Order is not applicable to the Company for the current year.
- (iv) In our opinion and according to the information and explanations given to us during the course of audit, there are internal control systems, generally considered adequate, commensurate with the size of the Company and the nature of its business for the purchases of inventory and fixed assets and with regard to sale of goods and services. During the course of our audit, we have not observed any continuing failure to correct major weaknesses in internal control systems.
- (v) According to the information and explanations given to us, there are no transactions made in pursuance of contracts or arrangements entered into the register required to be maintained under Section 301 of the Act. Accordingly, the provisions of Clause v (b) of paragraph 4 of the Order are not applicable to the Company.



- (vi) According to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits from the public and accordingly the provisions of sections 58A and 58AA and other relevant provisions of the Act, with regard to the acceptance of deposits do not apply to the Company.
- (vii) In our opinion, the Company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business.
- (viii) As per the information given to us, the Company is maintaining cost records. We have also been informed that the Company has appointed a Cost Accountant to conduct the cost audit for the year 2013-14. However, cost records have not been produced for our verification.
- (ix) (a) According to the information and explanations given to us and the records examined by us, in our opinion, the Company is generally regular in depositing the undisputed statutory dues including provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, wealth-tax, service tax, custom duty, excise-duty and other material statutory dues applicable with the appropriate authorities.

According to the information given to us, statutory dues comprising sales tax (₹ 1,08,897) and labour cess (₹ 81,486) were in arrears, as at March 31, 2014 for a period of more than six months from the date they became payable.



(b) According to the information and explanation given and represented to us, the statutory dues which have not been deposited on account of any dispute, are as under:

S. No.	Name of the Statute	Nature of dues	Amount (₹)	Period to which the amount relates	Forum where dispute is pending
1	Central Sales Tax Act, 1956	Additional Sales Tax	18,110	1987-88	Joint Commissioner (Appeals)- Lucknow
2	Central Sales Tax Act, 1956	Additional Sales Tax	39,202	1988-89	Joint Commissioner (Appeals)- Lucknow
3	Central Sales Tax Act, 1956	Additional Sales Tax	35,700	1989-90	Trade Tax Tribunal-Lucknow
4	UP Trade Tax Act, 1948	Additional Sales Tax	78,846	1989-90	Trade Tax Tribunal-Lucknow
5	UP Trade Tax Act, 1948	Additional Sales Tax	36,140	1993-94	High Court -Lucknow Bench
6	UP Trade Tax Act, 1948	Additional Sales Tax	1,28,498	1998-99	Jt. Commissioner (Appeals)- Lucknow
7	UP Trade Tax Act, 1948	Additional Sales Tax	11,00,744	1999-2000	Trade Tax Tribunal-Lucknow
8	UP Trade Tax Act, 1948	Additional Sales Tax	16,16,007	2000-01	Trade Tax Tribunal-Lucknow
9	Uttaranchal	Additional Sales Tax	3,47,679	2000-01	Dy. Commissioner- Haldwani
10	Central Sales Tax Act, 1956	Additional Sales Tax	55,663	2000-01	Trade Tax Tribunal- Lucknow
11	UP Trade Tax Act, 1948	Additional Sales Tax	61,452	2001-02	Jt. Commissioner (Appeals)- Lucknow
12	UP Trade Tax Act, 1948	Additional Sales Tax	9,03,016	2002-03	Trade Tax Tribunal- Lucknow
13	UP Trade Tax Act, 1948	Additional Sales Tax	1,57,350	2003-04	Trade Tax Tribunal- Lucknow
14	Central Sales Tax Act, 1956	Additional Sales Tax	3,00,150	2003-04	Remand to Assessing Officer- Lucknow
15	UP Trade Tax Act, 1948	Additional Sales Tax	75,662	2004-05	Trade Tax Tribunal- Lucknow
16	Central Sales Tax Act, 1956	Additional Sales Tax	19,45,725	2004-05	Trade Tax Tribunal- Lucknow
17	UP Trade Tax Act, 1948	Additional Sales Tax	1,76,192	2005-06	Trade Tax Tribunal- Lucknow
18	UP Trade Tax Act, 1948	Additional Sales Tax	1,85,787	2006-07	Trade Tax Tribunal- Lucknow



19	UP Trade Tax Act, 1948	Additional Sales Tax	1,62,212	01.04.07- 31.12.07	Remand to Assessing Officer- Lucknow
20	UP Trade Tax Act, 1948	Additional Sales Tax	61,467	01.01.08- 31.03.08	Jt. Commissioner (Appeals)- Lucknow
21	UP Trade Tax Act, 1948	Additional Sales Tax	1,59,19,680	01.01.08- 31.03.08	Jt. Commissioner (Appeals)- Lucknow
22	General Tax	Municipal Tax	5,36,975	01.04.87- 31.03.02	Municipal Corporation-Kanpur
23	Uttar Pradesh Agriculture Produce Marketing Act, 1964	Mandi Fees (Kashipur)	8,03,307	1.4.2000 to 31.3.2004	Agriculture Marketing Board- Rudrapur (Uttrakhand)
24	ESI Contributions	Shajahanpur	6,82,542	1999	Civil Judge ESI-Bareilly
25	Amravati Mahanagar Palika, Pune	Municipal Tax	2,81,697	2004-05 to 2011-12	Amravati Mahanagar Palika, Pune
26	Sales Tax, Bihar	BST Assessment	1,35,205	2004-05	Joint Commissioner of Commercial Tax (Appeals), Patna Division, Patna (Bihar)
27	Sales Tax, Bihar	CST Assessment	3,12,232	2004-05	Joint Commissioner of Commercial Tax (Appeals), Patna Division, Patna (Bihar)
28	M P VAT Act, 2002	VAT	41,412	2010-11	Addl. Commissioner, Div 1, Commercial Tax Deptt., Bhopal
29	Assam General Sales Tax & CST	Sales Tax	19,25,730	2003-04 to 2005-06	Assam Sales Tax Tribunal - Guwahati
30	Income-tax Act, 1961	Income- tax	49,03,736	Assessment year 2011-12	Commissioner (Appeals)-XVI, New Delhi

- (x) The Company has neither accumulated losses as at the end of the financial year nor incurred cash losses during the financial year and in the immediately preceding financial year.
- (xi) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not defaulted in repayment of dues to any financial institution or bank. The Company does not have any debenture holders.
- (xii) According to the information and explanations given to us, the Company has not granted loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities, and accordingly, the maintenance of records in this regard is not relevant for the year.
- (xiii) The Company is not a chit fund or a nidhi/mutual benefit fund/society; and accordingly, the provisions of clause 4 (xiii) of the Order are not applicable to the Company.

्र ज एससी **NSC**

(xiv) In our opinion, the Company is not dealing in or trading in shares, securities, debentures and other investments. Accordingly, the provisions of clause 4 (xiv) of the Order are not applicable to the Company.

(xv) In accordance with the information and explanations given to us, the Company has not given any guarantee for loans taken by others from bank or financial institutions.

(xvi) In accordance with the information and explanations given to us, the Company has not taken any term loan during the year.

(xvii) According to the information and explanations given to us and on an overall examination of the balance sheet of the Company, we report that no funds raised on short-term basis have been used for long-term investment.

(xviii) During the year the Company has not made any preferential allotment of shares to parties and companies covered in the register maintained under section 301 of the Act.

(xix) As per its records, the Company has not issued any debentures during the year.

(xx) The Company has not raised any money by public issue during the year.

(xxi) According to the information and explanations given to us, no fraud on or by the Company has been noticed or reported during the course of our audit.

For K. C. Khanna & Co. Chartered Accountants Firm's Registration No. 000481N

H-96, Connaught Circus, New Delhi-110 001 Dated: 18.08.2014

Partner Membership No. 080489

Harsha Chandra



ADDENDUM TO THE DIRECTORS' REPORT

REPLY OF BOARD OF DIRECTORS U/S 217(3) OF THE COMPANIES ACT, 1956

Main Report	Observation of Auditors Report	Reply of Board of Directors u/s 217(3) of the Companies Act, 1956
a)	Note no. 5 regarding capital grant of ₹ 45 lacs for procurement of equipments for seed testing laboratories which had not been utilized and needs to be refunded to the grant sanctioning authority, and being in the nature of a currently refundable obligation and resulting in the overstatement of capital grant and understatement of current liabilities to that extent, needs to be correctly classified in the Balance Sheet.	NSC had received grant-in-aid from Govt. of India of ₹ 45 lacs for procurement of equipments for its existing seed testing laboratories. NSC utilized the part of grant for strengthening of DNA Finger Printing lab at HO and requested Ministry of Agriculture (MOA) to revise the purpose of Grant-in-aid accordingly. MOA considered the proposal and instructed vide letter No. 5-2/2013-SD.IV dated 09.05.2014 to refund balance amounting to ₹ 18,38,728/- out of above grant which has been deposit by the corporation vide cheque no. 094681 dated 15.07.2014 with MOA.
b)	Note no. 39 regarding non-availability of details of payment for land and lease deeds in respect of certain offices and non-execution/non-availability of title deeds/lease deeds and finalization of lease amount in respect of certain properties, the financial impact of which, on the accounts, if any, is not ascertainable.	The present status has already been indicated in note no. 39. However, the management is pursuing constantly to get the title/ lease deed executed from the concerned authorities.
c)	Note no. 40 regarding balances of Trade Receivables, Loans and Advances, Other Current Assets, Trade payables and other Current Liabilities being subject to confirmation/reconciliation. The precise effect of consequential adjustments upon such confirmation/reconciliation, if any, on the accounts is not ascertainable.	As disclosed in note no. 40 regarding balance of trade receivables, loans and advances, other current assets, trade payables and other current liabilities being subject to confirmation/ reconciliation. The required provision for doubtful debts has been created in books of accounts. Confirmation of the balances are being obtained at Regional office level and it is clearly mentioned in the confirmation



letters that in case, no confirmation is received, it will be presumed that balance communicated to the party is confirmed.

d) Policy 2.11.3 on Medical Benefit Scheme for retired employees: The Company has, in note no. 44 (i) to the accounts, stated that there is change in the accounting policy, due to which the profit for the year has been understated by ₹93,39,000. The stated change is that while, till 31.3.2013, the amount computed at 1.5% of the profit before tax of the previous year, net of payments to the insurance company towards mediclaim policy, was being appropriated from the surplus for the year and the amount so appropriated was being shown as "Retired Employees Welfare Reserve" under "Reserves and Surplus", for the year ended 31.3.2014, as per the changed accounting policy, the Company has charged the amount, computed on the above basis, at ₹ 93,39,000 (to the Statement of Profit and Loss).

Change in accounting policy and impact of change in respect of Medical Benefit Scheme for retired employees has been disclosed in note no. 44(i). The note no. 44 coupled with the observation of auditors is self explanatory.

As per the accounting policy, an amount equal to 1.5% of the profits (before tax), of the preceding year, and net of payments for mediclaim insurance cover, was being appropriated from the surplus in the Statement of Profit and Loss (and together with the contributions received from retired employees seeking eligibility to the scheme), was treated as a reserve, carried forward in the balance sheet under the head 'Reserves and Surplus'. The Company, has, for the first time, as at 31.3.2014, got an actuarial valuation made in terms of the **Accounting Standard, AS 15 - Employee Benefits** (Revised), issued by the Institute of Chartered Accountants of India, to determine the provision required to be disclosed as part of the Long-Term Provisions. The amount charged (₹ 93,39,000), for the first time to the Statement of Profit and Loss,



as stated above, continues to be based on the computation as per previous year's accounting policy (i.e., @1.5% of the preceding year's profits before tax), and not on the basis of the amount required to be actually charged, with breakup of the chargeable amount for the current and earlier years; also having corresponding effect on the provision for taxation. The amount corresponding to the charge has, however, been shown as an addition to the Reserves, and from the aggregate Reserve as at the year end, the said year-end actuarially determined liability has been transferred to the Provision.

Thus, the precise effect of the change in the policy has not been ascertained and disclosed by the Company, as affecting the Statement of Profit and Loss for the year, while disclosing in the Balance Sheet, the year end actuarially determined (net amount of ₹ 1,91,05,850), as part of "Long Term Provisions for Retired Employees Welfare"; and, contrary to the practice otherwise followed, the Company has not disclosed any movement in the provision under this head. But for the effective change in the accounting policy, the profits of the Company would be higher to the extent of the amount to be determined (instead of the amount of ₹ 93,39,000).

e) CSR Activities: The Company has, in note no. 44
(ii) to the accounts, stated that there is change in the method of accounting, due to which the profit for the year has been overstated by ₹ 1,21,72,022. The stated change is that while, till 31.3.2013, the actual expenditure incurred during the year on such activities (amount computed with reference to 3% of the profit after tax of the previous year), was being charged to the Statement of Profit and Loss, for the year ended 31.3.2014, as per the changed method of accounting, the Company has appropriated the

Change in accounting policy and impact of change in respect to CSR activities has been disclosed in note no. 44(ii). As regards, tax implications, the company has made provision for taxation in terms of the applicable provisions of Income Tax Act, 1961.



amount, computed on the above basis, (spent ₹ 1,21,72,022 and unspent ₹ 11,20,000) from surplus for the year and credited the unspent amount of ₹ 11,20,000 to "Unspent CSR Reserve" under "Reserves and Surplus".

Due to the change in the method of accounting as stated above, the profits of the Company for the year, are higher to the extent of ₹ 1,21,72,022, subject also to the effect of actual tax implications/ adjustments, as regards expenditure in respect of CSR activities, that need to be examined by the Company, based on expert advice; and, accordingly, on which possible tax effects, we are unable to express an opinion.

f) Pension Scheme: As per note no. 47, the Company, in its 252nd Board Meeting held on 15.01.2014 has framed, as per the DPE guidelines, and approved a contributory Pension Scheme, (effective from 1.4.2011), which is pending approval of the related Government Ministry. As per the Scheme, the Company is required to contribute 10% and eligible employees 5% of the basic salary and dearness allowance since the said effective date. Notwithstanding that the scheme has not yet been approved by the Government and is pending implementation, the Company has, during the year ended 31.3.2014, acknowledged a definite obligation and created a provision in respect of the employer's contribution amounting to ₹8,00,39,000 on the above basis, by a charge to the Statement of Profit and Loss.

In the absence of detailed information, we are unable to comment on timing and manner of disclosure of the provision made by the Company in the manner done and particularly pending the formal approval and manner of implementation of the said scheme, also based on the contributory amounts yet to be received from the eligible employees to make the scheme effective, and the contention of the Management that the liability is immediately payable.

As disclosed in note no. 47, company has made the provision for employer contribution towards contributory pension scheme w.e.f. 01.04.2011. Further, the provision has been made on the basis of guidelines issued by the Department of Public Enterprises and recommendation of Board of Directors of the Company to the Administrative Ministry. As the scheme is to be implemented w.e.f. 01.04.2011 and the Board has considered the issue in the F.Y. 2013-14, the provision has been created in the F.Y. 2013-14.



Annexure to the Audit report u/s 224(4A) of the Company Act, 1956

Para: i(a), i(b), i(c), ii(a), ii(b), ii(c), iii, iv, v, vi, vii, ix(b), x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix, xx, xxi being statement of facts, need no reply, except:

Para-viii: As per Cost Auditors Reports para-(ii), proper cost records, as per company (Cost Accounting Records) Rules, 2011 prescribed under clause (d) of sub section (1) of section 209 of the Companies Act, 1956 have been maintained by the Company. Cost Audit Report for the F.Y. 2013-14 has been signed on 13.08.2014 and same has been uploaded at MCA website on 28.08.2014.

Para-ix(a): Statutory dues comprising Sales Tax (₹ 1,08,897) is already deposited by Regional Office's Lucknow and Secunderabad. Regarding labour cess of ₹ 81,486/- RM (Lucknow) is in process to deposit through concerned contractor's or directly.



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED Balance Sheet as at March 31, 2014

		Note No.	Figures as at the end of the current reporting period ended 31.03.2014	Figures as at the end of the previous reporting period ended 31.03.2013
			₹	₹
	EQUITY AND LIABILITIES			
1)	Shareholders' funds			
,	Share capital	3	226,812,000	206,193,000
	Reserves and surplus	4	<u>2,422,015,519</u>	1,973,084,924
	TOTAL (1)		<u>2,648,827,519</u>	<u>2,179,277,924</u>
(2)	Share application money pending allotment		<u>·</u>	
(3)	TOTAL (2) Non-current liabilities		<u> </u>	
(3)	Capital grant	5	169,580,617	137,322,095
	Other long-term liabilities	6	277,526,003	297,094,473
	Long-term provisions	7	<u> 175,793,389</u>	<u> 150,812,531</u>
	TOTAL (3)		<u>622,900,009</u>	<u>585,229,099</u>
(4)	Current liabilities			
	Short-term borrowings	8	50,428,934	310,971,462
	Trade payables	9	651,146,226	1,050,204,722
	Other current liabilities Short-term provisions	10 11	554,897,866 315,839,844	451,547,276 129,448,344
	TOTAL (4)	11	<u></u>	<u> </u>
	TOTAL (1+2+3+4)		4,844,040,398	4,706,678,827
II	ASSETS			
(5)	Non-current assets Fixed assets			
	- Tangible assets	12	383,506,852	309,861,228
	- Intangible assets	13	590,326	1,140,489
	- Capital work-in-progress	14	8,197,577	7,841,727
	Non-current investments	15	78,068,502	88,706,500
	Deferred tax assets (net)	16	116,047,696	77,679,323
	Long-term loans and advances	17	<u>31,222,370</u>	<u>28,304,959</u>
(6)	TOTAL (5) Current assets		<u>617,633,323</u>	<u>513,534,226</u>
(0)	Inventories	18	518,484,358	778,370,581
	Trade receivables	19	717,140,159	646,680,979
	Cash and cash equivalents	20	1,301,457,164	139,387,751
	Short-term loans and advances	21	808,263,899	1,005,265,697
	Other current assets	22	881,061,495	<u>1,623,439,593</u>
	TOTAL (6) TOTAL (5+6)		<u>4,226,407,075</u> 4,844,040,398	<u>4,193,144,601</u> <u>4,706,678,827</u>
	Corporate Information	1	4,044,040,330	4,/00,0/0,02/

Mohd. Raquim Company Secretary M.M. Sharma Director (Finance) V.K. Gaur Chairman-cum-Managing Director

As per our report of even date For K. C. Khanna & Co. Chartered Accountants Firm's Registration No. 000481N

Harsha Chandra Partner Membership No. 080489 Dated : 18-08-2014

Place : New Delhi Dated : 31st July, 2014



Statement of Profit and Loss for the year ended March 31, 2014

	Note No.	Figures for the current reporting period ended	Figures for the previous reporting period ended
		31.03.2014	31.03.2013
REVENUE:		₹	₹
Revenue from operations	23	7,211,118,153	6,847,739,722
Other Income	24	<u>176,346,229</u>	64,822,576
Total Revenue		<u>7,387,464,382</u>	<u>6,912,562,298</u>
EXPENSES:			
Cost of materials consumed	25	165,433,308	244,320,550
Purchases of stock-in-trade	26	4,647,880,205	4,971,053,103
Changes in inventories of finished goods and stock-in-trade	27	285,476,798	(83,873,795)
Employee benefits expense	28	685,142,346	525,663,495
Finance costs	29	16,092,771	49,479,033
Depreciation and amortisation expenses	12 & 13	26,685,108	32,983,851
Other expenses	30	743,927,949	<u>560,252,812</u>
Total Expenses		<u>6,570,638,485</u>	6,299,879,049
Profit before exceptional, extraordinary, prior period item	ns and tax	816,825,897	612,683,249
Exceptional items	31	(471,621)	(812,960)
Profit before extraordinary, prior period items and tax		817,297,518	613,496,209
Extraordinary items	32	10,637,998	-
Profit before prior period items and tax		806,659,520	613,496,209
Prior period items (net)	33	8,916	(9,147,740)
•			
Profit before tax		806,650,604	622,643,949
Tax expense: - Current tax		304,800,000	218,568,829
- Deferred tax	16	(38,368,373)	(39,997,974)
- Taxation relating to earlier years	10	(30,300,373)	(33,937,974) 1,065,151
Total		<u>265,984,222</u>	<u>179,636,006</u>
Profit for the year		<u>540,666,382</u>	443,007,943
Tront for the year			
Earnings per equity share (Face Value of ₹ 1,000 each):	37		
Basic and Diluted before extraordinary items		2,430.67	1,953.19
Basic and Diluted after extraordinary items		2,383.76	1,953.19
Corporate Information	1		
Significant accounting policies	2		

The accompanying notes from 1 to 50 form part of the financial statements

Mohd. Raquim M.M. Sharma V.K. Gaur Company Secretary Director (Finance) Chairman-cum-Managing Director

Place : New Delhi Dated : 31st July, 2014 As per our report of even date For K. C. Khanna & Co. Chartered Accountants Firm's Registration No. 000481N

> Harsha Chandra Partner Membership No. 080489 Dated: 18-08-2014



Notes on Financial Statements for the year ended March 31, 2014

1 CORPORATE INFORMATION:

National Seeds Corporation Limited (NSC) was established in 1963 to undertake production of foundation and certified seeds. It is wholly owned by Government of India under the administrative control of Ministry of Agriculture. It is a Schedule 'B'-Miniratna Category-I Company.

With the launching of the National Seed Project (NSP) in 1974, NSC was assigned the lead role to develop the seed industry in the country on sound lines. It undertakes production of certified seeds of nearly 600 varieties of 60 crops through its registered seed growers. There are about 8,000 registered seed growers all over the country who are undertaking the seed production programmes in different agro-climatic conditions.

NSC has 10 Regional Offices, 77 Area Offices, 43 Seed processing plants, 6 Air-conditioned seed storage facilities, 2 vegetable seed packing centers, 5 seed testing labs and one DNA finger printing lab to meet the demands of diverse agro ecological situations across the country. Besides production and distribution of quality seeds, NSC is also involved in the production of Tissue Culture Plants like banana. It also undertakes supply of seedlings/saplings of fruits crops through procurement from the MOU Partners. Seed marketing is carried out through three channels namely sale through dealers/distributors, Government (State/Central) and through its own sales counter. There are about 2,500 dealers of the Corporation who account for more than 69% of the sales turn over.

NSC plays a key role in the implementation of various schemes of the Government of India like integrated scheme for "Oil seeds, Pulses, Oil and Palm & Maize" (ISOPOM), "National Food Security Mission (NFSM)" and "National Horticulture Mission" (NHM). It also provides technical support to the seed producing agencies including State Seed Corporations by imparting training of personnel engaged in the production of seeds in that organization. NSC is the nodal agency for the implementation of the Central Sector Scheme to create infrastructure facilities for establishment of processing plants and storage godowns in different states in the private sector.

2 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

2.1 **Basis of accounting:**

The Financial Statements are prepared under the historical cost convention, on accrual basis, in accordance with the generally accepted accounting principles in India and to comply with the Accounting Standards prescribed in the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 issued



Notes on Financial Statements for the year ended March 31, 2014

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Contd.):

by the Central Government in exercise of the power conferred under sub-section (1)(a) of Section 642 and the relevant provisions of the Companies Act, 1956 (the "Act").

All assets and liabilities are classified as current or non-current, wherever applicable as per the operating cycle of the Company as per the guidance as set out in Schedule VI to the Act.

2.2 Use of Estimates:

The preparation of the financial statements in conformity with the accepted accounting principles, requires estimates and assumptions to be made that affect the reported amount of assets and liabilities and disclosures relating to contingent liabilities on the date of the financial statements and the reported amounts of the income and expenses and the results of operations during the reporting period.

Difference between the actual results and the estimates are recognized in the period in which the results materialise.

2.3 Revenue Recognition:

- 2.3.1 Revenue from sales and services is recognized when the same is measurable at the time of sale or the rendering of the service and no significant uncertainty exists regarding the amount of the consideration that will be derived from the sale or rendering the service.
- 2.3.2 Transactions involving sales are based on transfer to the buyer, of all significant risks and rewards of ownership in the goods and, in the case of rendition of service, of the eligible performance.
- 2.3.3 Recognition of revenue is postponed due to the effect of uncertainties of ultimate collection, and revenue is recognized in the period when such uncertainties cease to exist.

2.4 Expenditure:

Expenses are accounted for on accrual basis and provisions are made for all known losses and liabilities.



Notes on Financial Statements for the year ended March 31, 2014

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Contd.):

2.5 Fixed Assets:

2.5.1 Fixed assets are stated at cost, less accumulated depreciation/ amortization and impairment loss, if any.

Cost includes all direct costs attributable to the acquisition and installation of fixed assets, including taxes, duty, freight and incidental cost and expenses directly attributable to bringing the asset to its working condition for its intended use.

- 2.5.2 Premium paid on acquisition of leasehold land, is treated as cost.
- 2.5.3 Capital work-in-progress is stated at cost.

2.6 **Depreciation and Amortisation:**

- 2.6.1 Depreciation, other than on leasehold land, and except as otherwise stated, is charged on the Written Down Value (WDV) method at the rates and on the basis prescribed as per Schedule XIV to the Act.
- 2.6.2 Roads are depreciated in equal installments over a period of 5 years from the year of their completion.
- 2.6.3 Premium on leasehold land, other than on perpetual lease, is amortized over the period of the lease.
- 2.6.4 Fixed assets, each costing ₹ 5,000 or less, are fully depreciated in the year of acquisition.
- 2.6.5 Computer Software is amortized in equal installments over a period of 5 years from the year of its acquisition.

2.7 Inventories:

- 2.7.1 Inventories are valued at lower of cost and net realizable value.
- 2.7.2 The basis of cost determination in respect of inventories carried, is:
 - a. the Weighted Average cost for seeds.
 - b. estimated cost/realizable value for stores, spares and consumables comprising certification, packing and treatment materials.



Notes on Financial Statements for the year ended March 31, 2014

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Contd.):

2.7.3 Condemned and unserviceable seed stocks are valued at estimated realizable value calculated on the basis of weighted average of sale price of such stocks actually disposed off during the year or at previous year rate if such stocks are not disposed off during the year.

2.8 Investments:

2.8.1 Long term investments are stated at cost.

Provision is made for diminution in the value of the long term investments, if such decline is other than temporary.

2.8.2 Current Investments are carried at cost or fair value, whichever is lower.

2.9 Foreign Currency Transactions:

- 2.9.1 Transactions in foreign currency are recorded at the rate of exchange prevailing at the time the transactions are affected. Exchange differences arising on settlement of foreign currency transactions are recognized in the Statement of Profit and Loss.
- 2.9.2 Monetary items denominated in foreign currency are restated and converted into Indian rupees using the exchange rate prevailing at the date of the Balance Sheet and the resulting exchange difference is recognized in the Statement of Profit and Loss.

2.10 Government Grants:

- 2.10.1 Grants-in-aid of the nature of promoter's contribution are treated as Capital Reserve.
- 2.10.2 Cost of depreciable fixed assets acquired out of and having nexus to grant-in-aid, is credited to "Utilised Capital Grant" which is in the nature of a reserve. Depreciation on such assets is deducted from this reserve and is recognized as 'Income' in the Statement of Profit and Loss.
- 2.10.3 Unutilised/unspent amount of the grants are disclosed under Capital Grants.

2.11 Employee Benefits:

2.11.1 Post employment benefits and other long term benefits plans:

For defined benefit schemes and other long term benefit plans, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at the balance sheet date.



Notes on Financial Statements for the year ended March 31, 2014

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Contd.):

Actuarial gains and losses are recognized in full in the Statement of Profit and Loss for the period in which they occur.

2.11.2 **Gratuity:**

To meet its liability towards gratuity covering eligible employees (including daily rated workers), in compliance of Accounting Standard AS 15 – Employee Benefits, the Corporation funds a Trust, which pays premium based on actuarial valuation applying the Project Unit Credit Method for this purpose.

2.11.3 Medical Benefit Scheme for retired employees:

In accordance with the guidelines of the Department of Public Enterprises, Government

of India and the approval of the Board of Directors, an amount computed at the prescribed percentage of the Profit before Tax of the previous year is charged to the Statement of Profit and Loss and a Reserve titled "Retired Employees Welfare Reserve" is created for the corresponding amount.

Based on the actuarial valuation, the liability so assessed is considered as a long term provision under Non Current Liabilities carved out of the Retired Employees Welfare Reserve referred to above.

2.11.4 Contributions to Provident Fund and other retirement schemes, similar funds:

Payments to defined contribution retirement schemes and other similar funds are expensed as incurred.

The Corporation makes contributions to a statutory provident fund in accordance with the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952. The provident fund trust set up by the Company is treated as a defined benefit plan since the Company has to meet the interest and other shortfalls, if any. Accordingly, the contribution paid or payable and expenses, if any are recognized as an expense in the period in which services are rendered by the employee.

2.11.5 Other Employee Benefits:

The Company's obligation towards earned leave and half pay leave, are actuarially determined and provided for, as per Accounting Standard – 15 (Revised).



Notes on Financial Statements for the year ended March 31, 2014

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Contd.):

2.11.6 Compensation accruing under a scheme for the time being in force, offering option for voluntary retirement/ separation to employees is charged to the statement of profit and loss, in the year when the employees exercise option under such scheme.

2.11.7 **Short Term Employee Benefits:**

The undiscounted amount of short term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by the employees, is recognized as an expense during the period when the employees rendered those services.

2.11.8 Pension Scheme:

In accordance with the guidelines of Department of Public Enterprise (DPE), Govt. of India and approval of Board of Directors, an amount of employer contribution i.e. 10% of

2.12 **Borrowing Costs:**

Borrowing costs that are attributable to the acquisition or construction of qualifying assets are capitalized as part of the cost of such assets. A qualifying asset is one that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale.

All other borrowing costs, as incurred, are charged to the Statement of Profit and Loss.

2.13 Taxes on Income:

- 2.13.1 Tax expense for the year comprises of current Income tax and deferred tax.
- 2.13.2Current tax is measured at the amount expected to be paid to the tax authorities using the applicable tax rates.
- 2.13.3 Deferred taxes are recognized for future tax consequences attributable to the timing differences between the taxable income and the accounting income, that originate in one period, and are capable of reversal in one or more subsequent period(s), measured by using rates and application of laws enacted or substantively enacted as at the end of the financial year.
- 2.13.4In the event of unabsorbed depreciation and carry forward losses, deferred taxes are recognized only to the extent that there is virtual certainty that sufficient future taxable income will be available to realize such assets. In other situations, deferred tax assets are recognized only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available to realize these assets.



Notes on Financial Statements for the year ended March 31, 2014

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Contd.):

2.14 Earnings per share:

2.14.1 **Basic:**

Basic earnings per share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. The weighted average number of equity shares outstanding during the period are adjusted for events of bonus issue and share split.

2.14.2 **Dilutive**:

For the purpose of calculating diluted earnings per share, the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders and the weighted average number of shares outstanding during the period are adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares.

2.15 Impairment of Assets:

An asset is treated as impaired when the carrying cost of the asset exceeds its recoverable value.

An impairment loss is charged to the Statement of Profit and Loss in the year in which an asset is identified as impaired.

Impairment loss recognized in prior accounting period(s), is reversed consequent upon a change in the estimate of the recoverable amount.

2.16 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

- 2.16.1 Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when, as a result of past events, there is a present obligation that can be estimated reliably and it is probable that the there will be an outflow of resources.
- 2.16.2 Contingent liabilities are not recognized, but disclosed in the Notes.
- 2.16.3 Contingent assets are neither recognized nor disclosed in the financial statements.



		Figures as at the end reporting period end		_	end of the previous od ended 31.03.2013
		₹	₹	₹	₹
3	SHARE CAPITAL:				
	AUTHORISED:				
	2,50,000 (Previous Year 2,10,000) equity		250,000,000		210,000,000
	shares of ₹ 1,000 each				
	ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID UP:				
	2,26,812 (Previous Year 2,06,193) equity shares of ₹ 1,000 each fully paid up		226,812,000		206,193,000
	TOTAL		226,812,000		206,193,000
i)	Reconciliation of number of Equity Shares and				
	amount outstanding:				
	<u>Particulars</u>		2013-14		2012-13
		Nos.	₹	Nos.	₹
	Shares outstanding as at the beginning of the year	206,193	206,193,000	206,193	206,193,000
	Shares Issued as Bonus on March 31, 2014	20,619	20,619,000	-	-
	Shares outstanding as at the end of the year	226,812	226,812,000	206,193	206,193,000
ii)	Rights, preferences and restrictions attached to each The Company has one class of equity shares having a par dividend proposed by the Board of Directors is subject to tinterim dividend. In the event of liquidation, the equity share	value of ₹1,000 per sh he approval of the share	holders in the ensuin	g Annual General Mee	eting, except in case of
	preferential amounts, in proportion to their shareholding.	,	.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
iii)	100% Equity Shares are held by the Government of India				
	pregate number of equity shares allotted as fully d up by way of bonus shares:	Nos	₹	Nos	₹
-	ity shares allotted as fully paid up by way onus shares	20,619	20,619,000		



		Figures as at the er reporting period er		•	end of the previous d ended 31.03.2013
		₹	₹	₹	₹
4	RESERVES AND SURPLUS:				
a)	Surplus in Statement of Profit and Loss:				
	Balance as at the beginning of the year	1,929,408,605		1,558,152,521	
	Less: Bonus shares issued	20,619,000		_	
		1,908,789,605		1,558,152,521	
Adı	d: Profit for the year	540,666,382		443,007,943	
		<u>2,449,455,987</u>		<u>2,001,160,464</u>	
	Less:				
	Transfer to Retired Employees Welfare Reserve	-		7,117,155	
Pro	posed Dividend	41,249,898		41,238,600	
	Dividend Distribution Tax	7,010,420		6,689,940	
	Transfer to Unspent CSR Reserve	1,120,000		16,706,164	
	Expenses on CSR	12,172,022		-	
		61,552,340		71,751,859	
	Balance as at the end of the year		2,387,903,647		1,929,408,605
b)	Unspent CSR Reserve:				
	Balance as at the beginning of the year	16,706,164		-	
	Add: Transferred from Surplus in Statement				
	of Profit and Loss	1,120,000		16,706,164	
	Balance as at the end of the year		17,826,164		16,706,164
c)	Retired Employees Welfare Reserve:				
	Balance as at the beginning of the year	26,970,155		19,853,000	
	Add: Allocated during the year	9,339,000		7,451,000	
		36,309,155		27,304,000	
	Less:				
	Amount utilised during the year	917,597		333,845	
	Amount transferred to long term provision	19,105,850		_	
		20,023,447		333,845	
	Balance as at the end of the year		16,285,708		26,970,155
	TOTAL		2,422,015,519		1,973,084,924
	*Liability as per actuarial valuation as at 31.03.2014 transferred to Long Term Provisions				



Notes on Financial Statements for the year ended March 31, 2014

	Figures as at the end of the current reporting period ended 31.03.2014		Figures as at the end of the previou reporting period ended 31.03.201		
	₹	₹	₹	₹	
5 CAPITAL GRANT:					
a) <u>Utilised capital grant:</u>					
Balance as at the beginning of the year	132,822,095		131,896,811		
Add: Utilised during the year	43,700,000		15,000,000		
	176,522,095		146,896,811		
Less: Deductions during the year (Depreciation)	<u> 13,941,478</u>		14,074,716		
Balance as at the end of the year		162,580,617		132,822,095	
(b) Unspent Capital Grant:					
i) For Procurement of equipment of Seed Testing Labs*		4,500,000	_	4,500,000	
ii) For Seed Storage Godown	5,000,000				
Less: Amount utilised	2,500,000	2,500,000		-	
iii) For creation of Seed Processing Plant	41,200,000		15,000,000		
Less: Amount utilised	41,200,000		15,000,000	-	
Total		7,000,000		4,500,000	
TOTAL		169,580,617		137,322,095	

^{*} The Corporation had received grant in aid from Government of India of $\stackrel{?}{\sim}$ 45 lakhs (in two installments of $\stackrel{?}{\sim}$ 22.50 lakhs each) vide letter No. 5-2/2010-SD.IV dated 11.03.2011 for procurement of equipments in respect of its existing seed testing labs at Pune, Bhopal and Kolkata under the component,' Quality Control arrangements on seeds' of the Central Sector Scheme which remain unutilized.

6 OTHER LONG - TERM LIABILITIES:

Security and Other Deposits Revolving Fund For:*		90,196,103		101,872,587
-Seed Production under Drought Prone Area	15,000,000		15,000,000	
-For Establishment and Maintenance of	37,954,900		37,954,900	
Seed Bank Scheme				
-Crash Programme (Oil Seeds)	14,700,000		14,700,000	
-Crash Programme(Pulses)	2,675,000	70,329,900	2,675,000	70,329,900
Margin Money for Working Capital		117,000,000		117,000,000
Gratuity Liability **		_		7,891,986
TOTAL		277,526,003		297,094,473

^{*}Above funds have been used for the purpose these were released during the period from 1994-95 to 2001-02. Production and sales of seeds under above programmes have been merged and shown in the total sales and purchase of seeds of the company. The above funds are part of closing stock, debtors and cash and bank balance of the company.

^{**} Refer Note No. 45



		Figures as at the end reporting period end		_	end of the previous d ended 31.03.2013
		₹	₹	₹	₹
7	LONG-TERM PROVISIONS:				
	For Compensated Absences: *				
	Balance as at the beginning of the year	150,812,531		138,951,523	
	Additions during the year	27,696,630		15,373,921	
	Amount utilised during the year	21,821,622		3,512,913	
	Balance as at the end of the year		156,687,539		150,812,53
	For Retired Employees welfare: **				
	Balance as at the beginning of the year	_		_	
	Additions during the year	19,105,850		-	
	Balance as at the end of the year		19,105,850		•
	Balance as at the end of the year TOTAL		19,105,850 175,793,389		150,812,53
	·	4 transferred from Retired Er	175,793,389	eserve.	150,812,53
	TOTAL * Refer Note No. 45	4 transferred from Retired Er	175,793,389	- : eserve.	150,812,53
 3	* Refer Note No. 45 **Liability as per actuarial valuation as at 31.03.201 SHORT-TERM BORROWINGS:	4 transferred from Retired Er	175,793,389	: eserve.	150,812,53
3	* Refer Note No. 45 **Liability as per actuarial valuation as at 31.03.201 SHORT-TERM BORROWINGS: Loans repayable on demand:	4 transferred from Retired Er	175,793,389	eserve.	
3	* Refer Note No. 45 **Liability as per actuarial valuation as at 31.03.201 SHORT-TERM BORROWINGS: Loans repayable on demand: From Banks:	4 transferred from Retired E	175,793,389	eserve.	10,971,46
8	* Refer Note No. 45 **Liability as per actuarial valuation as at 31.03.201 SHORT-TERM BORROWINGS: Loans repayable on demand: From Banks: - Secured (Cash Credit)*	4 transferred from Retired E	175,793,389	eserve.	10,971,46 300,000,000
*Pr	* Refer Note No. 45 **Liability as per actuarial valuation as at 31.03.201 SHORT-TERM BORROWINGS: Loans repayable on demand: From Banks: - Secured (Cash Credit)* - Unsecured		175,793,389 mployees Welfare Re 50,428,934 - 50,428,934	- =	10,971,46; 300,000,000 310,971,46; tgage on 26 propertie
*Pr	* Refer Note No. 45 **Liability as per actuarial valuation as at 31.03.201 SHORT-TERM BORROWINGS: Loans repayable on demand: From Banks: - Secured (Cash Credit)* - Unsecured TOTAL imarily secured by first charge on all present and future of		175,793,389 mployees Welfare Re 50,428,934 - 50,428,934	- =	10,971,46 300,000,00 310,971,46
*Pr	* Refer Note No. 45 **Liability as per actuarial valuation as at 31.03.201 SHORT-TERM BORROWINGS: Loans repayable on demand: From Banks: - Secured (Cash Credit)* - Unsecured TOTAL imarily secured by first charge on all present and future of the at different parts of the country.		175,793,389 mployees Welfare Re 50,428,934 - 50,428,934	- =	10,971,46; 300,000,000 310,971,46 ;
*Pr	* Refer Note No. 45 **Liability as per actuarial valuation as at 31.03.201 SHORT-TERM BORROWINGS: Loans repayable on demand: From Banks: - Secured (Cash Credit)* - Unsecured TOTAL imarily secured by first charge on all present and future of the dat different parts of the country.	current assets of the Compan	175,793,389 mployees Welfare Re 50,428,934 - 50,428,934	- = cured by equitable mort	10,971,46 300,000,00 310,971,46



		Figures as at the end	d of the current	Figures as at the	end of the previous
		reporting period end		reporting period	l ended 31.03.2013
		₹	₹	₹	₹
10	OTHER CURRENT LIABILITIES:		_		1 010 420
	Interest Accrued and due unsecured loan		2,990,017		1,616,439
	Inspection fee, Registration fee etc. Other Payable:		2,990,017		2,633,276
	Other rayable .				
	Statutory Dues	13,205,493		11,475,692	
	Security and Other Deposits	137,679,778	150,885,271	176,031,172	187,506,864
	Other current liabilities:				
	Payable for fixed assets	66,703,828		8,718,310	
	Others	257,290,598	323,994,426	195,193,560	203,911,870
	Advances for:				
	Production of maize hybrid certified seeds under UNDP	30,859,705		280,919	
	Production of Paddy Seeds	4,204,720		11,317,680	
	Organising training for farmers and other stakeholders	-		112,234	
	Assistance for boosting seeds production in private Sector	40,013,298	75,077,723	40,702,053	52,412,886
	Advance for National Food Security Mission Project Mission	n etc.	1,950,429		3,465,941
	TOTAL		554,897,866		451,547,276
11	SHORT-TERM PROVISIONS:				
	For Productivity Linked Incentive:				
	Balance as at the beginning of the year	5,195,621		9,016,429	
	Additions during the year	_		5,189,544	
	Amounts utilised during the year	5,195,621		9,010,352	
	Balance as at the end of the year		-		5,195,621
	For Compensated Absences: *				
	Balance as at the beginning of the year	14,889,192		14,687,756	
	Additions during the year	21,821,622		30,263,113	
	Amounts utilised during the year	14,889,192		14,687,756	
	Transfer to Long-term Provision	_		15,373,921	
	Balance as at the end of the year		21,821,622		14,889,192
	For Taxation (Net of taxes paid -		,,		,,
	₹ 17,94,81,096: Previous Year ₹ 48,60,50,838):				
	Delenas as at the haringing of the year	61 424 001		110 000 027	
	Balance as at the beginning of the year	61,434,991		110,868,027	
	Additions during the year	125,318,904		218,568,829	
	Amounts utilised during the year	61,434,991	105.010.001	268,001,865	04 404 004
	Balance as at the end of the year		125,318,904		61,434,991
	For Proposed Dividend:				
		41,238,600		20,619,300	
	Balance as at the beginning of the year	41,238,600 41,249,898		41,238,600	



	Figures as at the end of the current reporting period ended 31.03.2014		_	end of the previous d ended 31.03.2013
	₹	₹	₹	₹
For Dividend Distribution Tax:				
Balance as at the beginning of the year	6,689,940		3,344,970	
Additions during the year	7,010,420		6,689,940	
Amounts utilised during the year	6,689,940		3,344,970	
Balance as at the end of the year		7,010,420		6,689,940
For Pension:				
Balance as at the beginning of the year	_		_	
Additions during the year	80,039,000		_	
Amounts utilised during the year				
Balance as at the end of the year		80,039,000		-
For Performance Related Pay:				
Balance as at the beginning of the year	-		_	
Additions during the year	40,400,000		_	
Amounts utilised during the year	<u>-</u>			
Balance as at the end of the year		40,400,000		
TOTAL		315,839,844		129,448,344
* Refer Note No. 45				



Notes on Financial Statements for the year ended March 31, 2014 NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

i		2
	/	2
(֝֜֝֜֜֜֜֜֜֜֝֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜
•		
		<
i	1	

Description As at 01.04.2013 Additions during the year <			GROSS BLOCK	ВГОСК			DEPRECIATION/AMORTISATION	MORTISATION		NET	NET BLOCK
## the year ## t	Description	As at 01.04.2013	Additions during	y Deductions	Asat	Upto	For the year	Deductions	Upto 31.03.2014	Asat	Asat
(1992) (1992			me year	during the year	31.03.2014	31.03.2013				31.03.2014	31.03.2013
100 LAND	12 TANGIBLE ASSETS:	₩ >	₩	**	₩~	₩~	**	**	**	*	**
19,021,913 19,021,913 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,	FREE HOLD LAND	40,626,413		ı	44,059,222	ı	ı	1		44,059,222	40,626,413
CS CS CS CS CS CS CS CS	LEASEHOLD LAND	19,921,913	1	1	19,921,913	1,476,761	200,758	I	1,677,519	18,244,394	18,445,152
AND MACHINERY URE, FIXTURES 33,133,573 638,089 164,919 33,606,743 22,295,910 164,919 33,606,743 22,295,910 18,295,910 22,295,911 18,290 27,711,111 24,991,172 27,631,383 130,900 2,771,111 24,991,172 22,295,910 18,650,071 24,96,933 24,96,933 24,96,933 24,96,933 24,96,933 24,96,933 24,96,933 24,96,933 24,96,933 24,96,933 24,96,933 24,96,933 24,96,933 24,96,933 24,96,933 24,96,933 24,96,933	BUILDINGS	235,678,872	28,169,818	ı	263,848,690	100,781,120	7,466,211	ı	108,247,331	155,601,359	134,897,752
URE, FIXTURES 33,133,573 638,089 164,919 33,606,743 24 FENS 28,285,916 238,360 179,266 28,355,010 18 FERS 27,631,383 130,900 2,771,111 24,991,172 27 18 479,503 - 479,503 27 18 8,650,071 - 388,306 8,251,765 7 18 926,847 - 926,847 7 244 100,240,393 5,257,542 650,080,565 244 244	PLANT AND MACHINERY	159,752,623	67,631,017	1,743,940	225,639,700	67,861,110	13,339,591	1,312,520	79,888,181	145,751,519	91,891,513
128.295,916 238,360 179,266 28,355,010 18	FURNITURE, FIXTURES	33,133,573	638,089	164,919	33,606,743	24,605,046	1,588,472	164,603	26,028,915	7,577,828	8,528,527
FERS 27,631,383 130,900 2,771,111 24,991,172 2; 27,479,503 - 479,503 - 479,503	OFFICE EQUIPMENTS	28,295,916	238,360	179,266	28,355,010	18,766,984	1,385,181	167,772	19,984,393	8,370,617	9,528,932
.S 8,650,071 - 398,306 8,251,765 7 926,847 - 926,847 244 ,993 5,257,542 650,080,565 244	COMPUTERS	27,631,383	130,900	2,771,111	24,991,172	23,710,075	1,615,098	2,756,698	22,568,475	2,422,697	3,921,308
.S 8,650,071 - 398,306 8,251,765 7 926,847 - 926,847	BOOKS	479,503	1	1	479,503	476,793	377	ı	477,170	2,333	2,710
926,847 – 926,847 555,097,114 100,240,993 5,257,542 650,080,565	VEHICLES	8,650,071	1	398,306	8,251,765	7,354,060	335,313	395,525	7,293,848	9,57,917	1,296,011
555,097,114 100,240,993 5,257,542 650,080,565	ROADS	926,847	1	1	926,847	203,937	203,944	1	407,881	518,966	722,910
	TOTAL	555,097,114	100,240,9	93 5,257,542	650,080,565	245,235,886	26,134,945	4,797,118	266,573,713	383,506,852	309,861,228
PREVIOUS YEAR 450,645,285 108,441,335 3,989,506 555,097,114 216,138,690	PREVIOUS YEAR	450,645,285	108,441,3;	35 3,989,506	555,097,114	216,138,690	32,431,442	3,334,246	245,235,886		

ETS	
ASSETS	
ш	
13 <u>INTANGIBL</u>	Ę
NTA	
13	S

ı	ı	933,589	
ı	I	1	
5,213,070	5,213,070	6,146,659	
SOFTWARE	TOTAL	PREVIOUS YEAR	

1,140,489

590,326 590,326

4,622,744 4,622,744 4,072,581

550,163 550,163 552,409

4,072,581

5,213,070 5,213,070 5,213,070

700,657

4,220,829 4,072,581

7,841,727

8,197,577

Capital work-in-progress

Note:

Refer Note No.39 for land and building

¹⁴ CAPITAL WORK-IN-PROGRESS:



		Figures as at the end reporting period end		~	end of the previous d ended 31.03.2013
		₹	₹	₹	₹
15	NON - CURRENT INVESTMENTS: (Trade: Long term : at cost :unquoted)				
a)	Investment in equity instruments of :				
i) 93,	Associates: 150 [Previous Year 93,150] Equity Shares of				
Cor	00 each fully paid-up of Punjab State Seeds poration Ltd.(24.74%) 000 [Previous Year 90,000] Equity Shares of		9,315,000		9,315,000
₹ 10 Dev	00 each fully paid-up of Andhra Pradesh State Seeds elopment Corporation Ltd. (32.64%)		9,000,000		9,000,000
₹10	1,500 [Previous Year 1,11,500] Equity Shares of 00 each fully paid-up of Haryana Seeds Development poration Ltd. (23.31%)		11,150,000		11,150,000
84,0 ₹ 10	000 [Previous Year 84,000] Equity Shares of 00 each fully paid-up of Uttaranchal Seeds &				
1,48	ai Development Corporation Ltd. (23.44%) 3,330 [Previous Year 1,48,330] Equity Shares of DO each fully paid-up of Maharashtra State Seeds		8,400,000		8,400,000
Cor	poration Ltd. (35.45%) 329 [Previous Year 63,829] Equity Shares of		14,833,000		14,833,000
₹10	00 each fully paid-up of Bihar Rajya Beej Nigam Ltd. (20.91%) Less: Provision for diminution in value of shares* Share application money paid: Occupation of the state of th	6,382,900 6,382,899	1	6382900 	6,382,900
	3,226 [Previous Year 3,226] Equity Shares of ₹ 100 each fully paid-up of Bihar Rajya Beej Nigam Ltd. Less: Provision for diminution in value of shares*	322,600 322,600	-	-	322600 322,600
ii)	Total (a) (i) Others:		52,698,001		59,403,500
	14,301 [Previous Year 14,301] Equity Shares of ₹ 100 each fully paid-up of Orissa State Seeds				
	Corporation Ltd. (9.61%) 62,230 [Previous Year 62,230] Equity Shares of ₹100		1,430,100		1,430,100
	each fully paid-up of Karnataka State Seeds Corporation Ltd 5 [Previous Year 5] Equity Shares of ₹ 100 each fully	d.(19.71%)	6,223,000		6,223,000
	paid-up of Cooperative Audhyogik Vasahat Ltd. 482 [Previous Year 482] Equity Shares of ₹ 10000 each		500		500
	fully paid-up of Madhya Pradesh Rajya Beej Evam Farm Vikas Nigam (6.23%) 1,03,930 [Previous Year 1,03,930] Equity Shares of ₹ 100 each fully paid-up of Rajasthan State Seeds		4,820,000		4,820,000
	Corporation Ltd. (13.68%) Total (a) (ii) TOTAL A = [a(i) + (ii)]		10,393,000 22,866,600 75,564,601		10,393,000 22,866,600 82,270,100



Notes on Financial Statements for the year ended March 31, 2014

	Figures as at the end reporting period end	d of the current	Figures as at the	end of the previous I ended 31.03.2013
	₹	₹	₹	₹
b) Investment in preference shares of:				
i) Associates:				
37,021 [Previous Year 37,021] Preference Shares				
of ₹ 100 each fully paid-up of Bihar Rajya Beej				
Nigam Ltd. (20.91%)	3,702,100		3,702,100	
Less: Provision for diminution in value of shares*	3,702,099	1		3,702,100
Share application money paid:@				
2,304 [Previous Year 2,304] Preference Shares of				
₹ 100 each fully paid-up of Bihar Rajya Beej Nigam Ltd.	230,400		230,400	
Less: Provision for diminution in value of shares*	230,400	-		230,400
Total (b) (i)		1		3,932,500
ii) <u>Others:</u>				
25,039 [Previous Year 25,039] Equity Shares of				
₹ 100 each fully paid-up of Orissa State Seeds				
Corporation Ltd. (9.61%)		2,503,900		2,503,900
Total (b) (ii)		2,503,900		2,503,900
TOTAL B=[b(i)+(ii)]		2,503,901		6,436,400
TOTAL=[A+B]		78,068,502		88,706,500

Notes:

- Investments made in Shares with the State Seeds Corporations are not transferrable without the prior approval of Government of India. The decision about taking back investment from various State Seeds Corporations has been kept in abeyance by Government of India.
- Share holding percentage of National Seeds Corporation Limited in State Seeds Corporation has been shown in bracket.

 @The allotment of shares by Bihar Rajya Beej Nigam Ltd. have been approved by their Board of Directors in its meeting held on 3.1.1998. Since the share certificates are yet to be issued, the investments are shown as Share Application Money paid.

^{*}Refer Note No. 41



		As at 01.04.2013	Movements during the year	As at 31.03.201	4
		₹	yeai ₹		 ₹
16	DEFERRED TAX ASSETS: Deferred Tax Assets:				<u>`</u>
	Disallowances under section 43B of the Income Tax Act, 1961 Provision for doubtful debts and advances Others Total	57,114,140 36,614,684 5,468,809 99,197,633	4,822,651 6,955,344 38,330,842 50,108,837	61,936,79 43,570,02 43,799,65 149,306,47	8 1
	Deferred Tax Liability: Related to Fixed assets DEFERRED TAX ASSETS (Net)	21,518,310 77,679,323	11,740,464 38,368,373	33,258,77 116,047,69	
		Fig	ures as at end of the rent repoting Period ended 31.3.2014	Figures	as at end of the previous epoting period led 31.03.2014
17	LONG-TERM LOANS AND ADVANCES:	₹	₹	_ ₹	₹
	(Unsecured, considered good unless otherwise specified) : Capital Advances Security and Other Deposits:		9,775,295		9,775,295
	Considered Good Considered Doubtful	16,601,673 2,060,017 18,661,690		18,518,911 1,485,507 20,004,418	
	Less: Allowance for Doubtful Loans and advances Income-Tax refundable (as per returns filed) TOTAL	2,060,017	16,601,673 4,845,402 31,222,370	1,485,507	18,518,911 10,753 28,304,959
18	INVENTORIES :				
	(As taken, valued and certified by the management)				
	(Refer Note 2.7 of Significant Accounting Policies):				
	Finished Goods Goods in Transit (Certified Seeds) Unserviceable Seeds Certification, Packing and Treatment Materials		385,304,443 2,972 3,823,033 129,353,910		640,125,076 20,672,706 13,809,464 103,763,335



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED Notes on Financial Statements for the year ended March 31, 2014

		Figures as at the encreporting period en	ded 31.03.2014	-	Figures as at the end of the previous reporting period ended 31.03.2013		
		₹	₹	₹	₹		
19	TRADE RECEIVABLES:						
	Unsecured:						
	Receivable outstanding for a period exceeding						
	six months from the date they were due for payment:						
	, , , ,						
	Considered good	258,961,033		97,036,613			
	Considered doubtful	72,804,857		56,913,529			
		331,765,890		153,950,142			
	Less: Allowance for bad and doubtful Trade Receivables	72,804,857	258,961,033	56,913,529	97,036,613		
	Other Trade Receivables:						
	Considered good		458,179,126		549,644,366		
	TOTAL		717,140,159		646,680,979		
							
20	CASH AND CASH EQUIVALENTS:						
	Cash and cash equivalents:						
	Balances with Banks		111,031,343		135,632,479		
	Bank deposits having maturity within 3 months		1,185,001,100		399,689		
	Cheques and Stamps in hand		283,258		5,380		
	Cash on hand		485,495		125,145		
			,		1=2,112		
			1,296,801,196		136,162,693		
	Other bank balances :						
	Fixed Deposits held as margin money /security						
	against bank guarantee		4,642,670		2,875,600		
	Balances with bank for assistance for		13,298		349,458		
	boosting seeds production in private sector		4,655,968		3,225,058		
	TOTAL		1,301,457,164		139,387,751		



	Figures as at the end of the current F reporting period ended 31.03.2014		-	end of the previous d ended 31.03.2013
	₹	₹	_ <u> Toporting perio</u> ₹	₹
SHORT-TERM LOANS AND ADVANCES:				
(Unsecured, considered good unless otherwise specified):				
Advance to Growers against Purchase of Seeds:				
Secured, Considered Good	792,862,768		984,905,327	
Unsecured, Considered Doubtful	5,422,356		442,945	
	798,285,124		985,348,272	
Less: Allowance for Doubtful advances	5,422,356	792,862,768	442,945	984,905,327
Advances to others:				
Secured, Considered Good	4,723,050		9,781,976	
Unsecured, Considered Doubtful	312,972		278,881	
	5,036,022		10,060,857	
Less: Allowance for Doubtful Advances	312,972	4,723,050	278,881	9,781,976
Advances to Staff (including Contingent Advance):				
Unsecured, Considered Good	1,251,186		1,085,099	
Unsecured, Considered Doubtful	43,708		43,708	
	1,294,894		1,128,807	
Less: Allowance for Doubtful Advances	43,708	1,251,186	43,708	1,085,099
Recoverable from Staff:				
Unsecured, Considered Good	4,986,298		8,528,021	
Unsecured, Considered Doubtful	516,714		468,638	
S. S	5,503,012		8,996,659	
Less: Allowance for Doubtful Recovery	516,714	4,986,298	468,638	8,528,021
Prepaid and advances for expenses		726,400	,	965,274
Advance to Gratuity Trust *		3,714,197		-
TOTAL		808,263,899	-	1,005,265,69



Notes on Financial Statements for the year ended March 31, 2014

		Figures as at the end of the current reporting period ended 31.03.2014		_	e end of the previous od ended 31.03.2013
		₹	₹	₹	₹
22	OTHER CURRENT ASSETS:				
	(Unsecured, considered good unless otherwise specified):				
	(Onescarea, constante a good dimess offici wice appendix).				
	Accruals:				
	Interest Accrued on Deposit		6,627,799		1,62,468
	Interest Receivable		-		39,461
	Dividend Receivable		-		1,304,100
	Others:				
	Other Receivables:				
	Considered Good	12,104,712		6,331,173	
	Considered Doubtful	846,890		70,866	
		12,951,602		6,402,039	
	Less: Allowance for Doubtful receivables	846,890	12,104,712	70,866	6,331,173
	Claims Recoverable:				
	Considered Good	2,288,118		1,235,046	
	Considered Doubtful	675,297		675,297	
		2,963,415		1,910,343	
	Less: Allowance for Doubtful Claims	675,297	2,288,118	675,297	1,235,046
	Recoverable from Govt.of India against				
	sales/production-subsidy/Minikits:				
	Considered Good	657,969,064		1,367,310,997	
	Considered Doubtful	44,692,886		53,817,336	
		702,661,950		1,421,128,333	
	Less: Allowance for Doubtful Claims	44,692,886	657,969,064	53,817,336	1,367,310,997
	December from Chata Communications				
	Recoverable from State Government against				
	sales/production subsidy: Considered Good	202,071,802		247,056,348	
	Considered Good Considered Doubtful	202,071,802 809,145		424,285	
	Considered Domptrai	202,880,947		247,480,633	
	Less: Allowance for Doubtful Claims	809,145	202,071,802	424,285	247,056,348
	Less. Anowalice for Doubtful Glains	000,140	202,071,002	424,200	247,000,040
	TOTAL		881,061,495		1,623,439,593

Credit for subsidies/grants-in-aid/reimbursement of expenses receivable from Central/State Government have been taken on the basis of amount claimable from respective authority. Adjustments, if any, are being made at the time of final settlement/acceptance of the same by the respective authority.



		Figures for the current reporting period ended 31.03.2014			gures for the previous iod ended 31.03.2013
		₹	₹	_ <u> </u>	₹
23	REVENUE FROM OPERATIONS:			_	
	Sale of Seeds:				
	Certified - Home Market	6,344,920,896		5,943,049,200	
	Certified - Export			16,681,500	
	Reimbursement of Price Differential on sale of seed	1,030,121,016		1,015,324,979	
	Less: Trade Discount	394,290,238	6,980,751,674	390,362,497	6,584,693,182
	Foundation Seeds	149,871,258		126,030,879	
	Breeder Seeds	18,278,378		19,483,541	
	Sapling	7,337,566		70,242,409	
	Condemned Seeds	12,713,902		6,124,464	
	Miscellaneous sales	3,601,423	191,802,527	4,128,777	226,010,070
	Sale of Services		2,080,949		2,301,017
	Other Operating Revenues		36,483,003	_	34,735,453
	TOTAL		7,211,118,153	_	6,847,739,722
24	OTHER INCOME: Interest Income: Interest on Deposits (Gross) TDS ₹ 41,12,256 (Previous year ₹ 85,219) Interest on Income Tax Refund	37,819,694 -		855,569 3,892,809	
	Others	269,128	38,088,822	312,573	5,060,951
	Dividend from associates		5,093,950		6,028,239
	Other Non-Operating Income:				
	Miscellaneous Receipts*		27,329,297		16,540,134
	Claims		152,356		654,635
	Profit on Foreign currency translation		-		133,703
	Rent including electricity charges		7,514,230		8,286,772
	Liquidated damages recovered		6,962,513		1,722,277



	_	Figures for the current reporting period ended 31.03.2014		res for the previou od ended 31.03.201
	₹	₹	₹	₹
Allowances/Provisions and Liabilities no longer re	quired:			
Allowances/Provisions for:				
- Bad and Doubtful Debts	1,575,365		245,985	
- Doubtful Advances and Deposits	5,559		30,000	
- Productivity Linked Incentive	1,923,345		6,181,500	
- Bonus	19,296		17,872	
- Salary and Allowances	176,784		_	
-Subsidy	9,124,450	12,824,799		6,475,357
Liabilities for:				
Services	5,165,134		4,035,921	
-Goods	59,273,650	64,438,784	1,809,871	5,845,792
Total		162,404,751		50,747,860
Depreciation on assets purchased out of Grants-in-aid		13,941,478		14,074,716
Total		13,941,478		14,074,716
TOTAL		176,346,229		64,822,576
ncludes ₹ 61,00,986 (previous year : ₹ 34,43,693) toward	ds Security and Other Dep	oosits forfeited.		
Opening Stock:				
Opening Stock:	78 862 225		178 628 269	
Opening Stock: Certification and Packing Materials	78,862,225 24 901 110	103 763 335	178,628,269 18 862 400	197 490 669
Opening Stock: Certification and Packing Materials Fertilizer, Manure and Treatment Materials	78,862,225 24,901,110	103,763,335	178,628,269 _18,862,400	197,490,669
Opening Stock: Certification and Packing Materials Fertilizer, Manure and Treatment Materials Add: Purchases:	24,901,110	103,763,335	18,862,400	197,490,669
Opening Stock: Certification and Packing Materials Fertilizer, Manure and Treatment Materials		103,763,335 191,023,883		197,490,669 150,593,216
Opening Stock: Certification and Packing Materials Fertilizer, Manure and Treatment Materials Add: Purchases: Certification and Packing Materials Fertilizer, Manure and Treatment Materials	24,901,110 143,693,674		<u>18,862,400</u> 79,816,357	
Opening Stock: Certification and Packing Materials Fertilizer, Manure and Treatment Materials Add: Purchases: Certification and Packing Materials Fertilizer, Manure and Treatment Materials Less: Closing Stock:	24,901,110 143,693,674 47,330,209			
Opening Stock: Certification and Packing Materials Fertilizer, Manure and Treatment Materials Add: Purchases: Certification and Packing Materials Fertilizer, Manure and Treatment Materials	24,901,110 143,693,674		<u>18,862,400</u> 79,816,357	



		tatements for the year ended March 31, 2 Figures for the current	Figures for the previous
		reporting period ended 31.03.2014 ₹ ₹	reporting period ended 31.03.2013 ₹ ₹
26	PURCHASES OF STOCK-IN-TRADE:		
	Certified seeds	5,012,036,075	5,317,232,646
	Foundation seeds	166,712,153	145,842,537
	Breeder seeds	22,879,750	26,597,118
	Saplings	6,545,602	70,837,522
		5,208,173,580	5,560,509,823
	Less: Production Subsidy	560,293,375	589,456,720
	TOTAL	4,647,880,205	4,971,053,103
27	CHANGES IN INVENTORIES OF FINISHED COORS		
27	CHANGES IN INVENTORIES OF FINISHED GOODS AND STOCK-IN-TRADE:		
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	Opening Stock of Seeds	674,607,246	590,733,451
	Less: Closing Stock of Seeds	389,130,448	674,607,246
	Changes in Inventories	<u>285,476,798</u>	(83,873,795)
28	EMPLOYEE BENEFITS EXPENSE:		
	Salary, Wages, Allowances, Other benefits and Bonus	529,447,691	440,581,913
	Contribution to provident fund and other funds	54,360,574	73,544,234
	Provision for pension scheme	8,0039,000	_
	Staff welfare expenses	21,295,081	11,537,348
	TOTAL	685,142,346	525,663,495
29	FINANCE COSTS:		
	Interest Expense:		
	On Secured loans from Bank (Cash Credit)	9,942,679	6,645,132
	On Working Capital Loan	3,630,730	39,794,004
	Total	13,573,409	46,439,136
	Other Borrowing Costs:		
	Loan Processing Fees	1,500,000	227,397
	Commitment Charges	1,019,362	2,812,500
	Total	2,519,362	3,039,897
	TOTAL	16,092,771_	49,479,033



		•	for the current	_	ures for the previous
		reporting period en ₹	<u>ueu 31.U3.2U14</u> ₹	_ <u>reporting perio</u> ₹	od ended 31.03.2013 ₹
30	OTHER EXPENSES:				
(A)	Operational Expenses:				
	Repair and Maintenance:				
	Godown and Processing Plant Building	2,084,805		879,259	
	Plant and Machinery	2,402,132	4,486,937	2,157,643	3,036,902
	Carriage Inwards including freight on inter unit				
	movement of goods and fixed assets	159,364,289		212,058,987	
	Less: Transport Subsidy	12,529,311	146,834,978	12,171,711	199,887,276
	Rent for Storage and Processing Plants		46,516,963		42,342,426
	Processing, Inspection and Seed Testing charges		79,654,564		63,469,229
	Stores, Spares etc. consumed (all indigenous)		1,230,249		1,816,325
	Power and Fuel		13,541,426		11,398,678
	Purchase Tax		711,626		1,081,858
	Laboratory Expenses		979,499		566,729
	Other Miscellaneous Expenses		6,575,130		5,967,382
	Total (A)		300,531,372	_ ·	329,566,805
(B)	Administrative Expenses: Repair and Maintenance:				
		FF0 1F1		1 000 540	
	Office and Residential Buildings	553,151	0.505.000	1,236,543	0.000.140
	Others	6,011,852	6,565,003	7,699,605	8,936,148
	Rent of Office and Residential Buildings		7,138,123		6,080,217
	Travelling and Conveyance		13,969,776		15,330,262
	Telephone and Trunk Calls		4,932,672		5,295,474
	Postage, Telegrams and Telex		1,727,588		1,972,987
	Printing and Stationery		4,377,698		4,011,062
	Electricity and Water Charges		8,240,093		6,410,820
	Hire Charges of Furniture, Fixtures, Vehicles etc.		3,927,521		3,616,852
	Legal Expenses		2,423,034		3,177,818
	Rates and Taxes		4,176,553		4,049,168
	Admn. charges of EPF, Gratuity, Group Insurance etc.		4,724,777		538,735
	Insurance		1,587,991		1,635,813
	Entertainment Expenses		1,713,459		2,179,421
	Advertisement (General)		1,923,345		2,621,958



Notes on Financial State		for the current		res for the previou
,	eporting period end		_	d ended 31.03.201
 :	<u> </u>	₹	₹	₹
	`	<u> </u>	•	•
Remuneration to Auditors (including service tax):				
- As auditors	410,788		410,788	
- For taxation matters	113,373		107,755	
- For other services	11,236		20,984	
- For reimbursement of expenses	541,413	1,076,810	284,396	823,923
Internal Audit Fees and reimbursement of expenses		1,625,469		1,690,969
Bank Charges		1,676,680		979,469
Miscellaneous		5,366,660		6,778,228
Total (B)		77,173,252		76,129,324
* Includes travelling expenses of CMD : $₹$ 7,57,291 and [$₹$ 5,00,599 respectively)	Directors ₹ 2,92,743	respectively Previou	ıs year : CMD ₹ 3,ı	68,898 and Directo
C) Selling Expenses:				
Freight Outward		92,454,418		56,005,324
Publicity and Advertisement		2,826,578		2,408,147
Research and Development Expenses		10,699,479		6,311,302
Service Tax		7,736,830		7,576,169
Sales Tax		26,254		137,217
Compensation paid under money back guarantee,		217,112		1,711,690
Liquidated damages etc.				
Diary Expenses (net)		230,857		293,044
Loss on Foreign translation		126,696		-
Other selling expenses		476,922		733,182
Total (C)		114,795,146		75,176,075
D) Expenses on Corporate Social Responsibility		_		10,443,635
Total (D)				10,443,635
· otal (5)				10,110,000
Allowances and write offs				
Allowance for bad and doubtful:				
Trade Receivables		17,748,994		14,082,201
Advances and claims		1,867,180		54,854,303
Write-offs:				
Trade Receivables		1,090,393		469
Receivables from Government of India against sales/productio	n subsidv	23,0721,612		_
Total (E)		251,428,179		68,936,973
(=)				
TOTAL (A to E)		743,927,949		560,252,812



		Figures for the year end Figures for reporting period ended 3	the current	Figu	res for the previous d ended 31.03.2013
		₹	₹	₹	₹
31	EXCEPTIONALITEMS:				
	Profit on sale of Fixed Assets (net) TOTAL	_	(471,621) (471,621)		(812,960) (812,960)
32	EXTRAORDINARY ITEMS :				
_	Provision for diminution in the value of long-term investments TOTAL Refer Note No. 41	s	10,637,998 10,637,998		
33 (i)	PRIOR PERIOD ITEMS: Prior Period Expenses:				
	Sale of Seeds	3,442		675,619	
	Rent for Storage and Processing Plant	_		123,420	
	Freight Outward	5,474	8,916	179,858	978,897
(ii)	Prior Period Incomes:				
	Miscellaneous Receipts	-		171,256	
	Opening Stock	_		846,704	
	Gratuity		-	9,108,677	10,126,637
	Net Expenditure/ Income (i)-(ii)		8,916		(9,147,740)
34	CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS: a) Contingent Liabilities: Claims against the Company not acknowledged as debt				
	- by employees		106,000		345,000
	- by others		74,959,949		68,460,106
	Claims lodged under money back guarantee scheme, pendin	ng investigation /acceptance.			4,790,000
	Disputed Sales-tax demands	•	29,799,808		10,204,000
	Disputed Income tax demands		4,903,736		_
	Disputed Employee State Insurance Corporation demand		682,542		682,542
	b) Commitments :				
	Estimated amount of contracts remaining to be executed		11,000,000		4,568,000
	on capital account and not provided for (Net of Advances)				

Notes on Financial Statements for the year ended March 31, 2014

35 ADDITIONAL INFORMATION:

a) Cost of Materials Consumed:

Due to the nature of the business being carried on by the Company, it is not possible to quantify and aggregate the cost of materials consumed in each class of such items.

b) Goods Purchased

Particulars	₹
Certified Seeds	5,012,036,075
	(5,317,232,646)
Foundation Seeds	166,712,153
	(145,842,537)
Breeder Seeds	22,879,750
	(26,597,118)
TOTAL	5,201,627,978
	(5,489,672,301)

(c) Particulars of Production/Marketing of Seeds:

Particulars	Sales Value	Closing	Opening
		Inventories	Inventories
	₹	₹	₹
Certified Seeds	7,375,041,912	334,771,993	611,605,204
	(6,975,055,679)	(611,605,204)	(532,359,925)
Foundation Seeds	149,871,258	47,703,861	25,391,919
	(126,030,879)	(25,391,919)	(30,309,615)
Breeder Seeds	18,278,378	2,828,589	3,127,953
	(19,483,541)	(3,127,953)	(2,659,018)
Goods in transit	-	2,972	20,672,706
	-	(20,672,706)	(4,645,472)
TOTAL	7,543,191,548	385,307,415	660,797,782
	(7,120,570,099)	(660,797,782)	(569,974,030)

Notes:

- The purchase of Sapling, Banana Grand, Gludiolus Bulbs nos. 4,16,824 value ₹ 65,45,602 (Previous year nos. 51,48,414 value ₹ 7,08,37,522), Sale 4,16,824 Nos. value ₹ 73,37,566 respectively (Previous year 51,63,414 nos. Value ₹ 7,02,42,409) not included in seeds.
- (ii) The Stock in Qtls. 4,155.4 and 3,246 Packets valuing ₹ 38,23,033 (Previous year 5,264.57 Qtls. and 5,767 Packets valuing ₹ 1,38,09,464) of condemned/ condemnable seeds are in stock in addition to above stock.
- (iii) Corresponding figures for the previous year, wherever applicable, appear in brackets.



Notes on Financial Statements for the year ended March 31, 2014

Figures for the current	Figures for the previous
reporting period ended 31.03.2014	reporting period ended 31.03.2013
₹_	₹

36 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS:

Earnings in Foreign Exchange:

Export of seeds on F.O.B. basis	-	16,681,500
Expenditure in Foreign Currency:		
Foreign Travel	328,998	-
Membership fees	363,572	361,938

37 Basic and diluted earnings per share (EPS) computed in accordance with pursuant to Accounting Standard (AS) 20 "Earnings per Share"

Particulars		Before ext	Before extraordinary items		traordinary items
		2013-14	2012-13#	2013-14	2012-13#
Profit for the year Weighted Average Number of equ	₹ nity	551,304,380	443,007,943	540,666,382	443,007,943
shares outstanding during the yea Earnings per share (Basic and Dil	ar	226,812 2,430.67	226,812 1,953.19	226,812 2,383.76	226,812 1,953.19

[#] The basic and diluted EPS for the year 2012-13 have been restated pursuant to the issue of bonus equity shares in the ratio of 1:10 (one bonus equity shares of $\stackrel{?}{\sim}$ 1,000 each for every ten equity shares of $\stackrel{?}{\sim}$ 1,000 each held).

38 PROPOSED DIVIDEND:

The final dividend proposed for the year is as follows:

On Equity Shares of ₹1,000 each

Amount of dividend proposed \raiset 41,249,898 41,238,600 Dividend per Equity Share \raiset 200 200

39 Land and Building:

(i) In respect of Patna (Sheikhpura) and Kolkata (Midnapore) Regional Offices, the lease/title deeds (of the land on which buildings are constructed) in favour of the Corporation and details of the payment for land and accounting of the value thereof are not available, although documentary proof about receipt of land in 1984-at Midnapur initially for a period of 30 years have since been located and based thereon the concerned authorities are being asked to expedite necessary action. Amortisation in respect of leasehold lands and depreciation of buildings is likely to be effected on the final ascertaining of the cost of land.



- (ii) Execution of lease deed of land at Nandyal obtained by the Corporation on 15.10.1994 from the Department of Agriculture, Government of Andhra Pradesh for construction of Seed Processing Plant-cum-Store Complex, is pending due to non finalization of lease amount.
- (iii) The lease/title deed for land of Hempur (Uttaranchal), is yet to be executed.
- (iv) The major portion of the land at Hempur Farm was handed over to UP State Industrial Development Corporation in March, 1987. 7 acres of land has been retained by the Corporation. Pending final settlement, no adjustment is made in respect of compensation of ₹ 25,00,000/- due from U.P./ Uttaranchal Govt. towards infrastructure created by the company and amount payable on account of lease premium, lease rent etc by National Seeds Corporation Limited.
- (v) Land at Niwari has been transferred to NSC permanently at a premium of ₹ 40,000/- and at a rent of ₹ 3,000/- per annum. However, in absence of periodicity of lease, land at Niwari is being amortized over a period of 99 years.
- (vi) Land at Gorakhpur has been acquired from Gorakhpur Industrial Development Authority (GIDA) on payment of ₹ 97,75,295 by the Corporation and lease deed registered. However, since neither mutation has been done in favour of the Corporation nor possession handed over by GIDA the amount paid has been shown as a Capital Advance (Note No. 17)
- 40 The balances under Trade Receivables, Loans and Advances, Other Current Assets, Trade Payables and Other Current Liabilities are subject to confirmation/ reconciliation. Dues against the Government Departments/Parties outstanding for a period of less than six years are considered good.
- 41 In terms of Accounting Policy No. 2.8, a diminution in the value, other than temporary, in the long term investment has been recognised in the accounts, estimated at ₹1,06,37,998/- (previous year Nil) by the Management based on facts and circumstances; and has been considered as an Extraordinary Item in the statement of profit and loss.
- 42 Since the business activities/operations of the Corporation mainly comprise one business segment, production, processing and marketing of seeds, the related disclosure requirements of Accounting Standard (AS-17) on Segment Reporting issued by The Institute of Chartered Accountants of India are not applicable to the Company. All business activities/operations are primarily in the domestic segment.
- The Corporation has identified 5 vendors as Micro, Small and Medium enterprises as defined in the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED Act). The disclosures pursuant to the said Act is as under:

Particulars		
	Figures for the current reporting period ended	Figures for the Previous reporting period ended
	31.03.2014	31.03.2013
	₹	₹
Principal amount due to suppliers under MSMED Act	12,661,402	415,272
Interest accrued, due to suppliers under MSMED Act on the above amount, and unpaid	_	_
Payment made to suppliers (other than interest) beyond the appointed day during the year	_	_
Interest paid to suppliers under MSMED Act (other than section 16)	_	_
Interest paid to suppliers under MSMED Act (section 16)	_	_
Interest due and payable towards suppliers under MSMED Act for payments already made	_	_
Interest accrued and remaining unpaid at the end of the year to suppliers under MSMED Act	_	_



Notes on Financial Statements for the year ended March 31, 2014

44 Changes in Accounting Policies:

The Accounting policies have been redrafted and reworded to be in line and in consonance with the Accounting Standards and some policies, considered surplus have been deleted. Such changes have no effect on the accounts except as stated in Note Nos. (i) and (ii) stated below.

(i) Medical facility for retired employees:

Till the year ended 31.03.2013, the amount computed at 1.5% of the profit before tax (PBT) of the previous year, net of payments to the Insurance Company towards Mediclaim Policy, was being appropriated from the surplus for the year. The amount so appropriated was being shown as "Retired Employees Welfare Reserve" under "Reserves and Surplus". For the year ended 31.03.2014 the Corporation has changed its Accounting Policy and has charged an amount of $\mathbf{\xi}$ 93,39,000 computed at 1.5% of PBT of the previous year to the Statement of Profit and Loss. The Corporation has for the first time, obtained an actuarial valuation of its liability towards the medical facility so provided which has been estimated at $\mathbf{\xi}$ 1,91,05,850 as at 31.03.2014. This amount has been reduced from the "Retired Employees Welfare Reserve" under "Reserve and Surplus" and shown as a Long Term Provision under Non- current Liabilities. Due to this change in the Accounting Policy, the profit for the year has been understated by $\mathbf{\xi}$ 93,39,000.

(ii) CSR Activities:

Up to year ended 31.03.2013, as per Department of Public Enterprises, Government of India, guidelines approved by the board, the Corporation was permitted to spend an amount calculated at 3% of its Profit After Tax (PAT) for the previous year. Out of this, the amount spent was charged to the Statement of Profit and Loss and the balance was shown as "Unspent CSR Reserve" under "Reserve and Surplus". For the year ended 31.03.2014 there is a change in the Accounting Policy in as much as the amount computed at 3% as stated above at ₹ 1,32,92,022, has been appropriated out of Surplus for the year and credited to the "Unspent CSR Reserve". From this Reserve, the amount actually spent ₹ 1,21,72,022 has been reduced and shown in the Balance Sheet accordingly. Due to this change, the profit for the year is overstated by ₹ 1,21,72,022.

45 As per Accounting Standard 15 (Revised) 'Employee Benefits' issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the disclosures of Employee benefits as defined in the Accounting Standard are given below:

The Company has classified the various benefits provided to employees as under:

Figures for the	Figures for the
Previous reporting	current reporting
period ended	period ended
31.03.2013	31.03.2014
₹	₹

A) <u>Defined Contribution Plan:</u>

During the year, the Company has recognised the following amounts in the statement of profit and loss:

(i) Provident Fund:

Employer's Contribution to Provident Fund 29,792,684 27,988,302

(ii) State Plans:

Employers' Contribution to Employee's State Insurance Act, 1948 275,226 288,225 Employers' Contribution to Employee's Pension Scheme, 1995 4,852,909 5,352,990

B) <u>Defined Benefit Plan:</u>

The Employee Gratuity Fund Scheme is a defined benefit plan. The present value of the obligation is based on the actuarial valuation using Projected Unit Credit Method.



	Notes on Financial Statements for the year	Figures for the	Figures for the
		current reporting	Previous reporting
		period ended	period ended
		31.03.2014	31.03.2013
		₹	₹
	Particulars Particulars	Gratuity (Funded)	Gratuity (Funded)
1	Actuarial Assumptions	diacuity (Fundeu)	Gratuity (runucu)
•	Mortality Table	IAL 2006-08 Ultimate	
	Attrition Rate	02.00% p.a	
	Imputed rate of Interest/(discount rate)	09.10% p.a	8.00% p.a.
	Salary Rise	07.50% p.a.	6.00% p.a.
	Return on plan assets	08.85% p.a	0.00 /0 p.a.
	Remaining Working Life	09.98 years	•
	nemaning working the	09.90 years	•
2	Changes in the Present Value of Obligations (PVO)		
	PVO as at beginning of year**	282,841,512	227,908,491
	Interest Cost	24,131,648	18,232,679
	Current Service cost	12,972,066	8,416,889
	Benefits Paid	(35,317,142)	(22,153,166)
	Actuarial (gain)/loss on obligations	5,353,960	19,913,885
	PVO as at end of year	289,982,044	252,318,778
3	Changes in the fair value of plan accets		
J	Changes in the fair value of plan assets	274 040 520	240 502 251
	Fair Value of Plan Assets at beginning of year	274,949,526	249,592,351
	Expected Return on Plan Assets	24,144,032	22,515,663
	Contributions	30,929,715	4,255,476
	Benefits paid	(35,200,919)	(22,153,166)
	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(1,126,113)	
	Fair value of Plan Assets at the end of year	293,696,241	254,210,324
4	Fair value of plan assets		
	Fair value of plan Assets at beginning of year	274,949,526	249,592,351
	Actual Return on Plan Assets	23,017,919	22,515,663
	Contributions	30,929,715	4,255,476
	Benefits Paid	(35,200,919)	(22,153,166)
	Fair Value of Plan Assets at the end of year	293,696,241	254,210,324
	PVO as at end of year	289,982,044	252,318,778
	Funded Status	3,714,197	1,891,546
5	Actuarial Gain/Loss recognised		
	Actuarial (gain)/ loss on obligations	(5,353,960)	(19,913,885)
	Actuarial (gain)/ loss for the year - plan assets	(1,126,113)	
	Actuarial (gain)/ loss recognised in the year	6,480,073	19,913,885
		0,700,070	10,010,000



Notes on Financial Statements for the year ended March 31, 2014

		Figures for the current reporting period ended	Figures for the Previous reporting period ended
		31.03.2014 ₹	31.03.2013 ₹
6	Amounts to be recognised in the Balance Sheet Present Value of obligations as at the end of year	289,982,044	252,318,778
	Fair value of plan assets as at the end of the year Funded status Net liability recognised in Balance Sheet	293,696,241 3,714,197 (3,714,197)	254,210,324 1,891,546 1,891,546
7	Expenses recognised in Statement of Profit and Loss Current Service Cost Interest Cost Expected Return on Plan Assets Net Actuarial (Gain)/Loss recognised in the year Expenses recognised in Statement of Profit and Loss	12,972,066 24,131,648 (24,144,032) 6,480,073 19,439,755	8,416,889 18,232,679 (22,515,663) 19,913,885 24,047,790

The Corporation has deposited $\stackrel{?}{\sim}$ 1,50,00,000/- in CANARA HSBC OBC during the financial year 2011-12 towards the gratuity fund of regular staff. Fund value after accrued interest and pay out benefits during the financial year 2012-13 & 2013-14 is $\stackrel{?}{\sim}$ 59,10,682/-.

Actuarial valuation in respect of EL/HPL has been given as under:

IAL 2006-08	IAL 2006-08
02.00% p.a	02.00% p.a
09.10% p.a	08.15% p.a
07.50% p.a.	05.50% p.a.
N/A	N/A
10.13 years	10.68 years
(Unfunded)	(Unfunded)
165,701,723	138,951,523
14,114,397	10,582,872
14,746,245	16,300,579
(21,196,911)	(18,200,669)
5,143,707	3,178,226
178,509,161	150,812,531
	02.00% p.a 09.10% p.a 07.50% p.a. N/A 10.13 years (Unfunded) 165,701,723 14,114,397 14,746,245 (21,196,911) 5,143,707



·	Figures for the	Figures for the	
	current reporting	• •	
	period ended		
	31.03.2014	31.03.2013	
	₹	₹	
Changes in the fair value of plan assets			
Fair Value of Plan Assets at beginning of year	_	_	
Expected Return on Plan Assets	_	_	
Contributions	_	_	
Benefits paid	(21,196,911)	(18,200,669)	
Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	(21,100,011,	(10)200)0007	
Fair value of Plan Assets at the end of year	-	-	
Fair value of plan assets			
Fair value of plan Assets at beginning of year	_	_	
Actual Return on Plan Assets	_	_	
Contributions	_	_	
Benefits Paid	(21,196,911)	(18,200,669)	
Fair Value of Plan Assets at the end of year	_	_	
PVO as at end of year	178,509,161	150,812,531	
Funded Status	(178,509,161)	(150,812,531)	
Actuarial Gain/Loss recognised			
Actuarial (gain)/ loss on obligations	(5,143,707)	(3,178,226)	
Actuarial (gain)/ loss for the year - plan assets	-	_	
Actuarial (gain)/ loss recognised in the year	5,143,707	3,178,226	
Amounts to be recognised in the Balance Sheet			
Present Value of obligations as at the end of year	178,509,161	150,812,531	
Fair value of plan assets as at the end of the year	-	-	
Funded status	(178,509,161)	(15,08,12,531))	
Net liability recognised in Balance Sheet	178,509,161	150,812,531	
Expenses recognised in Statement of Profit and Loss			
Current Service Cost	14,746,245	16,300,579	
Interest Cost	14,114,397	10,582,872	
Expected Return on Plan Assets	(–)	-	
Net Actuarial (Gain)/Loss recognised in the year	5,143,707	3,178,226	
Expenses recognised in Statement of Profit and Loss	34,004,349	30,061,677	



Notes on Financial Statements for the year ended March 31, 2014

Figures for the	Figures for the
current reporting	Previous reporting
period ended	period ended
31.03.2014	31.03.2013
₹	₹

^{*} Actuarial valuation of the Leave Travel Concession (LTC) while in service liability as on 31.03.2014 as per AS-15 (R) is given below:

Assets / Liabilities

Liability – 645,000

- * As on 31.03.2014 all the Central Dearness Allowance scale employees are converted to Industrial Dearness Allowance scale, hence LTC are included in 42% of perks to all employees.
- ** The difference between the present value of obligation in case of gratuity and EL/HPL are due to the difference in actuarial assumptions in the current year as compared to previous year

46 DISCLOSURE OF RELATED PARTY TRANSACTIONS:

In accordance with the requirements of Accounting Standard - 18 'Related Party Disclosures' related party relationships with other state-controlled enterprises and transactions with such enterprises have not been given.

46.1 Name of Related Parties and description of relationship

Key Management Personnel (KMP):

Shri V.K.Gaur Chairman cum Managing Director

Shri M.M. Sharma Director (Finance)
Shri S. B. Khatal Director (Commercial)

46.2 Summary of transactions with related parties and outstanding balances as at March 31, 2014:

Nature of Transaction		
	₹	₹
Shri V.K. Gaur		
- Remuneration	1,660,366	Nil
- Receivable TA Advance as at year ended against which bills		
yet to be booked	309,574	Nil
Shri M.M. Sharma		
-Remuneration	2,150,383	3,512,000
Shri S. B. Khatal		
-Remuneration	1,519,500	Nil



Contributory Pension Scheme:

Board in its 252nd board meeting held on 15.01.2014 approved the NSC employees defined contribution superannuation pension scheme with employer contribution to the tune of 10% of the basic + DA and employees contribution to the tune of 5% of the basic + DA w.e.f. 01.04.2011 as per DPE guidelines. NSC has made a provision of ₹8,00,39,000 towards the employer contribution for the period of 01.04.2011 to 31.03.2014 during the F.Y. 2013-14.

- In the opinion of the Board, all the assets (other than fixed assets and non current investments) have a value on realisation in the ordinary course of business at least equal to the amount at which they are stated in the Balance Sheet.
- The Ministry of Corporate affairs has issued Order No. 24/1/2014-CL-III dated 05-05-2014 for the amalgamation of State Farms Corporation of India Limited with National Seeds Corporation Limited w.e.f. 01.04.2014.
- 50 Previous year's figures have been regrouped /reclassified wherever necessary to correspond with the current year's classification / disclosure.

Mohd. Raquim **Company Secretary**

M.M. Sharma **Director (Finance)**

V.K. Gaur Chairman-cum-Managing Director

As per our report of even date Place: New Delhi For K. C. Khanna & Co. **Dated: 31st July, 2014 Chartered Accountants** Firm's Registration No. 000481N

> Harsha Chandra **Partner** Membership No. 080489

Dated: 18-08-2014



NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2014

	Year ended M	arch 31, 2014	Year ende	d March 31, 2013
	₹	₹	₹	₹
Cash Flows from Operating activities:				
Net Profit before Taxes and Prior Period Adjustment		806,659,520		613,496,209
Adjustment for:				
Depreciation	26,685,108		32,872,777	
Trade Receivable & Advances Written Off	231,812,005		469	
Provision for bad & doubtful Trade Receivable	17,748,994		14,082,201	
Provision for Advances & Claims	1,867,180		54,854,303	
Provision for dimunition in value of Investment	10,637,998			
Bonus	767,384		6,100,195	
Gratuity	-		7,891,986	
Leave Benefits	34,004,349		30,263,113	
Pension Contribution	80,039,000		-	
Provision for retired employee welfare	8,421,403		-	
Performance related pay	40,400,000		_	
Ex-Gratia (VRS)	25,795,710		_	
Finance Cost	16,092,771		49,486,787	
Depreciation recognized as income on Assets	(13,941,478)		(14,074,716)	
purchased out of Grant-in-aid				
Profit on Sale of Fixed Assets (Net)	(471,621)		(812,960)	
Provisions & Liabilities no longer required	(77,244,287)		(9,064,426)	
Interest income	(38,088,822)		(5,060,951)	
Dividend income	(5,093,950)	359,431,744	(6,028,239)	160,510,539
Operating Profit before Working Capital changes		1,166,091,264		774,006,748
Adjustment for :-				
Inventories	259,886,223		9,853,538	
Trade receivables	(70,459,180)		(200,603,124)	
Other Current Assets	742,378,098		2,394,402	
Loans & Advances- short and long term	194,084,387		(646,326,507)	
Liabilities & Provisions current and non current	(507,816,472)	618,073,056	255,631,097	(579,050,594)
Cash generated from operations :		1,784,164,320	<u> </u>	194,956,154
Bonus/PLI Paid	(6,106,272)		(9,981,206)	
Leave Encashment Paid	(21,821,622)		(18,200,669)	
Prior Period Adjustments (Net)	(8,916)		9,147,740	
Income Tax Paid	(245,370,754)	(273,307,564)	(152,541,230)	(171,575,365)
Net Cash from operating Activities (A)	,,, -	1,510,856,756	,,,	23,380,789



	CASH FLOW STATEME	NT FOR THE YEAR	ENDED MARCI	1 31, 2014	
		Year ended M	arch 31, 2014	Year ended March 31, 20	
		₹	₹	₹	₹
. Cash Flows 1	rom Investing Activities:				
Capital Grant	received for Fixed assets	32,258,522		925,284	
Capital Work-i	n-progress	(355,850)		23,026,696	
Purchase of Fi	ixed assets	(100,240,993)		(107,885,939)	
Sale of Fixed A	Assets	932,045		1,701,152	
Interest incom	ne	38.088.822		5,060,951	
Dividend incon	10	5,093,950		6,028,239	
Net Cash fro	om/(used in) Investing activities (B)		(24,223,504)		(71,143,617)
. <u>Cash Flows 1</u>	rom Financing Activities:				
Borrowings/(R	epayment) of Secured Loans	(260,542,528)		35,870,643	
Dividend & Ta	x on dividend	(47,928,540)		(23,964,270)	
Finance Cost		(16,092,771)		(49,486,787)	
	m/(used) in Financing Activities (C)		(324,563,839)		(37,580,414)
	Decrease) in Cash & Cash equivalents (A +		1,162,069,413		<u>(85,343,242)</u>
	n equivalents as at the beginning of the year	•	<u> 139,387,751</u>		<u>224,730,993</u>
Cash and Cas	h equivalents as at the end of the year		1,301,457,164		139,387,751
Cash and Ca	ish equivalents comprises of:				
Balance with E	Banks		111,031,343		135,632,479
Bank Deposits	s having maturity within 3 months		1,185,001,100		399,689
Cheques, stan	nps in hand		283,258		5,380
Cash on hand			485,495		125,145
			1,296,801,196		<u>136,162,693</u>
•	osits not considered as Cash and Cash equi		4,655,968		3,225,058
Total Cash a	nd Cash equivalents as per (Note No.2)	D)	1,301,457,164		139,387,751

Notes:

- The Cash Flow Statement has been prepared under the indirect method as set out in Accounting Standard-3 on 'Cash Flow Statement' as issued by Institute of Chartered Accountants of India.
- 2 Figures in brackets indicate cash outgo.
- 3 The accompanying notes from 1 to 50 form part of the Financial Statements.

Mohd. Raquim M.M. Sharma V.K. Gaur
Company Secretary Director (Finance) Chairman-cum-Managing Director

Place : New Delhi Dated : 31st July, 2014 As per our report of even date For K. C. Khanna & Co. Chartered Accountants Firm's Registration No. 000481N

> Harsha Chandra Partner Membership No. 080489 Dated : 18.08.2014



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरका का उपक्रम-मिनीरत्न कंपनी)

(सिन: U 74899 DL 1963 PLC003913)

आईएसओ 9001:2008 & 14001: 2004 द्वारा प्रमाणित कंपनी

बीज भवन, पूसा परिसर,

नई दिल्ली - 110012 (भारत)

संख्या: 1(51)/2014-कं.स/एनएससी

दिनांक 19 सितम्बर, 2014

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के सदस्यों की 51वीं वार्षिक आम बैठक 26 सितम्बर, 2014 को पूर्वाह्न 10.00 बजे राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली में निम्नलिखित कार्य करने के लिए होगी:

सामान्य कार्यः

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि इसे सही समझा जाता है तो इन्हें साधारण संकल्प के रूप में पारित करना।

- 1. "संकल्प किया जाता है कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा परीक्षित लाभ-हानि खाता तथा इसी तिथि का तुलन पत्र तथा इन पर निदेशकों तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को स्वीकार किया जाता है।"
- 2. **"संकल्प किया जाता है कि** वित्त वर्ष 2013-14 के लिए अनुपातिक आधार पर चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पर 20% की दर से लाभांश की घोषण की जाती है।"
- 3. "संकल्प किया जाता है कि एनएससी की सांविधिनक लेखा परीक्षकों एवं शाखा लेखा परीक्षा की द्वारा वित्त वर्ष 2013-14 से उनके मानदेय में वृद्धि हेतु उनके अभ्यावेदन को देखते हुए तथा निदेशक मंडल की दिनांक 31.07.2014 को हुई 255 वीं बैठक में की गई सिफारिशों एवं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 224 (8) (कक) / कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के प्रावधान एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसरण में, वित्त वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के लिए निगम के नियमानुसार, इनके वर्तमान मानदेय में 40% + टीए/डीए की वृद्धि हेतु कम्पनी के अनुमोदन को निम्न प्रकार से स्वीकार किया जाता है:-
 - (i) सांविधिक लेखा परीक्षक का वर्तमान फीस रु. 1.5 लाख से रु. 2.10 लाख तक।
 - (ii) क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलोर की शाखा लेखा परीक्षक को रु. 20,000/- से 28,000/- तक।
 - (iii) क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद, शाखा लेखा परीक्षक को रु. 20,000/- से 28,000/- तक।
 - (iv) क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे, शाखा लेखा परीक्षक को रु. 20,000/- से 28,000/- तक।
 - (v) क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता, शाखा लेखा परीक्षक को रु. 20,000/- से 28,000/- तक।
 - (vi) क्षेत्रीय कार्यालय, पटना, शाखा लेखा परीक्षक को रु. 20,000/- से 28,000/- तक।
 - (vii) क्षेत्रीय कार्यालय, चैन्नई, शाखा लेखा परीक्षक को रु. 20,000/- से 28,000/- तक।
 - (viii) क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़, शाखा लेखा परीक्षक को रु. 25,000/- से 35,000/- तक।
 - (ix) क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ, शाखा लेखा परीक्षक को रु. 25,000/- से 35,000/- तक।



- (x) क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल, शाखा लेखा परीक्षक को रु. 25,000/- से 35,000/- तक।
- (xi) क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर, शाखा लेखा परीक्षक को रु. 25,000/- से 35,000/- तक।

वृद्धि का कुल वित्तीय प्रभाव रु. 1.48 लाख प्रति वर्ष होगा। विशिष्ट कार्यः

- 4. "संकल्प किया जाता है कि पूर्ववर्ती भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड का 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष का लेखा परीक्षित लाभ हानि खाता तथा इसी तिथि का तुलन पत्र तथा इन पर निदेशकों तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को स्वीकार किया जाता है।"
- 5. **"संकल्प किया जाता है कि** पूर्ववर्ती एसएफसीआई की ओर से वित्त वर्ष 2013-14 के लिए चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पर 7.50% की दर से लाभांश की घोषणा की जाती है।"
- 6. "संकल्प किया जाता है कि पूर्ववर्ती एसएफसीआई के सांविधिनक लेखा परीक्षकों, एवं लागत लेखा परीक्षक द्वारा वित्त वर्ष 2013–14 से उनके मानदेय में वृद्धि हेतु उनके अभ्यावेदन को देखते हुए तथा एनएससी के निदेशक मंडल की दिनांक 31.07. 2014 को हुई 255 वीं बैठक की सिफारिशों एवं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 224(8) (कक) / कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के प्रावधान एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसरण में, वर्तमान मानदेय में 40% + टीए/डीए की वृद्धि हेतु एनएससी के शेयरधारकों का अनुमोदन निम्न प्रकार से स्वीकार किया जाता है:-
- (क) सांविधिक लेखा परीक्षक की वर्तमान फीस रु. 1.25 लाख + कर सिहत से रु. 1.75 लाख + कर सिहत।
- (ख) लागत लेखा परीक्षक का वर्तमान फीस रु. 75,000/- + कर + टीए / डीए से रु 1.50 लाख + कर + टीए/डीए।
- 7. "संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 एवं नियम 14 (क) (ii) के प्रावधानों, एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, कंपनी के (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के अनुसरण में निदेशक मंडल द्वारा वित्त वर्ष 2014-15 के लिए मैसर्स अनीका सबरवाल एडं एसोसिएटस को लागत लेखा परीक्षक के रूप में रु. 2.00 लाख + सेवाकर एवं जेब खर्ची के रूप में परिपत्र संकल्प दिनांक 27.06.2014 को स्वीकार तथा उसकी अभिपुष्टि की जाती है।"

निदेशक मंडल की ओर से राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

> (मोः राकिःम) कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली

टिप्पणी:

- 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए अंकेक्षित लेखों की प्रित तथा उन पर निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट इस सूचना के साथ संलग्न है।
- 2. वित्त वर्ष 2013-14 के अंकेक्षित वार्षिक लेखे, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (सीएजी) को अग्रेषित किए गए हैं। सीएजी की टिप्पणी यदि कोई, को वार्षिक साधारण बैठक में शेयर धारकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।



- 3. वार्षिक साधारण बैठक में भाग लेने तथा मतदान करने के पात्र सदस्य को अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने के लिए प्राक्सी नियुक्त करने का अधिकार है तथा प्राक्सी को लिए कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।
- 4. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 173(2)/कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अनुसरण में विशिष्ट कार्यों से संबंधित व्याख्यात्मक विवरण इस टिप्पणी के साथ संलग्न है।
- 5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 के अनुसरण में कम समय पर सामान्य महा बैठक करने के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है।

प्रतिलिपि

सेवा में.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के सभी सदस्य।

- i अधिकृत प्रतिनिधि श्री राम कुमार, अवर सचिव (बीज), कृषि मंत्रालय के माध्यम से भारत के माननीय राष्ट्रपति।
- i श्री वी.के.गौड़, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
- 🏿 श्री राम कुमार, अवर सचिव (बीज) भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- 2. श्री आर.के.मिश्रा, अपर आयुक्त (बीज), भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली एवं निदेशक एनएससी।
- 3. श्री दिनेश अरोड़ा, उप सचिव (वित्त), भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली एवं निदेशक एनएससी।
- 4. श्री एम.एम.शर्मा, निदेशक (वित्त) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
- 5. श्री संजय खताल, निदेशक (वाणिज्यिक) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।
- 6. मैसर्स के.सी.खन्ना एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली।
- 7. मैसर्स लूनावत एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, दरियागंज, नई दिल्ली।
- 8. श्री कौशिक रक्षित, महा प्रबंधक (वित्त) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।



कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 173 (2) / कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में विशेष कारोबार से संबंधित व्याख्यात्मक विवरण नीचे दिए जा रहे है:

मद संख्या 4

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 के तहत, प्रशासिनक मंत्रालय से केन्द्रीय मंत्रीमंडल की मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात दोनों निगमों द्वारा "एसएफसीआई का एनएससी में एकीकरण" के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391–394, धारा 396 के साथ पढ़ें, के प्रावधान के अनुपालन में, कार्पोरेट मंत्रालय (एमसीए) के समक्ष दिनांक 22.01.2014 को याचिकाएं डाली गई। एमसीए द्वारा एनएससी / एसएफसीआई के अनुपालन हेतु कई निर्देश जारी करने एवं कई सुनवाई करने के बाद एमसीए ने अपने आदेश दिनांक 30.04.2014 के द्वारा जिसे एमसीए ने अपने पत्र दिनांक 05.05.2014 के तहत "एसएफसीआई का एनएससी में एकीकरण" की योजना को 01.04.2014 से प्रभावी होने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। एसएफसीआई को बिना समापन के भंग करके एकीकरण के आदेश दे दिए गए। इसके परिणामस्वरूप, एसएफसीआई के निदेशक मंडल एवं शेयरधारकों की सामान्य निकाय निष्क्रिय (समाप्त) हो गई। इसलिए पूर्ववर्ती एसएफसीआई के वार्षिक लेखों को अंगीकार के प्रयोजन हेतु एनएससी के शेयरधारकों की सामान्य निकाय के समक्ष रखा जा रहा है। इस संकल्प पर एनएससी के किसी भी निदेशक का हित नहीं है।

मद संख्या 5

पूववर्त्ती पैरा में बताए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, पूर्ववर्ती एसएफसीआई की ओर से प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर 7.5% की दर से लाभांश घोषित किया जा रहा है जिसके लिए एनएससी के शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता है। इस संकल्प पर एनएससी के किसी भी निदेशक का हित नहीं है।

मद संख्या 6

सांविधिक लेखा परीक्षक एवं शाखा लेखा परीक्षकों ने व्यवसाय / लेनदेन / काम की अधिकता, विशेषकर एसएफसीआई का एनएससी में एकीकरण के पश्चात अपने मानदेय में वृद्धि करने का अभ्यावेदन दिया है। एनएससी के निदेशक मंडल ने दिनांक 31.07.2014 को हुई अपनी बैठक में उनके अनुरोध पर विचार करते हुए इस संकल्प पर उनके मादेय में 40% +टीए/डीए की वृद्धि करने की सिफारिश की है। इस संकल्प पर एनएससी के किसी भी निदेशक का हित नहीं है।

मद संख्या 7

सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन को देखते हुए, आपके निगम के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2014-15 के लिए रु. 2.00 लाख + सेवाकर कर अन्य जेब खर्च पर लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति का अनुमोदन किया है जिस पर अभिपुष्टि का अनुरोध है। इस संकल्प पर एनएससी के किसी भी निदेशक का हित नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

> (मो. राकि़म) कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली


दिनांक: 19 सितम्बर, 2014



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनीरत्न कंपनी)

निगम की 51वीं वार्षिक सामान्य बैठक के अवसर पर अध्यक्ष एवं निदेशक का अभिभाषण



प्रिय शेयरधारकों.

- 1. मैं निगम की 51वीं वार्षिक साधारण बैठक में आदरणीय शेयरधारकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस अवसर पर अन्य विषयों पर आने से पहले, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि कारपेरिट मामले मंत्रालय (का.मा.मं.) के दिनांक 30.04. 2014 के आदेश के अनुसार दिनांक 01.04.2014 से भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड का राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड में विलय हो चुका है। फलस्वरूप भा.रा.फा.नि. दिनांक 01.04.2014 को बिना परिसमापन के विघटित हो गई है। जैसा कि पूर्ववर्ती भा.रा.फा.नि. का निदेशक मंडल और शेयरधारकों का सामान्य निकाय अस्तित्व में नहीं रहे हैं, इसलिए पूर्ववर्ती भा. रा.फा.नि. की वर्ष 2013–14 की निदेशकों की रिपोर्ट और वार्षिक लेखे भी राष्ट्रीय बीज निगम के शेयरधारकों के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत हैं।
- इसी प्रकार राष्ट्रीय बीज निगम के साथ-साथ भा.रा.फा.नि. के निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सिहत वित्तीय वर्ष 2013-14 के अंकेक्षित वार्षिक लेखे प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। चूंकि दोनों निगमों के अनुबंधों सिहत वार्षिक लेखे पहले से ही आपके पास उपलब्ध हैं, अत: संक्षिप्तता के लिए यदि आप मुझे अनुमित प्रदान करें तो मैं उन्हें पढ़ा हुआ मान लेता हूँ।
- 3. विगत वर्षों की भांति, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मैंने दोनों निगमों के निदेशक मंडल के सहयोगियों और अधिकारियों व कर्मचारियों के सहयोग व मार्गदर्शन से समग्र कार्य निष्पादन को निस्संदेह उच्च स्तर पर बनाए रखा है। आवश्यकता के सभी अवसरों पर निदेशक मंडल व मंत्रालय में उच्चाधिकारियों के सतत संरक्षण, प्रोत्साहन और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। इस उत्कृष्ट पद के लिए मुझ पर जताए गए भरोसे और विश्वास के लिए मैं विनम्रता से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।

4. वर्ष 2013-14 के दौरान रा.बी.नि. का कार्य निष्पादन

I सामान्य आर्थिक परिदृश्य और कार्य निष्पादन :-

आर्थिक परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय मंदी तथा घरेलू अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में व्यापक प्रतिस्पर्धा के बावजूद कृषि जगत को निजी कंपनियों के साथ भी विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, कृषि जगत को प्राकृतिक कारकों से उत्पन्न उतार-चढ़ावों का भी सामना करना पड़ा, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ हमारी इकाईयां विपणन तथा उत्पादन गतिविधियाँ संचालित कर रही हैं। इन चुनौतियों के बावजूद आपके निगम ने अच्छा प्रदर्शन किया और राजस्व में बढ़ोत्तरी प्राप्त की।

I वित्तीय पक्षः

हमने पिछले वर्ष के दौरान अर्जित रु. 291.26 करोड़ की तुलना में रु. 738.75 करोड़ का कुल राजस्व हासिल किया है,
 जिससे लगभग 7% की वृद्धि हुई। कर पश्चात लाभ, पिछले वर्ष रु. 44.30 करोड़ की तुलना में रु. 54.07 करोड़ रहा।



- रु. 1000/-प्रत्येक के प्रति इक्विटी शेयर पर अर्जन रु. 1953.19 से बढ़कर रु. 2383.76 हो गई (असाधारण मदों के समायोजन के पश्चात), इस प्रकार प्रति इक्विटी शेयर अर्जन में रु. 430.57 की वृद्धि हुई।
- राजस्व, लाभ तथा ईपीएस में उपयुक्त वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, पिछले वर्ष के रु. 629.99 करोड़ की तुलना में रु. 657.
 66 करोड़ के खर्चे हुए।
- 20619 इक्विटी शेयर की मात्रा के रु. एक -एक हजार मूल्य के बोनस इक्विटी शेयर भारत सरकार को जारी किए गए जिससे इक्विटी आधार बढकर रु. 2268 लाख हो गया।
- प्रभावी नकदी प्रबंधन के कारण प्रयोग में ली गई नकद ऋण सीमा पर ब्याज पिछले वर्ष के रु. 494.79 लाख की तुलना में इस वर्ष रु. 160.93 लाख रहा।

III लाभांशः

आपके निदेशक मंडल ने निगम की चुकता इक्विटी शेयर पूँजी पर यथा अनुपात आधार पर 20% की दर से लाभांश की घोषणा के लिए सिफारिश की है जिससे वर्ष में रु. 70.10 लाख के लाभांश वितरण कर सहित रु. 482.60 लाख की राशि की खपत हुई।

IV रा.बी.नि. में भा.रा.फा.नि. के एकीकरण का प्रभावः

सार्वजिनक क्षेत्र में बीज गितिविधियों में लगे हुए सार्वजिनक क्षेत्र के दो विशाल उपक्रम अब एक हो गए हैं और इससे रा.बी. नि. अब देश में सार्वजिनक क्षेत्र में शीर्ष स्तर की बीज उत्पादन कंपनी के रूप में उभर रही है। रा.बी.नि. पहले से ही आई. एस.ओ. प्रमाणपत्र के साथ अनुसूची 'बी' कंपनी है और सार्वजिनक क्षेत्र उपक्रम की अनुसूची 'ए' कंपनी बनने की तरफ अग्रिसत है। भूमि, जनशिक्त, संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास और वित्त जैसे संसाधनों का अब एकीकरण हो गया है जिससे एनएससी न केवल प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के तहत निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने बिल्क विविधीकरण, नवाचार, निर्यात की संभावनाओं और अन्य लाभप्रद कार्यकलापों जैसी अन्य गितिविधियों में प्रवेश करने के लिए भी सक्षम हो गई है।

V संचालनात्मक विशिष्टताएँ:

वर्ष के दौरान 14,53,070 क्विंटल प्रमाणित / गुणवत्ता वाले बीजों की बिक्री के कारण कारोबार पिछले वर्ष के 15,56,025 क्विंटल की तुलना में रु. 737.52 करोड़ रहा। बिक्री किए गए बीजों की मात्रा में कमी मुख्य रूप से 80000 क्विंटल गेहूँ के बीज और 50000 क्विंटल धान के बीज की बिक्री में कमी की वजह से हुई है। हालांकि बीजों की खरीद 1566791 क्विंटल से 1428575 क्विंटल कम हुई, जिससे बाहरी बाजार पर निर्भरता में कमी आई। निगम ने अपने बीजों के भंडारण के लिए 34600 क्विंटल भडारण क्षमता बढ़ाई है तथा गुणवत्ता के मानकों में सुधार के अलावा 2,40,000 क्विंटल की सीमा तक प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाया है।

5. भारतीय राज्य फार्म निगम का कार्य निष्पादन:

रा.बी.नि. की भांति, भा.रा.फा.नि. को भी बीज जगत में आर्थिक मंदी और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय निजी कंपनियों से प्रतिस्पर्धी स्थितियों का सामना करना पड़ा। किन्तु समीक्षाधीन अविध के दौरान, भा.रा.फा.नि. ने पिछले वर्ष के दौरान अर्जित रु. 485. 55 करोड़ के राजस्व की तुलना में रु. 523.35 करोड़ का कुल राजस्व अर्जित करके अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि, कर पश्चात लाभ पिछले वर्ष के दौरान रु. 42.58 करोड़ की तुलना में रु. 41.84 करोड़ रहा। फार्मों में फसल परिपक्वता के समय बारिश और ओलावृष्टि से फसलों की क्षति के कारण लाभ में गिरावट आई। ग्वार की कीमत के निम्न स्टॉक मूल्य;



कर्मचारी लागत में रु. 9.00 करोड़ की वृद्धि, चना और मूंगफली के मामले में ऋणात्मक मुद्रास्फीति दर के कारण हानि में वृद्धि हुई।

I लाभांश एवं आरक्षित निधि:-

इन सब कारकों के बावजूद, भा.रा.फा.नि. ने वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पर 7.5% के लाभांश का निरंतर भुगतान करता रहा है जिसमें लाभांश वितरण कर, सी.एस.आर फंड और सामान्य आरक्षित विधियों और अधिशेष खातों में स्थानान्तरण के लिए प्रावधानों के अलावा रु. 2.36 करोड़ खपेंगे।

II उत्पादन परिदृश्यः

वर्ष के दौरान उत्पादन निष्पादन ने, विशेषत: प्राकृतिक कारकों की वजह से चुनौतियों का सामना किया किन्तु निगम अपने संसाधनों और रणनीतियों द्वारा सर्वोत्तम स्तर पर डटा रहा। पिछले वर्ष के दौरान 7,52,949.97 क्विंटल की तुलना में इस वर्ष कुल बीज उत्पादन 5,81,087.96 क्विंटल रहा। उत्पादन में कमी का कारण सोयाबीन फसल की परिपक्वता के समय भारी वर्षा के चलते प्रतिकृल प्रभाव था।

III पश्चिम बंगाल में नलहटी फार्म:

यह भी उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय राज्य फार्म बहराईच को बंद करने के बाद, पश्चिम बंगाल में एक छोटा फार्म खोलकर विकल्प प्राप्त करने के लिए प्रबंधन द्वारा प्रयास किया गया, जिसे आलोच्य वर्ष के दौरान खोला गया और वर्ष के अंत में उत्पादन कार्य शुरू किया गया।

कुछ ट्रैक्टर, कम्बाईन, उर्वरक, छिड़काव यंत्र और इलैक्ट्रॉनिक धर्म कांटा भी निगम के मशीरी बेड़े में शामिल किए गए हैं, जिनकी कीमत रु. 371.00 लाख है। भारत सरकार की सहायता से रु. 396.29 लाख के व्यय से कुछ अन्य निर्माण कार्य भी फार्म पर किए गए। उत्पादन, यांत्रिकी और विपणन गतिविधियों में और अधिक सुधार लाने के लिए निगम द्वारा कुछ नई पहलें भी की गई।

6. जनशक्ति विकासः

दोनों निगम अपने कर्मचारियों और स्टॉफ के मनोबल, वित्तीय उन्नयन और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, उनकी भलाई और बेहतरी के लिए गंभीर प्रयास कर रहे हैं।

7. भावी दृष्टिकोण:

भा.रा.फा.नि. और रा.बी.नि. के एकीकरण के बाद निस्संदेह रा.बी.नि. के संसाधनों में उत्पादन, यांत्रिकी, विपणन और वित्तीय मोर्चों पर काफी हद तक वृद्धि हुई है। निगम के पास अधिकारियों, कर्मचारियों और अनुभवी कार्मिकों की तकनीकी रूप से योग्य टीम है जो उच्च स्तर पर बीज उत्पादन कर रहे हैं। इसलिए, हम आशा करते हैं कि निगम राष्ट्रीय और आंतरिक चुनौतियों का सामना करते हुए न केवल बीज गतिविधियों में अपितु अन्य मित्र राष्ट्रों और विविध गतिविधियों में आगे भी प्रयासरत रहेगा।

8. एमओयू रेटिंग:

वर्ष 2012-13 के दौरान रा.बी.नि. और भा.रा.फा.नि. की एमओयू रेटिंग को डीपीई के द्वारा "उत्कृष्ट" घोषित किया गया है। यह जानकारी पिछली वार्षिक सामान्य बैठक में पुष्टि के बाद दी जा रही है।



9. अनुपालन परिदृश्यः

- (i) हमें आपको सूचित करते हुए गर्व हो रहा है कि कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2013-14 के लिए निगमित शासन के दिशा निर्देशों को लागू करने के मामले में दोनों निगमों को "उत्कृष्ट" रेटिंग देने के लिए लोक उद्यम विभाग को सिफारिश की है।
- (ii) जहां तक रा.बी.नि. का संबंध है स्वतंत्र निदेशक मंडल की नियुक्ति न होने के कारण लेखा परीक्षा सिमिति का पुन: गठन नहीं हो पाया, जिसके लिए मामला कृषि मंत्रालय के अंतर्गत लंबित पड़ा है। यद्यपि पूर्ववर्ती भा.रा.फा.नि. में 03 स्वतंत्र निदेशक थे जोकि लोक उद्यम विभाग के निगमित शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार लेखा परीक्षा सिमिति की बैठको का निरंतर आयोजन कर रहे थे। फिर भी दोनों ही निगमों ने निगमित शासन के दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है।
- (iii) निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एवं अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) के संबंध में, भारत सरकार के साथ हुए समझौता ज्ञापन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दोनों ही निगम समर्पित रूप से कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, निगम में अन्य समितियां भी हैं जैसे पारिश्रमिक समिति, विषय संचालन समिति, शिकायत समिति, इत्यादि। निष्कर्ष के रूप में दोनों ही निगम सभी कानूनों, दिशा निर्देशों इत्यादि का पूर्ण रूप से पालन कर रहे थे, जो भी उन पर लागू थे।

10. आभारः

मैं इस अवसर पर माननीय कृषि मंत्री, माननीय कृषि राज्य मंत्री, सचिव (कृषि एवं सहकारिता), संयुक्त सचिव (बीज) एवं कृषि मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के मार्गदर्शन, सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा सांविधिक एवं शाखा लेखा परीक्षकों के समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने निदेशक मंडल के माननीय सदस्यों और दोनों ही निगमों के सभी अधिकारियों / कर्मचारियों का धन्यवाद एवं प्रशंसा करना चाहता हूँ जिन्होंने ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रबंधन को हर संभव मार्गदर्शन, समर्थन एवं सहायता प्रदान की। मैं शेयरधारकों एवं प्रबंधन की ओर से, बैकरों, उपभोक्ताओं एवं अन्य स्टैकहोल्डरों को उनके द्वारा निरंतर समर्थन, विश्वास एवं निगम के प्रति सत्यनिष्ठा के लिए भी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ऐसे समर्पित एवं मेहनती कर्मचारियों के साथ माननीय स्टैकहोल्डरों के बहुमूल्य समर्थन तथा संसाधनों के विशाल खजाने के साथ निगम आने वाले वर्षों में अधिक ऊंचाईयों पर पहुंचेगा और मील का पत्थर का साबित होगा।

(विनोद कुमार गौड़), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 26 सितम्बर, 2014

* इससे आशय 51वीं वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही के हिस्से से नहीं है।



निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय अंशधारियों,

आपके निदेशक 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आपके निगम के व्यवसाय तथा कार्यकलापों पर निगम के संपरीक्षित लेखाओं के साथ अपनी 51वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के कार्यशील परिणाम पिछले वर्षों के आंकडों के साथ नीचे दिए गए हैं:

वित्तीय विशेषताएं

कर संबंधी खर्चे:

(क) कार्यशील परिणाम

(रुपये लाख में) आय का विवरण 2013-14 2012-13 प्रचालन से राजस्व 72111.18 68477.40 1763.46 648.22 अन्य आय 73874.64 69125.62 कुल खर्चै: उपभोग की गई सामग्रियों की लागत 1654.33 2443.21 व्यापारगत माल की खरीद 46478.80 49710.53 (838.74)तैयार माल, प्रक्रियाधीन माल तथा व्यापारगत 2854.77 माल की अनुसूची में परिवर्तन कार्मिकों के लाभ के लिए किए गए खर्च 6851.42 5256.63 वित्तीय लागत 160.93 494.79 7439.28 अन्य खर्चे 5602.53 266.85 329.84 मूल्यह्रास 65706.38 62998.79 कुल असाधारण कर पूर्व लाभ, असाधारण 8168.26 6126.83 पूर्वावधि मदें तथा कर असाधारण मदें (4.72)(8.13)असाधारण से पूर्व लाभ, पूर्वावधि मदें 8172.98 6134.96 अतिरिक्त सामान्य मदें 106.38 पूर्वावधि मदों से पूर्व लाभ एवं कर 8066.60 6134.96 0.09 (91.48)पूर्वावधि मदें (निवल) कर पूर्व लाभ 8066.51 6226.44



चालू कर	3048.00	2185.69
आस्थगित कर	(383.68)	(399.98)
पिछले वर्षों से संबंधित कराधान	(4.47)	10.65
कुल	2659.85	1796.36
वर्ष के लिए लाभ	5406.66	4430.08

प्रति इक्विटी शेयर उपार्जन (प्रत्येक का रु. 1000/- अंकित मूल्य)

मूल तथा अविमश्रत असाधारण मदों से पूर्व 2430.67 1953.19

मूल तथा अविमिश्रत, असाधारण मदो के पश्चात 2383.76 1953.19

वर्ष 2013-14 के दौरान निगम ने रु. 73,874.64 लाख की कुल आय अर्जित की, जबिक पिछले वर्ष निगम की कुल आय रु. 69,125.62 लाख थी। इस प्रकार निगम ने 7.0% की वृद्धि दर्ज की है।

(ख) पूंजीगत संरचना

निगम की 31 मार्च 2014 को प्रदत्त पूंजी रु. 2668.12 लाख थी, जिसमें रु. 1000/- के 226812 इक्विटी शेयर हैं। भारत सरकार के पास 100% चुकता अंश पूंजी है। आरक्षित निधि और अधिशेष रु. 19730.85 लाख से बढ़कर रु. 24220.16 लाख हो गई। वर्ष के दौरान संयंत्र एवं मशीनरी खरीदने के लिए तथा बीज भण्डार गृह एवं भवन का निर्माण करने के लिए प्राप्त पूंजीगत अनुदान को रु. 48700 लाख से पूंजीकृत किया गया तथा पूंजीगत अनुदान से खरीदी हुई परिसम्पत्तियों पर रु. 139.41 लाख का मूल्यह्मस समायोजित किया गया। उल्लिखित समायोजनों को करने के पश्चात् 31.03.2014 को पूंजीगत अनुदान आरक्षित निधि का शेष रु. 1695.80 लाख रुपए बचा, जबिक 31.03.2013 को यह रु. 1373.22 लाख था।

(ग) ऋण

निगम ने भारतीय स्टेट बैंक से रु. 7500.00 लाख की सीमा तक नकदी ऋण (सीसी) लेने की सुविधा प्राप्त की हुई है। वर्ष के दौरान, निगम ने रु. 160.93 लाख का ब्याज चुकाया जबकि पिछले वर्ष रु. 494.79 लाख का ब्याज चुकाया गया था।

(घ) निवेश

निगम का विभिन्न राज्य बीज निगमों में 31 मार्च 2014 तक रु. 780.68 लाख रुपए का निवेश था। वर्ष के दौरान, राज्य बीज निगमों से कुल 50.93 लाख रुपए का लाभांश प्राप्त हुआ।

(ङ) लाभांश

वर्ष 2013-14 के दौरान निदेशक मण्डल ने चुकता पूंजी पर 20% लाभांश अनुपातिक आधार पर देने की अनुशंसा की है, जिस पर वर्ष 2013-14 के लिए लाभांश कर रु. 70.10 लाख सहित रु. 482.60 लाख रुपए खर्च होंगे। लाभांश का भुगतान वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के पश्चात किया जाएगा।

1. भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड का राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के साथ एकीकरण

इन तथ्यों पर विचार करते हुए, कि दोनों ही सार्वजिनक उपक्रम पूर्णत: भारत सरकार के उपक्रम है जोिक कृषि मंत्रालय के
प्रशासिनक नियंत्रण के अधीन कार्यरत है और दोनों ही सार्वजिनक उपक्रम अंतिम उपयोगकर्ता के लिए फसलों के, संवर्धन हेत्



विभिन्न किस्मों के प्रजनक, आधार एवं प्रमाणित बीजों का उत्पादन एवं विपणन के कार्यो में लगे हुए है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391–394, साथ में पढ़ें धारा 396, के अनुसरण में, दोनों ही सार्वजनिक उपक्रमों के एकीकरण का प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा वर्ष 2013 के दौरान उनके निदेशक मंडल द्वारा एकीकरण का अनुमोदन किया गया।

- ii. निदेशक मंडल के अनुमोदन के पश्चात, इस प्रस्ताव को केन्द्रीय मंत्रीमंडल के अनुमोदन के लिए कृषि मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया जिस पर केन्द्रीय मंत्रीमंडल 26.12.2013 को अपनी सहमित प्रदान करी। केन्द्रीय मंत्रीमंडल के निर्णय को कृषि मंत्रालय ने 07.01.2014 को दोनों निगमों को बताया। तदनुसार, एकीकरण के लिए 22.01.2014 को कार्पोरेट मंत्रालय के समक्ष अपेक्षित याचिकाएं दाखिल की गई। तीन सुनवाई पर मामले को पूरे विश्वास के साथ एमसीए के समक्ष रखा गया और कुछ आवश्यकताओं को समाप्त करने पर जैसे कि शेयरधारकों, ऋणदाताओं की बैठक इत्यादि, जिन पर समय लग सकता था, को पूरा करते हुए, अंतत: एमसीए ने अपने आदेश 30.04.2014 के द्वारा दोनों निगमों के एकीकरण के आदेश दे दिए। इस पर अन्य बातों के साथ साथ एसएफसीआई को समापन के बिना भंग करने का आदेश दिया गया। मंत्रालय ने दोनों निगमों को आदेश दिया कि 30.04.2014 के आदेश की प्रति आर. ओ. सी. के पास दाखिल करें, जिसे दाखिल कर दिया गया है।
- iii. विलय से पूर्व, यहां पर एकीकरण के लिए अनेक कार्रवाई की गई। एसएफसीआई से संबंधित संपत्तियों / पिरसंपित्तयों को अब एनसीसी के नाम पर उत्तपिरवर्तन (mutation) करने की कार्रवाई चल रही है। इस संबंध में आम जानकारी के लिए स्थानीय समाचारपत्रों के माध्यम से सूचित किया गया। एसएफसीआई के द्वारा "फार्म सोना" नाम पर ट्रेडमार्क का पंजीकरण के आवेदन पर अब एनएससी के नाम पिरवर्तन के लिए आवेदन दे दिया गया है। एसएफसीआई के सभी कार्मिकों को एनएससी के उपस्थित पंजिका पर ले लिया गया है। बैकों को एकीकरण के बारे में बता दिया है। न्यायिक मामलों के संबंध में, विधिक कार्रवाई / देयताओं के बारे में संबंधित अधिवक्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित न्यायालयों में उचित आवेदन दाखिल करके न्यायालयों को बताए कि 'एसएफसीआई' की जगह 'एनएससी' का नाम इंगित करें। इसी प्रकार आयकर एवं अन्य कराधान प्राधिकरणों को भी तथ्यों के बारे में सूचित किया गया है।
- iv. आंतरिक रूप से उत्पादन एवं विपणन कामकाज में फेर बदल किया गया है, क्षेत्रीय कार्यालयों का विलय किया गया है तथा समझौता ज्ञापन को संयुक्त रूप से संशोधित मानकों के आधार पर कार्यान्वयन के लिए लोक उद्यम विभाग के अनुमोदन हेतु भेजा गया है। उत्पादन एवं विपणन के लक्ष्यों में वृद्धि की गई है तािक अधिक राजस्व प्राप्त किया जा सके।
- v. उपरोक्त को देखते हुए, यह बहुत हर्ष की बात है कि अब राष्ट्रीय बीज निगम देश में सर्वोच्च स्तर का बीज उत्पादन सार्वजनिक उपक्रम बन गया है, जोकि पहले ही अनुसूची – "बी" श्रेणी का निगम है और इसकी अनुसूची – "ए" श्रेणी का सार्वजिक उपक्रम में उन्नत होने की संभावना है।

परिचालन विशेषताएं

(क) बीजों की बिक्री

वर्ष 2013-14 के दौरान 14,53,070 क्विटल प्रमाणित / गुणवत्ता बीजों का कुल कारोबार रु. 73,751.77 लाख का हुआ। मात्रात्मक विवरण नीचे दिए गए हैं:

(मात्रा क्विंटलों में)

क्र.सं.	बीजों की श्रेणी	बीजों की बिक्री (क्विंटल में)		
		2013-14	2012-13	
1.	प्रमाणित बीज	14,53,070.00	15,56,025.00	



मात्रात्मक दृष्टि से प्रमाणित बीजों की बिक्री 15.56 लाख क्विंटल से कम होकर 14.53 लाख क्विंटल रह गई। इसका मुख्य कारण था गेहूँ की बिक्री में 80,000 क्विंटल, धान की बिक्री में 50,000 क्विंटल की कमी रहना और दलहन बीजों की बिक्री में 20,000 क्विंटल की वृद्धि हुई।

प्रमाणित बीजों की सकल बिक्री का विवरण नीचे दिया गया है -

क्र.	फसल समूह	प्रमाणित / गुणवत्ता बीजों की बिक्री		प्रतिशत
सं.		(रुपए लाख में)		वृद्धि / कमी
				1
		2013-14	2012-13	
1	खाद्यान	21319.74	20881.55	1.65
2	तिलहन	35060.82	27843.01	25.58
3.	दलहन	11371.91	10347.27	9.71
4.	चारे वाली फसलें	4533.13	3974.33	14.22
5.	रेशे वाली फसलें	364.92	1636.91	–77
6	सब्जियां (आलू तथा पौध	1101.25	4329.97	-72
	सामग्री को शामिल करके)			
	योग	73751.77	69013.04	6.7

रेशा और बागवानी श्रेणी को छोड़कर लगभग सभी फसल श्रेणियों में वृद्धि हुई। रेशों वाली फसलों में कमी बाजार नाजुक हो जाने के कारण हुई, तथा बागवानी श्रेणी में इस तरह के उत्पादों को आऊटसोर्स के माध्यम से नहीं लेने के फैसले की वजह से बिक्री में काफी कमी आई।

(ख) बीजों की खरीद

(मात्रा क्विटल में)

क्र.सं.	बीजों की श्रेणी	2013-14	2012-13
1.	प्रमाणित बीज	13,73,867.00	15,94,755.00
2.	आधार बीज	51,201.00	65,219.00
3.	प्रजनक बीज	3507.00	6817.00
	योग	14,28,575.00	16,66791.00



(ग) महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध

निगम ने निम्नलिखित 09 विख्यात निजी बीज कंपनियों के साथ उनके उत्पाद बेचने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि किसान एक ही दुकान से अपनी इच्छानुसार बीज प्राप्त कर सकें।

क्र.सं.	समझौता ज्ञापन भागीदारों का नाम	
1.	मैसर्स देवगन सीड्स एवं क्रॉप टेक्नोलॉजी प्राःलिः	
2.	मैसर्स धान्य सीड्स	
3.	मैसर्स वीएनआर सीड्स प्रान्लिः	निगम के स्थाई बिक्री
4.	मैसर्स यूनाईटेड फॉसफोरस लि.	चैनलों के माध्यम से
5.	मैसर्स सीड वर्कस इंटरनेशनल प्रा.लि.	किसानों को बिक्री के लिए
6.	मैसर्स सायनजेंटा इंडिया लिमिटेड	इन कंपनियों के निजी शोध
7.	मैसर्स कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड	ब्रेड बीज की खरीद।
8.	मैसर्स प्रोलाईन सीड्स कंपनी (इंडिया) प्रा. लि.	
9.	भारतीय बीज निगम लि.	

(घ) उत्तर-पूर्वी राज्यों में की गई पहल

एनएससी सामान्यतया देश के दूर-दराज एवं पूर्वी क्षेत्रों और विशेषतया उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हमेशा बीजों की उपलब्धता तथा आपूर्ति को उचित महत्त्व देता रहा है। वर्ष 2013-14 के दौरान निगम ने उत्तर पूर्वी राज्यों को 14,741 क्विटलं बीज आपूरित किया, जबिक पिछले वर्ष 17,680 क्विटल बीज आपूरित किया गया।

3. बीजों का आयात एवं निर्यात

निगम ने बांगलादेश से 325 अमरीकी डालर मूल्य के 40 पैरा किलो/एसएल-8 एच धान बीज का आयात किया। इसे आईसीएआर को बहुस्थान परीक्षा के लिए आपूर्ति किया गया।

वर्ष के दौरान निगम ने बीज का निर्यात नहीं किया, परंतु वर्ष 2014-15 में बेहतर निर्यात होने की संभावना है।

(ङ) बीज उत्पादन क्रियाकलाप

निगम लगभग 60 फसलों की जनक लाइनों सिहत 600 से अधिक किस्मों / संकर / क्लोन बीजों का उत्पादन करता है। इनमें खाद्यान्न, ज्वार – बाजरा, तिलहन, दलहन, चारे वाली फसलें, रेशेवाली फसलें, हिरत खाद, आलू तथा सिब्जियों की अनेक किस्में सिम्मिलत हैं। एनएससी न केवल विभिन्न फसलों की विभिन्न किस्मों के बीजों का उत्पादन करता है, अपितु मक्का, ज्वार – बाजरा, धान, सूरजमुखी, अरण्डी, सिब्जियों, इत्यादि के संकर बीज का उत्पादन भी करता रहा है।

नई किस्में: रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान गेहूँ, धान, मक्का, मूंगफली, ज्वार-बाजरा, अरण्डी, सूरजमुखी, लूसर्न, कंगनी, सोयाबीन, तिल, सरसों, मूंग, मसूर, चना, इत्यादि फसलों की 25 नवीन नई किस्में तथा संकर बीजों को उत्पादन श्रृंखला में शामिल किया गया है।



(च) लाभप्रदता

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, निगम का व्यापार आवर्त में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई, जोकि पिछले वर्ष के रु. 691.34 करोड़ के मुकाबले रु. 738.75 करोड़ हो गया। इसका मुख्य कारण रहा मूंग, सोयाबीन, चना, गेहूँ, मूंगफली, इत्यादि विभिन्न फसलों के बीजों की बिक्री मूल्य में वृद्धि होना।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान व्यापार आवर्त में वृद्धि होने के बावजूद, पिछले वर्ष की तुलना में खर्चों में कमी आई। निगम की वित्त लागत में काफी अधिक कमी आई, यह रु. 4.95 करोड़ से कम होकर रु. 1.61 करोड़ रह गई। वित्तीय वर्ष के दौरान वित्त लागत में रु. 3.34 करोड़ की निवल बचत हुई। परिचालनात्मक लागत रु. 32.96 करोड़ से कम होकर रु. 30.05 करोड़ रह गया, इस प्रकार इसमें लगभग रु. 2.91 करोड़ की बचत हुई है।

(छ) बीजों की स्टॉक

31.03.2014 एंव 31.03.2013 को बीजों की तुलनात्मक वस्तुसूची नीचे दी गई है -

(मात्रा क्विंटल में) / (रुपए लाख में)

क्र.स.	बीजों का प्रकार	2012-13		2013-14	
		मात्रा	राशि	मात्रा	राशि
1.	प्रजनक	825	31.00	647	28.00
2.	आधार	8384	254.00	11773	477.00
3.	प्रमाणित	168194	6323.00	80185	3348.00
	योग	177403	6608.00	92605	3853.00

(ज) गुण नियंत्रण

निगम हर सम्भव प्रयत्न करता है कि वह किसानों के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन और वितरण करे। प्रमाणीकरण मानकों के अनुरूप तथा संबंधित राज्यों की राज्य बीज प्रमाणिकरण संस्थाओं द्वारा मान्य, प्रचूर मात्रा में सावधानी के साथ बीज उत्पादन कर रहा है। इस दिशा में, एनएससी न केवल राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसियों से अपने उत्पादित बीजों का प्रमाणीकरण करवाता है, अपितु उत्पादन, संसाधन, पैकिंग, संचलन और विपणन जैसे विभिन्न स्तरों पर इन बीजों की गुणवत्ता को अपने सुदृढ आन्तरिक गुणवत्ता नियन्त्रण पद्धित से भी जांच करवाता है। प्रत्येक क्षेत्र में आन्तरिक गुणवत्ता की सख्ती से जांच करने के लिए एक गुणवत्ता नियन्त्रण अधिकारी तैनात किया गया है, जो बीज उत्पादन खेतों का निरीक्षण करता है और बीज उत्पादक को तदनुसार अन्य प्रजाति के पौधों को हटाने, खरपतवार उखाड़ने, समुचित कीटनाशकों का छिड़काव करने, इत्यादि विभिन्न उपाय करने की सलाह देता है ताकि खेत में बीज की गुणवत्ता कायम रह सके। गुण नियंत्रण अधिकारी प्रसंस्करण एवं भंडारण के दौरान बीजों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए संसाधन संयंत्रों तथा बीज भण्डारों का निरीक्षण करता है। गुण नियंत्रण अधिकारियों के कार्यकलापों की निगरानी मुख्यालय के गुण नियंत्रण विभाग द्वारा मासिक आधार पर रिपोर्ट का विश्लेषण के साथ-2 खेती की जांच की जाती हैं। उन्हें समय-समय पर समुचित मार्गदर्शन भी दिया जाता है।

प्राकृतिक प्रक्रिया में अवमानक हो जाने वाले बीजों के स्टॉक की पहचान करने के लिए भी एक नियमित सिस्टम है और गुणवत्ता नियंत्रण उपायों के रूप में ऐसे बीजों को गैर-बीज के रूप में निपटान करने के लिए कार्रवाई की जाती है।



वर्ष के दौरान, नई दिल्ली, सिकन्दराबाद, भोपाल, कोलकाता तथा पुणे स्थित सभी पांचों गुण नियंत्रण प्रयोगशालाओं में 23,606 नमूनों का निर्धारित बीज परीक्षण प्रक्रिया के अनुसार भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानकों (आईएमएससीएस) के अन्तर्गत यथानिर्धारित विभिन्न बीज गुणवत्ता परिमापको अर्थात् अंकुरण, भौतिक शुद्धता, नमी, अन्य विभेदक किस्मों, कीट द्वारा क्षिति, बीज स्वास्थ्य, इत्यादि के लिए विश्लेषण किया गया।

गुण नियंत्रण प्रयोगशाला (उत्तर) को अन्तर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण करने में तकनीकी रूप से सक्षम बनाने और अन्तर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संस्था (आईएसटीए) से मान्यता प्राप्त करने के लिए निगम में सितम्बर, 2012 से कदम उठाने आरम्भ कर दिए हैं। इस दिशा में पहले कदम के रूप में एनएससी ने आईएसटीए सिचवालय, स्विटजरलैंड से प्राप्त बीजों के नमूनों के प्रवीणता परीक्षण में भाग लिया। इस संबंध में पाईसम सेटीवम (मटर) एवं ब्रासिका नपस (सरसों) के एक-एक नमूने प्राप्त हुए और इनका रिपोर्टिंग अविध के अन्दर परीक्षण किया गया। अभी तक आईएसटीए के 04 नमूनों का परीक्षण किया गया।

दिल्ली में एक डीएनए फिंगर प्रिन्टिंग प्रयोगशाला की स्थापना की गई है ताकि किसानों को संकर बीज, सब्जियों तथा आधारीय बीज आपूर्ति करने से पूर्व उनकी जैविक शुद्धता का परीक्षण किया जा सके।

गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, नई दिल्ली में आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण खरीद कर बीज स्वास्थ्य परीक्षण सुविधायें उपलब्ध करायी गई हैं, ताकि निगम द्वारा किसानों को दिया जाने वाला बीज कीटों से क्षितिग्रस्त न हो और उन बीजों में लगने वाला कोई रोग भी न हो। बीज परीक्षण को और अधिक विशुद्ध और वैज्ञानिक बनाने के लिए समय-समय पर प्रयोगशाला में नये-नये उपकरण लगाए जाते हैं।

(झ) प्रचार तथा शिक्षा प्रसार कार्यकलाप

किसानों को प्रमाणित / गुणवत्ता वाले बीजों के उपयोग के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से निगम ने देश के महत्वपूर्ण स्थानों पर आयोजित किए गए प्रदर्शिनियों / किसान मेलों में भाग लिया, जैसे – 9वां हाईटैक एग्रीकल्चर एवं इन्टरनेशनल होर्टि – एक्सपो – 2013, प्रगित मैदान, नई दिल्ली; नेशनल स्किल फाउण्डेशन ऑफ इण्डिया (एनएसएफआई) ग्लोबल एग्री कन्नैक्ट – 2013 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली; भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला – 2013, प्रगित मैदान, नई दिल्ली; पूसा कृषि विज्ञान मेला, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान मेला ग्रांउड, नई दिल्ली; यूनिर्विसिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस यूएएस, रायचूर; चौथां एग्रोटेक–2013 मिलन मेला ग्रांउड एवं यूआईटीसी, सोनर, कोलकाता; कृषि मेला, मध्य, मैसूर, कृषि वसंत, राष्ट्रीय कृषि मेला एवं प्रदर्शनी, नागपुर एवं किसान मेला, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में भाग लिया। विरष्ठ अधिकारियों ने दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले कृषि दर्शन तथा अन्य कृषि संबंधी कार्यक्रमों में

वारष्ठ आधकारिया न दूरदशन आर आकाशवाणा पर प्रसारित हान वाल कृषि दशन तथा अन्य कृषि सबधा कायक्रमा म् सक्रिय रूप से भाग लिया और किसानों के लाभ के लिए बीज संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की।

(ञ) बीज उद्योग साहित्य

एनएससी ने बीज उद्योग से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े संगठनों तथा डीलरों और किसानों में वितरण के लिए फार्मर्स सीड गाईड-व-डायरी 2014 का प्रकाशन किया तथा कैलेण्डर भी छपवाए। इसके अतिरिक्त, एनएससी ने सब्जी किचन गाईड (उत्तर) एवं (दक्षिण), रबी बीज कार्यक्रम पुस्तिका तथा खरीफ बीज कार्यक्रम पुस्तिका, एनएससी बीज की बातें - त्रैमासिक पत्रिका का मुद्रण करवाया और कृषक समुदाय को उपलब्ध करवाया।



4. आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण

(क) बीज भण्डार गृहों एवं संयंत्र भवनों का निर्माण

निगम ने वर्ष 2013-14 के दौरान 34600 क्विंटल क्षमता के बीज भंडारण का निर्माण किया। अब एनएससी के पास 31 मार्च, 2014 तक 5,85,800 क्विंटल बीज भण्डारण की क्षमता एवं 10700 क्विंटल के लिए वानुकूलित बीज भण्डार की क्षमता उपलब्ध हैं।

(ख) बीज संसाधन क्षमता का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण

वर्ष 2013-14 के दौरान 2,40,000 क्विंटल बीज प्रसंस्करण क्षमता का सृजन किया गया, जिसमें चित्तौड़गढ़, नदंयाल एवं वारंगल प्रत्येक में 08 टन प्रति घंटा की क्षमता वाले (गेहूँ के आधार पर) संपूर्ण बीज प्रसंस्करण लाईन की स्थापना करके 31. 03.2014 तक 13.72 लाख क्विंटल की वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता की उपलब्धता निर्धारित की गई। मुख्यालय में 01 डीजी सैट का प्रापण एवं स्थापना, बरेली में प्री-क्लिनर, फाईन क्लिनर एवं वीबी ऐलीवेटर, वर्तमान संयंत्रों में 05 एयर कंप्रेशर तथा जलगांव में 01 वैल्ट कनवेयर की स्थापना की गई।

(ग) सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005

वित्त वर्ष 2013–14 के दौरान, निगम में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत 94 आवेदन पत्र प्राप्त हुए और अधिनियम के अनुसार निर्धारित अविध में सभी आवेदन पत्रों का निपटान किया गया और सूचना का अधिकार अधिनियम के नियमों का पालन करते हुए सभी सम्बद्ध सूचना मंत्रालय को भिजवायी गई।

(घ) निजी क्षेत्रों में बीज उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायता

निजी क्षेत्रों में बीज उत्पादन बढ़ाने के लिए वर्ष 2005-06 में आरम्भ की गई सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम वर्ष 2013-14 में भी जारी रही। इस योजना के अन्तर्गत उद्यमियों को प्रति इकाई पूंजीगत लागत पर 25% की दर से अधिकतम 25 लाख रुपये की बैक - एण्डिड आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करते हुए विभिन्न राज्यों के उद्यमियों से प्राप्त हुए प्रस्तावों पर कार्रवाई की गई और वर्ष 2013-14 के दौरान 28 परियोजनाओं पर रु. 158 लाख की आर्थिक सहायता की पहली किस्त और 40 परियोजनाओं पर रु. 245 लाख की द्वितीय किस्त जारी की गई। इससे निजी क्षेत्र में वर्ष 2013-14 के दौरान 9.89 लाख क्विंटल की अतिरिक्त बीज संसाधन क्षमता तथा 3.08 लाख क्विंटल को भण्डारण का निर्माण हुआ।

5. मानव संसाधन

31.03.2014 को सभी वर्गों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या 701 थी, जबिक 31.03.2013 को यह 767 थी। 31.03.2014 को समूह "क", "ख", "ग" और "घ" के कार्मिक की संख्या निम्न प्रकार से है:

<u>v</u> ,	. , , , ,	
समूह	कार्मिकों की कुल संख्या	स्वीकृत पदों की संख्या
क	142	166
ख	206	247
ग	211	282
ਬ	142	154
योग	701	849
1	I .	1



वर्ष 2013-14 के दौरान पदोन्नित / सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पद एवं अ.जा. / अ.ज.जा. से संबंधित उम्मीदवारों की संख्या के संबंध में विवरण निम्न प्रकार है:

(क) पदोन्नति

समूह	भरे गए पदों की संख्या	अ.जा. /	अ.ज.जा. से संबद्ध उम्मीदवारों की संख्या
		अ.जा.	अ.ज.जा
क	67	7	1
ख	33	10	1
ग	33	6	o
घ	83	22	2
योग	216	45	4

(ख) सीधी भर्ती

समूह	भरे गए पदों की	अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.श्रे. / शा.अ. से सम्बद्ध उम्मीदवारों की संख्या			
	संख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.क्षे.	शा.अ.
क	2	o	0	0	0
ख	0	0	0	0	0
ग	6	0	0	4	0
ঘ	5	0	0	1	0
योग	13	0	0	5	0

(ग) 31.03.2014 को अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का एनएससी में विभिन्न समूह के कर्मचारियों में प्रतिनिधित्व निम्न प्रकार से है:

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जा अ.जा.	ति से संबद्ध कर्मचारियों की संख्या अ.ज.जा
क	142	20	3
ख	206	36	13
ग	211	34	5
घ	142	30	4
योग	701	120	25



(घ) अपंग व्यक्तियों का नियोजन

निम्नलिखित प्रत्येक अपंगता के लिए चिह्नित पदों पर 31.03.2014 को अपंग कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार है:

क	अन्धत्व के कारण अपंग	1
ख	बहरेपन के कारण अपंग	0
ग	मस्तिष्क संबंधी पक्षाधात के कारण दोनों पैरों से अपंग	12

(ङ) भृतपूर्व सैनिकों का नियोजन

श्रेणी	संख्या
समूह क	0
समूह ख	0
समूह ग	01
समूह घ	01
योग	2

निगम "पदों पर आधारित" आरक्षण रोस्टर रखने के संबंध में लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली से समय-समय पर प्राप्त मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करता है।

6. मानव संसाधन विकास

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निगम, बीजों से संबंधित कार्यकलापों में लगे कर्मचारियों की प्रबन्ध विकास कार्यकुशलता तथा कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहा है। इसके लिए संकर बीज उत्पादन, सिंब्जियों के बीजों का उत्पादन तथा विपणन और बीज तथा रोपण पौध सामग्री के विपणन, बीज गुणवत्ता नियंत्रण, कम्प्युटर अनुप्रयोग, कार्यपालक विकास कार्यक्रम, बीज, प्रशासन और लेखा से संबंधित परिचयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अन्य विविध पहलुओं पर प्रसिद्ध संस्थाओं के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए तािक प्रशिक्षणािथयों के ज्ञान व कौशल इत्यादि में वृद्धि हो सके। बदलते व्यापारिक पर्यावरण की आवश्यकताओं को पूरा करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है। तदनुसार, काफी संख्या में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाया गया तथा विकासात्मक क्रियाकलापों से अवगत कराया गया।

विभिन्न राज बीज निगमों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, राज्य बीज प्रमाणीकरण अधिकरणों, कृषि / बागवानी विभाग, कृभको, निजी बीज कम्पनियों तथा एनएससी के अधिकारियों ने इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

7. सूचना तकनीक

निगम ने वर्ष 2011-12 के दौरान "बीज प्रबन्धन" ईआरपी को सफलतापूर्वक लागू किया और तब से अब तक चालू वर्ष में इसमें और सुधार और अधिक प्रभावी बनाने का कार्य किया जा रहा है तािक देश भर में स्थित एनएससी के क्षेत्रीय तथा प्रक्षेत्र कार्यालयों के सभी खातों तथा मालसूचियों की निगरानी की जा सके। सुचारु और सुरक्षित इन्टरनेट की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए फायरवाल उपकरण के साथ लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) स्थापित किया गया है। वर्ष के दौरान निगम की वैबसाइट पर अनेक सुधार किए गए।



8. राजभाषा का प्रगामी प्रयोग

सरकारी काम काज में हिन्दी के उपयोग को बढ़ाने की दृष्टि से वर्ष के दौरान "हिन्दी पखवाड़" में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें सफल प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार दिए गए। मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यलयों में हिन्दी पखवाड़ा समापन समारोह का आयोजन किया गया।

मुख्यालय द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों का राजभाषा की दृष्टि से निरीक्षण किया गया तथा सरकारी कामकाज में हिन्दी के अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अनुदेश दिए गए।

वर्ष के दौरान एनएससी की वैबसाइट को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया गया और इसको समय-समय पर अद्यतन किया जा रहा है।

वर्ष के दौरान चार हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई और इन कार्याशालाओं में निगम के कार्मिकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी की प्रगामी प्रयोग पर चर्चा करने के लिए मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से बैठकें आयोजित की गई और हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही रिपोर्टें नियमित रूप से कृषि मंत्रालय की समीक्षा के लिए भेजी गई।

संघ का राजकीय कार्य हिन्दी में करने के लिए वर्ष 2013-14 के वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए प्रावधानों का पालन करने तथा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयत्न किए गए।

9. सतर्कता

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निदेशानुसार एनएससी, मुख्यालय, नई दिल्ली तथा देश भर में स्थित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में 28 अक्तूबर, 2013 से 02 नवम्बर, 2013 तक 'सतर्कता जागरुकता सप्ताह' मनाया गया। एनएससी मुख्यालय में 30.10.2013 को श्री के.एल. अहूजा, पूर्व निदेशक, केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने "उत्तम शासन की उन्नित में – सतर्कता का सकारात्मक योगदान" विषय पर व्याख्यान दिया। सतर्कता जागरुकता सप्ताह के दौरान एनएससी, मुख्यालय में 28 अक्तूबर 2013 को "उत्तम शासन की उन्नित में सतर्कता की भूमिका" विषयपर एक निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया और प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

उपरोक्त के अलावा, निगम के कर्मचारियों के बीच ईमानदारी एवं पारदर्शिता का वातावरण उत्पन्न करने के प्रयास किए जाते है। निवारण उपाय के रूप में ठेकों का निरीक्षण / आकस्मिक जांच का आयोजन किया जाता है। लंबित अनुशासनात्मक मामलों एवं शिकायतों का नियमित रूप से निगरानी की जाती है। प्रबंधन के साथ अनुशासनात्मक एवं सतर्कता मामलों पर, मुख्य सतर्कता आयुक्त / डीओपीटी / डीपीई द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उपर्युक्त सलाह प्रदान करने के लिए निरंतर बातचीत की जाती है।

10. प्रस्वीकरण

(अ) आईएसओ 9001:2008 एवं ईएमएस 14001:2001

एनएससी गुणवत्ता प्रबन्धन सिस्टम और पर्यावरण प्रबन्धन सिस्टम के लिए क्रमश: 19.03.2007 और 21.03.2009 से प्रमाणित है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैनुअलों में निहित प्रावधानों और विशिष्ट प्रक्रियाओं का एनएससी पालन कर रही है, आन्तरिक तथा बाहरी लेखा परीक्षकों से वार्षिक लेखा परीक्षा करवायी जाती है। इस लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप, एनएससी को आईएसओ 9001:2008 के लिए तीन वर्ष की अविध हेतु पुनप्रमाणित किया गया है जोिक 19.03.2016 तक वैध है और आईएसओ 14001:2004 के लिए भी प्रमाणित किया गया है और यह प्रमाणीकरण 30.03.2015 तक वैध है।



(ब) समझौता ज्ञापन योग्यता क्रम

आपको विदित ही है कि एनएससी ऐसे सार्वजिनक क्षेत्र के संस्थानों में से एक है, जो पिछले 20 वर्षों से लगातार कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रहा है। समझौता ज्ञापन के विविध परिमापकों के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 के लेखा परीक्षित आंकड़ों के आधार पर लोक उद्यम विभाग द्वारा निगम का मूल्यांकन किया गया और इसे योग्यता क्रम में 'उत्कृष्ट' का दर्जा प्रदान किया गया।

आपके निगम और कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए एकीकृत समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

11. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सतत विकास

लोक उद्यम विभाग द्वारा अपने परिपत्र संख्या-15(3)2007-डीपीई(जीएम)-जीएल-99 दिनांक 9.04.2010 में दिए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार निगम ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व से सम्बन्धित प्रावधानों को अपनाया है। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सतत विकास से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए निवल लाभ का 3 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है। विभिन्न क्रियाकलापों की इस प्रकार से योजना बनाई गई है कि क्रियान्वित किए गए कार्यक्रमों का असर समाज के चुने हुए हिस्से पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे।

(क) ग्राम विकास:

इन कार्यकलापों को करने के लिए एनएससी ने सात गांवों को गोद लिया है। ये गांव हैं चमलामोड़ी (हरियाणा), डिर्णिया (हरियाणा), लेहनी (उत्तर प्रदेश), सुखरोली (उत्तरप्रदेश), अहिरोली (उत्तर प्रदेश), विव्रा (महाराष्ट्र) एवं भखड़ी (बिहार)। इनके अलावा अन्य कार्यकलाप भी किए जा रहे हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है-

कार्यक्रम तथा परियोजना के चयन के लिए, समझौता ज्ञापन के अनुसार निदेशक मंडल सतर से नीचे की सिमिति की सिफारिशों पर निदेशक मंडल स्तर सिमिति द्वारा लागू किए जाने वाले कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं पर निर्णय लिया गया। परियोजना के अंतर्गत एनएससी ने 08 कन्या विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण किया, गाँवों की आठवीं तथा इससे ऊपर की कक्षाओं में पढ़ने वाली छात्राओं को 342 सोलर लैम्प एवं 1213 स्कूल किट्स वितरित किए, 10 स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया गया, बच्चों एवं महिलाओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम, महिलाओं के लिए आहार संबंधी सिफारिश जिसमें दवाईयां भी शामिल है, विद्यालयों में वॉटर कूलर उपलब्ध कराए गए तथा सोलर लाईटें लगाए गए। एनएससी ने यह सभी कार्य निगम के निर्धारित क्रय पद्धित के अनुसार किए हैं।

(ख) वनरोपण (वृक्षारोपण) :

वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत एनएससी ने बीज गांवों में 1.09 लाख वृक्ष लगाए।

(ग) राहत एवं पुर्नवास गतिविधि

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या 15(9)/ 2013-डीपीई (जीएम) दिनांक 24 जून, 2013 के द्वारा उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में अपने सामाजिक निगमित दायित्व एवं सतत कार्यक्रमों के अंतर्गत ऐसे परियोजनाओं में राहत एवं पुर्नवास कार्यक्रम लेने के निद्रेश दिए। लोक उद्यम विभाग ने प्राकृतिक आपदाओं की सीमा में इस खाते पर अधिक धन खर्च करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत किया।

निदेशक मंडल ने दिनांक 15 जनवरी, 2014 को हुई अपनी 252वीं बैठक में एनएससी और एसएफसीआई के सीएसआर निधि से प्रत्येक का 50 प्रतिशत अंशदान के साथ भारत सरकार के राहत एवं पुर्नवास कार्यक्रम के लिए रु. 200 लाख एवं वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के लिए रु. 38.80 लाख का अनुमोदन किया। तदनुसार इस स्वीकृत राशि से वर्ष 2013–14 के दौरान, आधारभूत सर्वेक्षण पूर्ण करने के बाद, एनएससी के हिस्से से क्रमश: कृषि विभाग, उत्तराखंड सरकार को रु. 40 लाख एवं वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून को रु. 02 लाख जारी किए गए।



12. निगमित शासन

निगमित संस्कृत के पोषण के लिए निगम प्रयासरत है, जिसके अन्तर्गत निगम अपने सभी व्यापारिक कार्यकलापों में नैतिक व्यवहार के उच्च मानकों, व्यक्तिगत जवाबदेही और पारदर्शिता का समावेश करेगी और जिसका पालन निदेशक मण्डल, प्रबन्धनवर्ग एवं कर्मचारीवर्ग द्वारा भी किया जाएगा।

निगम के निदेशक मण्डल को अपने समग्र उत्तरदायित्वों का निवर्हन करने में सहायता के लिए तथा प्रबन्धवर्ग को नीति संबंधी दिशानिर्देश उपलब्ध कराने के लिए उन्हें सभी आवश्यक जानकारी तथा सुविधाएं सुनिश्चत करने के लिए निगम ने आवश्यक पद्धति और प्रक्रिया स्थापित की है ताकि अंशधारीगण दीर्घ अविध तक निगम के मूल्य को समझे।

निगमित शासन पर एक रिपोर्ट अनुबन्ध - I पर संलग्न है।

यह बड़े हर्ष की बात है कि वित्त वर्ष 2013-14 के लिए, प्रशासिनक मंत्रालय ने आपके निगम को निगमित शासन के अंतर्गत "उत्कृष्ठ" दर्जा देने की सिफारिश की है। हमें उम्मीद है कि इसे डीपीई के द्वारा प्रदान किया जाएगा।

13. निदेशक मण्डल

वर्ष के दौरान श्रीमती स्मृति शरण निगम के निदेशक मंडल में नहीं रहीं। श्री आर. के. मिश्रा, अपर आयुक्त (बीज) को उनकी जगह पर निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया।

14. निदेशक मण्डल की बैठकें

31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल की आठ बैठकें हुई है जोकि 03 मई; 26 जून; 6 अगस्त; 26 सितम्बर; 11 अक्टबूर, 06 दिसम्बर, 2013 तथा 15 जनवरी एवं 26 मार्च, 2014 को आयोजित की गई।

15. लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति का गठन सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के लिए निगमित शासन पर लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या: 18(8)2005–जीएम दिनांक 14 मई, 2010 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। तथापि, 16 जनवरी, 2012 से स्वतंत्र निदेशकों की पदाविध समाप्त हो जाने के कारण लेखा परीक्षा समिति अब विद्यमान नहीं है। कृषि मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

16. निदेशकों की जिम्मेदारी का विवरण

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2 कक) के अनुसरण में निदेशकगण यह उल्लेख करते हैं कि :

- (क) वार्षिक लेखाओं को तैयार करने में लागू लेखा मानकों का अनुसरण किया गया;
- (ख) निदेशक मण्डल ने साधारणतया स्वीकार्य सिद्धान्तों के आधार पर ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया और उनका अनुप्रयोग किया गया तथा इस प्रकार के न्यायसंगत और विवेकपूर्ण निर्णय किए एवं अनुमान लगाए, जो वित्त वर्ष के अन्त में निगम की अवस्थिति और इस अवधि के निगम के लाभ – हानि खाते की सच्ची एवं स्वच्छ रूप रेखा प्रस्तुत करते हैं;
- (ग) निदेशक मण्डल ने कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखा रिकार्डों के रखरखाव के लिए तथा निगम की परिसम्पतियों की सुरक्षा एवं धोखे व अन्य अनियमिताओं से बचाव के लिए उचित एवं पर्याप्त देखभाल की;
- (घ) निदेशक मण्डल ने लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए।



एनएससी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में सार्वजनिक अनुसंधान पद्धित से नजदीकी सम्पर्क रखती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की फसल परियोजनाओं से जारी नई किस्मों के बीज बहुलीकरण का कार्य उत्कृष्ट किस्मों को व्यावसायिक खेती के लिए उपलब्ध कराने हेतु लिया जाता है। वर्ष के दौरान एनएससी के उत्पाद श्रृंखल में 25 नई किस्मों को शामिल किया गया।

ऊर्जा संरक्षण

- 1. गोदामों की छत पर पारदर्शी शीट लगाए गए ताकि दिन के समय बिजली के उपभोग में बचत हो सके।
- 2. बीज संसाधन मशीनों को उच्च क्षमता वाली मशीनों से बदल दिया गया ताकि इनके परिचालन में मितव्ययिता लाई जा सके। विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं विदेशी मुद्रा में खर्च का विवरण पैरा में दिया गया है।

18. लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने सर्वश्री के.सी. खन्ना एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, को सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में तथा अन्य सनदी लेखाकारों की फर्मों को शाखा लेखा परीक्षक के रूप में वित्त वर्ष 2013-14 के लिए नियुक्त किया।

19. सामान्य

निगम का कोई भी कर्मचारी रु. 5.00 लाख प्रति माह अथवा रु. 60.00 लाख प्रति वर्ष से अधिक वेतन नहीं ले रहा है, जिसकी रिपोर्ट समय-समय पर यथा संशोधित कम्पनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1975 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अनुसार करनी होती है।

20. शेयरों की वापसी

वर्ष के दौरान निगम द्वारा शेयरों की वापसी नहीं की गई इसलिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 77(क) के अनुसार सूचना शून्य मानी जाए।

21. आभार

कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार; भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विभिन्न राज्यों के कृषि विभाग, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, राज्य बीज निगमों तथा राज्य बीज प्रमाणीकरण अभिकरणों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन, समर्थन तथा उत्साहवर्धन के लिए निदेशक मण्डल अपना आभार व्यक्त करता है।

अपने अंश स्वामित्वधारियों, बीज उत्पादकों, डीलरों / वितरकों द्वारा दिए गए समर्थन और सहयोग तथा एनएससी के सभी ग्राहकों द्वारा निगम की कार्य शैली में लगातार व्यक्त किए गए विश्वास को निदेशक मण्डल कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करता है और यह विश्वास दिलाना चाहता है कि निगम आने वाले वर्षों में भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरन्तर प्रयत्नशीनल रहेगा।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक; कृषि मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग; भारतीय स्टेट बैंक ने निगम को जो बहुमूल्य सहयोग दिया है, निदेशकगण उसके लिए इन सभी के आभारी हैं। अन्त में, एनएससी के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शित उत्साह, वचनबद्धता और अपनेपन की भावना, जिन्होंने इस महान निगम को गर्वान्वित अनुभव कराया, उसके लिए निदेशक मण्डल निगम के सभी कर्मचारियों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।

निदेशक मण्डल के निमित और उनकी ओर से

(विनोद कुमार गौड़)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 13.08.2014

निगमित शासन पर रिपोर्ट

1. निगमित शासन प्रणाली

निगम ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति को यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया है कि निगम समग्र, रूप से समाज के जीवन की गुणवत्ता के संबंध में योगदान करने वाली सामाजिक रूप से उत्तरदायी निगमित इकाई बन सके। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित कार्यकलापों पर अपने कर पश्चात लाभ की 3 प्रतिशत राशि खर्च करने के लिए निगम ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अंग के रूप में भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। निगम ने कई नाजुक क्षेत्रों में पहल करते हुए बड़े-बड़े कार्य किए हैं, जिनका सामान्य जनजीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

यह निगम ईमानदारी पर विश्वास करता है और टिकाऊ सफलता के लिए इसे आवश्यक शर्त मानता है। पारदर्शिता, निष्पक्षता, जवाबदेयता और उत्तरदायित्व कम्पनी के व्यापारिक कार्यकलापों के स्तम्भ हैं। एनएससी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत नागरिकों को सूचनाओं तक समुचित पहुंच उपलब्ध कराती हैं निगम की इस पहलात्मक कार्रवाई से सर्वोत्तम निगमित शासन आचरण अपनाने की निगम की वचनबद्धता को प्रबलता मिलती है।

2. निदेशक मण्डल

क) निदेशक मण्डल का आकार

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अनुसार एक सरकारी कम्पनी है, जिसकी कुल चुकता अंश पूंजी का शत प्रतिशत अंश वर्तमान में भारत के राष्ट्रपित के पास है। कम्पनी के संस्था अन्तर्नियम के अनुसार के निदेशकों को नियुक्त करने की शिक्त भारत के राष्ट्रपित के पास है।

निगम के संस्था अन्तर्नियम की शर्तों के अनुसार, इसके निदेशक मण्डल में दो से कम और पच्चीस से ज्यादा निदेशक नहीं होने चाहिए। ये निदेशक पूर्णकालिक प्रकार्यात्मक निदेशक अथवा अंशकालिक निदेशक हो सकते हैं।

ख) गठन

निदेशक मण्डल में कार्यपालक एवं गैर-कार्यपालक निदेशकों का एक इष्टतम सिम्मिश्रण होना चाहिए। 31 मार्च, 2014 को निदेशक मण्डल में पाँच निदेशक थे, जिनमें से एक अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, भारत सरकार की ओर से नामित दो निदेशक तथा दो प्रकार्यात्मक निदेशक हैं।

ग) निदेशक मण्डल की बैठकें

निदेशक मण्डल / सिमिति के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करके समुचित अग्रिम सूचना देने के बाद निदेशक मण्डल की बैठकें आयोजित की जाती हैं। विशेष आवश्यक मामलों पर विचार करने के लिए लघु अविध की सूचना पर भी बैठकें आयोजित की जाती हैं। संकटकाल अथवा अत्यावश्यकता की स्थिति में पिरचालन के द्वारा संकल्प पारित किए जाते हैं। निदेशक मण्डल के सदस्यों को कार्यसूची के सुनिश्चित प्रारूप में समय रहते आग्रिम में ही विस्तृत कार्यसूची, प्रबन्ध रिपोर्ट एवं अन्य व्याख्यात्मक विवरण पिरचालित किए जाते हैं तािक बैठकों में अर्थपूर्ण, सूचनापरक तथा संकेन्द्रित निर्णय लेने में सुविधा हो। जिन मामलों में किसी दस्तावेज को पिरचालित करना व्यवहार्य न हो अथवा कार्यसूची गोपनीय प्रकृति की हो, तो अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त कर इन्हें बैठक के दौरान प्रस्तृत किया जाता है।



निदेशक मण्डल की बैठकें सामान्यतया कम्पनी के नई दिल्ली स्थिति पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान निदेशक मण्डल की आठ बैठकें आयोजित की गई। प्रत्येक निदेशक कितनी बैठकों में शामिल हुए, उसका विवरण नीचे दिया जा रहा है -

क्र. सं.	निदेशक	निदेशक मण्डल की बैठकें आयोजित की शामिल हुए गई		अन्य कितनी संस्थाओं में निदेशक हैं।
1	श्री वी. के. गौड़ अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (11.12.2012 से)	8	8	8
2	श्री एम. एम. शर्मा निदेशक (वित्त)	8	7	3
3	श्री संजय खताल, निदेशक (वाणिज्यिक)	8	7	1
4.	श्री दिनेश अरोड़ा	8	7	शून्य
5	श्री आर.के.मिश्रा*	8	1	शून्य

^{*} नियुक्ति के पश्चात तुरंत 26.3.2014 को हुई निदेशक मण्डल की प्रथम बैठक में शामिल हुए।

घ) निदेशकों का पारिश्रमिक

i) प्रकार्यात्मक निदेशक

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	सकल परिलब्धियां (रुपए लाख में)
1	श्री वी. के. गौड़	16.60
	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	
	i. 12-06-2013 से 31.03.2014 तक – साथ	
	में एसएफसीआई का अतिरिक्त प्रभार	
	ii. 01.04.2013 से 11.06.2013 तक -	
	एनएससी का अतिरिक्त प्रभार एवं स्थाई	
	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – एसएफसीआई	
2	श्री एम. एम. शर्मा	21.50
	निदेशक (वित्त)	
3	श्री संजय खताल,	15.20
	निदेशक (वाणिज्यिक)	
	(27.05.2013 से 31.03.2014 तक)	



- ii) अंशकालिक सरकारी निदेशक निगम द्वारा अंशकालिक सरकारी निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया।
- iii) अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों को बैठक शुल्क को छोड़कर अन्य कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।

3. जोखिम प्रबन्धन:-

केन्द्रीय सार्वजिनक क्षेत्र के संस्थानों के लिए निगमित शासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश के अनुच्छेद 7.3 के अनुसरण में, अपनी पिरसम्पित्तयों को सुरक्षित करने की रणनीति के तहत जोखिम प्रबन्धन के लिए एनएससी वचनबद्ध है तािक इसकी पिरसम्पित्तयों को किसी भी प्रकार की चोट, हािन अथवा क्षित जिससे किसानों, निगम के कािर्मिकों तथा जनता के अन्य लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन की एएनससी की योग्यता पर भारी प्रभाव पड़ सकता हो, सुरक्षित रखा जा सके। जोखित प्रबन्धन की प्रक्रिया में जोखिम की पहचान, जोखिम का निर्धारण, जोखिम मूल्यांकन, इसका वर्गीकरण और जोखिम को कम करने के लिए जोखिम उपचार योजना शािमल हैं। निगम की सारी स्थायी परिसम्पित्तयां बीमा पॉलिसी के तहत बीमा करवाया हुआ है और धोखाधड़ी पर नियंत्रण रखने के लिए निगम में एक समुचित आन्तरिक नियंत्रण सिस्टम है। त्रैमासिक आंतरिक लेखा परीक्षा शुरु करने के लिए एवं वर्ष के अंत में संपितयों के सत्यापन हेतु मुख्यालय के साथ–साथ सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वतंत्र सनदी लेखाकारों की नियुक्ति हेतु यहां पर स्पष्ट कार्य प्रक्रिया है। यदि किसी धोखाधड़ी का पता चलता है तो अन्वेषण और जांच करने के बाद अनुमोदित कार्य प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है। कंपनी की परिसंपित्तयों का उचित बीमा किया गया है। निगम ने जोखिम प्रबंधन नीित को अपना रखा है।

4. निदेशकों की जवादेयताः

निगम और भारत सरकार के बीच वर्ष के प्रारम्भ में एक वार्षिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिसमें वित्तीय तथा गैर वित्तीय कार्यक्षेत्रों के लक्ष्य तथा इनकी गुरुता भारत सरकार के परामर्श से नियत किए जाते हैं। वर्ष के अन्त में इन लक्ष्यों की तुलना में निगम के कार्य निष्पादन का जायजा किया जाता है। समझौता ज्ञापन के अनुसार कार्य निष्पादन की समीक्षा निगम द्वारा तिमाही आधार पर नियमित रूप से की जाती है। इसमें किसी भी प्रकार की कमी की पहचान कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव इन फोरमों द्वारा दिया जाता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में समझौता ज्ञापन की उपलिब्धियों की रिपोर्ट कृषि मंत्रालय भेजी जाती है और कृषि मंत्रालय और लोक उद्यम विभाग के कार्यदल द्वारा निगम के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार वास्तविक उपलिब्धियों के आधार पर किया जाता है।

5. साधारण सभा बैठकः

वार्षिक साधारण बैठक

पिछली तीन वार्षिक साधारण बैठकों की तिथि, समय तथा स्थान के बारे में विवरण इस प्रकार है -



तिथि	29.09.2011	21.09.2012	26.09.2013
समय	अपराह्न 02.30 बजे	पूर्वाह्न 11.45 बजे	पूर्वाह्न 11.45 बजे
स्थान	बीज भवन, पूसा परिसर,	बीज भवन, पूसा परिसर,	बीज भवन, पूसा
	नई दिल्ली स्थिति	नई दिल्ली स्थिति पंजीकृत	परिसर, नई दिल्ली
	पंजीकृत कार्यालय	कार्यालय	स्थिति पंजीकृत कार्यालय
विशेष संकल्प	शून्य	शून्य	शून्य
उपस्थिति	1. श्री एस.के. रूंगटा 2. डॉ. पी.वी.साल्वी 3. श्री वाई.आर.पुरन्दरे 4. श्री गोपाल साधवानी	1. श्री एस.के. रूंगटा 2.श्री एस. सेल्वाराज 3. डॉ. एन इमयवरम्बन 4.श्री एम.एम. शर्मा	 श्री वी.के.गौड़ श्री राम कुमार, भारत के राष्ट्रपित का प्रतिनिधि श्री राम कुमार, अवर सचिव (बीज) श्री दिनेश अरोड़ा श्री एम.एम.शर्मा श्री संजय खताल

6. प्रकटन:

क) सम्बद्ध पार्टी सौदे:

निगम के निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटीकरण के अनुसार ऐसे कोई सम्बद्ध पार्टी सौदे नहीं हैं जो निगम के हितों पर व्यापक रूप से सम्भावी प्रतिकूल प्रभाव डालते हों।

(ख) लेखा व्यवस्थाः

वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत आवश्यक रूप से लागू लेखा मानकों और सम्बद्ध प्रदर्शन संबंधी अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

7. सम्प्रेषण का माध्यमः

निगम के प्रकार्यात्मक और वित्तीय निष्पादन इसकी वैबसाईट www.indiaseeds.com पर अपलोड किए जाते हैं।

8. लेखा परीक्षा की मर्यादा:

निगम का हमेशा यह प्रयास रहता है कि शर्त रहित वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाए। 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबन्ध का जवाब निदेशकों की रिपोर्ट की संयोजनी में दिया गया है।

9. कम्पनी के अंशधारियों का पेटर्न:

निगम के शत प्रतिशत अंश भारत सरकार के पास हैं।

10. विसल ब्लोअर नीति:

सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते कम्पनी के खाते भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षित किए जाने और सतर्कता विभाग द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए उपलब्ध रहते हैं। इस निगम में एक स्वतंत्र सतर्कता विभाग है, जिसके विभागाध्यक्ष अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं केन्द्रीय सतर्कता आयोग के समग्र मार्गदर्शन में कार्य करने वाले सतर्कता विभाग का मुख्य जोर निवारक सतर्कता पर रहता है।

× × ×



रवि.एस.शर्मा एवं एसोशिएट्स

कंपनी सचिवगण

निगमित शासन का प्रमाणपत्र

सेवा में.

सदस्यगण,

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड,

बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-110012

हमने राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, (निगम) द्वारा 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है, जैसे कि भारी उद्योग मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई, 2010 में परिकल्पित है।

निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंध की होती है। हमारी जाँच निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निगम के द्वारा अंगीकार किए गए कार्यप्रणाली और उसके अनुपालन तक सीमित थी। यह न तो निगम के वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा है और न ही उन पर विचारों की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और निगम द्वारा रखे गए रिकार्ड एवं कागजातों के अनुसार, हम सत्यापित करते हैं कि निगम ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईएस) के लिए निगमित शासन पर लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया सिवाय (i) निदेशक मंडल की 02 बैठकों का समय अंतराल 03 माह से अधिक का था (ii) निगम ने वित्त वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति का गठन नहीं किया (iii) निगम ने वित्त वर्ष के दौरान मानदेय समिति का पुनः गठन नहीं किया।

यद्यपि कंपनी ने यह स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक मंत्रालय को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है जोिक लेखा परीक्षा समिति एवं मानदेय समिति के लिए अनिवार्य है, अभी तक इन निदेशकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है और इसलिए वर्तमान में लेखा परीक्षा समिति मौजूद नहीं है।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि यह अनुपालन न तो कंपनी के भविष्य में जीवन क्षमता को आश्वत करता है और न ही निगम के कार्यकलापों से संचालन में प्रबंध की कार्यक्शलता अथवा प्रभावशीलता का द्योतक है।

> रवि.एस.शर्मा एवं एसोशिएट्स कंपनी सचिवगण

> > रवि एस शर्मा (प्रोपाईटर)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 08 अगस्त, 2014

कार्यालय-2749, चौथा तल, गली न. 13, रणजीत नगर, मेन पटेल रोड, नई दिल्ली-110008

दूरभाष/फैक्स: 011-25701748



कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-IV, नई दिल्ली

सं- 271 - पीडीसीए/एचएस/एमएबी-IV/वार्षिक एकाउन्टस/एनएससी/2014-15/504

दिनांक: 26.09.2014

सेवा में, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-110012

विषय: राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

महोदय,

मुझे इसके साथ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां संलग्न कर रहा है। कृपया पत्र की पावती भेंजे।

भवदीय.

(सुपर्णा देव)

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा

एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-IV, नई दिल्ली

संलग्न: उपरोक्त

आठवाँ व नवाँ तल, संकाय भवन, 10 बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110002 दूरभाष: 23239413, 23239415, 23239419, 23239420, फैक्स: 23239416

ई-मेल: mabNewdelhi4@cag.gov.in



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां:-

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत विनिहित वित्तीय सूचना की रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय बीज निगम का वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंध की है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अपने व्यवसायिक निकाय सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र रूप से किए गए लेखा परीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं, उनके लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 18.08.2014 के अनुसार यह बताया गया है कि उन्होंने ऐसा कर लिया है।

मैंने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (ख) के अंतर्गत राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड को 2014 को समाप्त वर्ष के लिए विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा करवा ली है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षकों के कागजातों को बिना देखे, स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कम्पनी के कर्मचारियों से की गई पूछताछ और कंपनी के कुछ लेखा रिकार्डों की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित रही है।

मेरे द्वारा की गई अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं आई है जिसे कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की जाए अथवा अनुपूरक टिप्पणी दी जाए।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

(सुपर्णा देव) कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा

एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड-IV, नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 26.09.2014



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के सदस्यों को

वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हमने राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के तुलनपत्र तथा इस वर्ष लाभ-हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण और उल्लेखनीय लेखा नीतियों का सारांश तथा व्याख्यात्मक सूचना भी शामिल है। इन वित्तीय विवरणों में मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय-चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ एवं भोपाल भी सम्मिलित हैं, के लेखों की लेखा परीक्षा हमने की है तथा अन्य 6 क्षेत्रीय कार्यालयों चैन्नई, बैंगलोर, पुणे, कोलकाता एवं पटना के लेखों की लेखा परीक्षा, भारत के महा लेखा परीक्षक एवं नियंत्रक द्वारा नियुक्त शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है जिनको हमने अपनी रिपोर्ट के आधार पर विचार कर लिया है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है जोकि तर्कसंगत है तथा वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) लेखा मानकों के अनुसार कंपनी के वित्तीय निष्पादन एवं नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) लेखा मानकों के अनुसार कंपनी के वित्तीय निष्पादन एवं नकदी प्रवाह विवरण, कंपनी अधिनियम 2013 का भाग–133 के संबंध में कारपोरेट मंत्रालय का सामान्य परिपत्र संख्या 15/2013 दिनांक 13 सितंबर, 2013 के साथ पढ़े। वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं नकदी प्रवाह के रखरखाव की जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी जिसमें डिजाईन, कार्यान्वयन एवं आंतरिक नियंत्रण के रख रखाव शामिल है और वित्तीय विवरणों की प्रस्तुतीकरण में सही एवं उचित विचार तथा वित्तीय विवरणों की प्रदर्शन पर वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त है चाहे वह धोखाघड़ी एवं तुटि के कारण हो।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षकों के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय देना है। हमने भारतीय सनदी लेखांकन संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा पर लेखा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा किया। उपयुक्त आश्वासन हेतु कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त है, के लिए उन मानकों के अनुरूप हमने इंगित आवश्यकताओं के साथ लेखा परीक्षा की योजना बनाते तथा निष्पादन करते हैं।

वित्तीय लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों पर राशियों के बारे में लेखा परीक्षा प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया का प्रदर्शन शामिल है। बजाय प्रक्रिया लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करता है। जिसमें वित्तीय विवरणों का महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त है। वित्तीय विवरणों की समग्र गलत विवरण से मुक्त व्यापार के जोखिमों का आंकलन भी शामिल है चाहे वह धोखाघड़ी एवं त्रुटि के कारण हो। इन जोखिमों का आंकलन लेखा परीक्षा कंपनी के वित्तीय विवरणों के आधार एवं उचित प्रकटीकरण संबंधित आंतिरक पर विचार करते है ताकि इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में लेखा परीक्षक कंपनी के वित्तीय विवरणों की, को तैयार एवं निष्पक्ष प्रदर्शन के लिए प्राप्त आंतिरक नियंत्रण मानता है ताकि लेखा परीक्षा के प्रयोग करने के क्रम में परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त हैं परंतु कंपनी आंतिरक नियंत्रण की प्रभावशीलता के उद्देश्य हेतु नहीं है। लेखा परीक्षा में प्रयोग किए गए लेखांकन नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन उद्देश्य भी शामिल है तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन महत्वपूर्ण अनुमानों की तर्क संगतता के साथ साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतियों का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा किए गए लेखा साक्ष्य पर्याप्त है और हमारी राय के लिए हमारा लेखा परीक्षा युक्तिसंगत आधार पर है।



योग्य राय के लिए आधार

- (क) टिप्पणी संख्या 05 बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए उपस्करों की खरीद हेतु रु. 45 लाख के पूंजीगत अनुदान का उपयोग नहीं किया और जिसे स्वीकृति प्राधिकारी को वापस किए जाने की आवश्यकता है तथा वर्तमान में प्रतिदेय दायित्व के होने से तथा जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक पूंजीगत अनुदान को अधिक तथा वर्तमान देयताओं को कम बताया गया है जिसे तुलनपत्र में सही ढ़ंग से वर्गीकृत किए जाने की आवश्यकता है।
- (ख) टिप्पणी संख्या 39 कुछ कार्यालयों की जमीन के भुगतान विवरण तथा पट्टा विलेख उपलब्ध न होने तथा हक विलेखों/पट्टा विलेखों का निष्पादन न होना/अनुपलब्धता तथा कुछ संपत्तियों की पट्टा राशि को अंतिम रूप दिए जाने तक, उनका लेखाओं पर वित्तीय प्रभाव, यदि कोई है, का पता नहीं चल सका है।
- (ग) टिप्पणी संख्या 40 व्यापार प्राप्य, ऋण एवं अंग्रिम, अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ, व्यापार प्रदेय एवं अन्य वर्तमान देनदारियों के शेष पुष्टिकरण / पुर्नगणना के अध्याधीन है। लेखों पर इस तरह की पुष्टिकरण / पुर्निमलान पर उसका परिणामी समायोजन का सटीक प्रभाव, यदि कोई हो, का पता नहीं चल सका है।

(घ) सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ योजनाः

लेखों की टिप्पणी संख्या 44 (i) में बताया गया है कि लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण, वर्ष के लिए लाभ को रु. 93,39,000 कम बताया गया है। 31.03.2013 तक, वर्ष में राशि को पिछले वर्ष के कर पूर्व लाभ (पीबीटी) का 1.5% पर गणना की गई है, बीमा निगम को मेडिक्लेम पॉलिसी के रूप में अधिशेष से विनियोजित किया जा रहा था तथा इस प्रकार की विनियोजित राशि को 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए 'आरिक्षत एवं अधिशेष' के अंतर्गत 'सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण निधि' के रूप में दिखाया गया। लेखाकंन नीति में परिवर्तन के अनुसार, कंपनी ने उपरोक्त आधार पर गणना की गई राशि रु. 93,39,000 को लाभ–हानि के विवरण में दिखाया गया है।

लेखाकंन नीति के अनुसार, पिछले वर्ष के कर पूर्व लाभ का 1.5% पर गणना की गई राशि तथा लाभ – हानि के विवरण में अधिशेष से बीमा निगम को मेडिक्लेम पॉलिसी के रूप में किया गया निवल भुगतान विनियोजित किया गया और इसके साथ योजना में शामिल होने वाले सेवानिवृत्त कम्रचारियों से प्राप्त अंशदान को आरक्षित के रूप में माना गया था, जिसे 'आरक्षित एवं अधिशेष' शीर्ष के अंतर्गत तुलनपत्र में आगे ले जाया गया। निगम ने पहली बार 31.03.2014 तक दीर्घाविध प्रावधानों के भाग के रूप में अपेक्षित प्रकटीकरण हेतु प्रावधान निर्धारित करने के लिए, भारत के सनदी लेखाकारों का संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक15–कर्मचारी हित (संशोधित) के अनुसार जीवनांनकीय मूल्याकंन किया है।

लाभ हानि विवरण में पहली बार दिखाई गई राशि (रु. 93,39,000), जैसे कि ऊपर बताया गया है कि निरंतर पिछले वर्ष के लेखांकन नीति के अनुसार गणना के आधार पर है (जैसे कि पिछले वर्ष के कर पूर्व लाभ का 1.5% की दर पर) और वास्तव में दिखाए जाने वाले आवश्यक राशि के साथ वर्तमान एवं पिछले वर्षों के लिए दिखाए जाने वाले राशि का ब्रेकअप के आधार पर नहीं है। कराधान के प्रावधानों पर भी इसका प्रभाव रहा है। हालांकि इस राशि को आरक्षित में अतिरिक्त के रूप में दिखाया गया हैं वर्ष के अंत में उक्त वर्ष को समाप्त कुल आरिक्षत से जीवनानंकीय निर्धारित देयता को प्रावधान में स्थानांतिरत किया गया है।

इस प्रकार की नीति में परिवर्तन का सटीक प्रभाव का पता नहीं चल सका है तथा कंपनी के द्वारा प्रकटित किया गया है, जैसे कि वर्ष के लाभ-हानि विवरण को प्रभावित करने के रूप में, वर्ष की समाप्ति पर तुलनपत्र में प्रकटीकरण करते समय, जीवानांनकीय आधार पर (रु. 1,91,05,850 की निवल राशि) "सेवानिवृत्त कर्मचारियों कल्याण हेतु दीर्घाविध प्रावधान" के भाग के रूप में तथा कंपनी ने अभ्यास के विपरीत अन्यथा पालन किया गया है और कंपनी ने इस शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान में किसी भी संचलन का प्रकटीकरण नहीं किया है। परंतु लेखांकन नीति में प्रभावी बदलाव के कारण निर्धारित राशि (रु. 93,39,000 की राशि के बदले) कंपनी का लाभ अधिक होगा।



(ङ) सीएसआर क्रियाकलाप

कंपनी ने लेखों की टिप्पणी संख्या 44 (ii) में बताया है कि लेखाकंन नीति में परिवर्तन के कारण, वर्ष के लिए लाभ को रु. 1,21,72,022 अधिक बताया है। परिवर्तन के कारण, 31.03.2013 को ऐसे क्रियाकलापों पर वर्ष के दौरान हुए वास्तविक व्यय (पिछले वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ का (पीएटी) 3% पर अभिकलन की गई राशि) को 31.03.2014 को समाप्त हुए लाभ हानि विवरण में दिखाया गया है, लेखांकन नीति में बदलाव होने के कारण कंपनी ने उपरोक्त के आधार पर अभिकलन की राशि को आरक्षित से (रु. 1,21,72,022 व्यय तथा रु. 11,20,000 गैर व्यय) बताया है और रु. 11,20,000 की गैर व्यय राशि को 'आरक्षिक एवं अधिशेष' के अंतर्गत 'खर्च न किए गए सीएसआर आरक्षित' के रूप को जमा दिखाया है।

जैसे कि ऊपर बताया गया है कि इस परिवर्तन के कारण, वर्ष के लिए कंपनी का लाभ वास्तविक कराधान/समायोजन की शर्तों पर रु. 1,21,72,022 अधिक है, सीएसआर क्रियाकलापों के व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा विशेषज्ञों की सलाह पर जांच की जाने की आवश्यकता है और तदनुसार संभावित कर प्रभावों पर हम अपनी राय देने में असमर्थ है।

(च) पेंशन योजनाः

टिप्पणी संख्या 47 के अनुसार – कंपनी की दिनांक 15.01.2014 को हुई निदेशक मंडल की 252 वी बैठक में, डीपीई के दिशा–निर्देशों के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना का अनुमोदन किया (01.04.2011 से प्रभावी), जोिक संबंधित मंत्रालय में स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी है। योजना के अनुसार कंपनी ने प्रभावी तिथि से नियोक्ता अंशदान के रूप में मूल + मंहगाई भत्ता का 10 प्रतिशत तथा कर्मचारी अंशदान मूल+मंहगाई भत्ता का 05 प्रतिशत करना है। अभी तक भारत सरकार ने योजना की स्वीकृति नहीं दी है और कार्यान्वयन हेतु लंबित पड़ा हुआ है। कंपनी ने 31.3.2014 को समाप्त हुए वर्ष के लाभ हानि विवरण में उपरोक्त के आधार पर परिभाषित देयता तथा नियोक्ता अंशदान के रूप में रु. 8,00,39,000 का प्रावधान किया है।

विस्तृत सूचना की अनुपस्थिति में, कंपनी द्वारा किए गए प्रावधान के प्रकटीकरण के समय एवं तरीकों पर, विशेष कर उक्त योजना की स्वीकृति लंबित होने तथा लागू होने के ढंग पर तथा योजना को प्रभावी बनाने के लिए पात्र कर्मचारियों से अंशदान की राशि प्राप्त होने हम अपनी राय देने में असमर्थ है और प्रबंधन का कहना है कि देयता शीघ्र प्रदेय है।

राय:

हमारी राय में एवं हमारी अधिकतम जानकारी के साथ तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, सिवाय संलग्न विवरण कंपनी अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना को सही एवं स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते है तथा भारत में स्वीकृत सामान्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करते है।

- (क) कंपनी का 31 मार्च, 2014 तक के कार्यों का तुलनपत्र।
- (ख) उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लाभ का लाभ-हानि का विवरण।
- (ग) उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण।

मामलें का महत्व

किसानों जिन्हें बीज बेचा गया है के साथ किए गए मानक समझौते के अनुसार, प्रत्याशित पैदावार हेतु वापस खरीदने की व्यवस्था के साथ कंपनी के पास इस संबंध में प्रत्येक समझौते के उल्लंघन में राशि की गणना के लिए कोई प्रणाली नहीं है और न ही रिकार्ड में लिया जाता है वसूली माफी के लिए कार्रवाई की जाए। प्रबंधन ने कोई व्यवस्था का निर्धारण नहीं किया, इसके बावजूद प्रबंधन का यह तर्क है कि क्षेत्रीय प्रबंधकों ने बीज के न मिलने के कारणों पर विश्लेषण किया और यहां पर रिकार्ड में लिए जाने के लिए कोई वसूली शेष नहीं है और तुलनपत्र में कोई माफ योग्य / वसूली योग्य प्रभाव नहीं है। हमने इस तरह के अभ्यावेदन पर भरोसा रखा है और तदनुसार इस मामले पर हमारी रिपोर्ट अर्हता प्राप्त नहीं है।



अन्य विधिक एवं विनियमित आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

- 1. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उप धारा (4-क) के अनुसार भारत के केन्द्र सरकार द्वारा जारी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003, जैसे कि संशोधित कंपनी(लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) (संशोधित) आदेश, 2004 ("आदेश") में अपेक्षा की जाती है और इस प्रकार के जांच के आधार पर हमने आवश्यक विचार किया तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार आदेश के अनुच्छेद 4 व 5 में विनिर्दिष्ट किए मामलों का विवरण अनुबंध में दिया गया है।
- 2. कम्पनी अधिनियम की धारा 227 (3) द्वारा अपेक्षित हम रिपोर्ट देते है कि:
 - (क) हमने अपनी अधिकतम जानकारी व विश्वास के अनुसार वे सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए थे जो हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे।
 - (ख) हमारी राय में कंपनी ने विधि द्वारा यथोपेक्षित लेखा बहियां रखी हुई हैं, ऐसे बही खातों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है।
 - (ग) इस रिपोर्ट से सम्बद्ध तुलनपत्र, लाभ-हानि विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों और विवरणियों से मेल खाता है।
 - (घ) योग्य राय पैरा के लिए आधार में वर्णित मामले के प्रभाव को छोड़कर, हमारी राय में संलग्न तुलनपत्र, लाभ-हानि का विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित लेखा मानकों के अनुरूप है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के संबंध में कंपनी मामलों का मंत्रालय का साधारण परिपत्र 15/2013 दिनांक 13.09.2013 के साथ पढें।
 - (ङ) सरकारी कंपनी होने के कारण, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 829 (ई) दिनांक 21 अक्टूबर, 2003 के अनुसार अधिनियम की धारा 274 की उपधारा (1)(जी) का प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते है।

के.सी. खन्ना एंड कंपनी के निमित्त

सनदी लेखाकार

एफआरएन-000481 एन

हर्ष चंद्र

साझेदार

सदस्यता सं: 080489

एच-96, कनॉट सर्कस,

नई दिल्ली - 110001

दिनांकः 18 अगस्त, 2014



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

(समदिनांकित का भाग 'अन्य कानुनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के अंतर्गत पैरा 1 के संदर्भ में)

- (i) (क) कंपनी ने स्थायी परिसम्पत्तियों के उचित अभिलेख रखे हुए हैं जिसमें इसके मात्रात्मक विवरण तथा स्थाई परिसंपितयों की स्थित का संपूर्ण विवरण दर्शाए गए हैं।
 - (ख) हमें बताया गया है कि प्रबंधन के द्वारा स्थाई परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन वित्त वर्ष की समाप्ति पर कर दिया गया है और ऐसे सत्यापन पर कोई विसंगतियाँ नहीं पाई गई हैं।
 - (ग) वर्ष के दौरान कंपनी ने स्थायी परिसंपत्तियों का व्यापक निपटान नहीं किया। ऐसे निपटान से कंपनी के गतिशील कारोबार पर प्रभाव नहीं पड़ा।
- (ii) (क) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, माल का प्रत्यक्ष सत्यापन आंतरिक रूप से किया गया है तथा इस उद्देश्य हेतु नियुक्त स्वतंत्र सनदी लेखाकारों द्वारा भी वर्ष की समाप्ति पर किया गया है। हमारी राय में, ऐसे सत्यापन की आवृति उचित है।
 - (ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, माल के प्रत्यक्ष सत्यापन हेतु अपनाए जाने वाले तरीके उचित हैं तथा कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के संदर्भ में पर्याप्त हैं।
 - (ग) कंपनी स्टॉक का उचित रिकार्ड रख रही है। सत्यापन पर पाई गई विसंगतियां महत्वपूर्ण नहीं थी, उन्हें लेखा बहियों में समुचित रूप से दर्शाया गया है।
- (iii) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रिजस्टर में, किसी भी कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पार्टियों से/को किसी प्रकार का ऋण, प्रत्याभूत अथवा अप्रत्याभूत ऋण न लिया है न दिया है। तदानुसार, आदेश 4 का अनुच्छेद (iii) (ख) से (iii) (घ) तथा अनुच्छेद (iii) (च) से (iii) (छ) तक के आदेश, वर्तमान में कंपनी पर लागू नहीं होते है।
- (iv) हमारी राय में हमें दी गई सूचना तथा लेखा परीक्षा के दौरान दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, स्थाई परिसंपत्तियों एवं माल की खरीद के लिए तथा माल की बिक्री एवं सेवा के लिए, कंपनी के आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण पद्धितयां हैं। हमारे लेखा परीक्षा के दौरान, आंतरिक नियंत्रण पद्धितयों में बड़ी किमयों को ठीक करने में किसी भी निरंतर असफलता को नहीं देखा गया है।
- (v) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रिजस्टर में प्रविष्ट किए गए-अनुबंधों अथवा प्रबंधों के अनुसरण में कोई व्यवहार नहीं किया गया है। तद्नुसार, आदेश के पैरा 4 के खंड V (ख) के प्रावधान कपंनी पर लागू नहीं होते।
- (vi) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जन साधारण से किसी प्रकार का जमा स्वीकार नहीं किया है और



इसलिए जमा को स्वीकार करने संबंधी अधिनियम के खंड-58 ए एवं खंड-58 एए तथा अन्य संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

- (vii) हमारी राय में, कंपनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप इसके पास पर्याप्त आंतरिक लेखा पद्धतियां है।
- (viii) हमें दी गई सूचना के अनुसार, कंपनी लागत अभिलेख रख रही है। हमें यह भी बताया गया है कि कंपनी ने वर्ष 2013-14 के लिए लागत लेखा परीक्षा हेतु लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति की है।

यद्यपि लागत अभिलेख हमारे सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए।

(ix) (क) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण एवं हमारे द्वारा जांच की गई अभिलेखों के अनुसार हमारी राय में कंपनी, निर्विवादित सांविधिक देय राशि जिसमें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा उपयुक्त अधिकारियों के साथ लागू अन्य सांविधिक देयराशियों को सामान्यता नियमित रूप से समुचित प्राधिकारियों के पास जमा करा रही है।

हमें दी गई सूचना के अनुसार, सांविधिक देय राशि जिसमें बिक्री कर (रु. 1,08,897/-) तथा परिश्रम उपकर (रु. 81,486/-) 31 मार्च, 2014 तक देय तिथि के छह माह से अधिक अविध के लिए बकाया थे।

(ख) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमें बताया गया है कि, किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं किए गए सांविधिक देय राशियां निम्न प्रकार से है:-

क्र.सं.	संविधि का नाम	देय की प्रकृति	राशि (रु.)	अवधि जिससे	फोरम, जहां विवाद
				राशि संबंधित है	लम्बित पड़ा है
1.	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम,	अतिरिक्त बिक्री कर	18,110	1987-88	संयुक्त आयुक्त (अपील)-
	1956				लखनऊ
2.	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम,	अतिरिक्त बिक्री कर	39,202	1988-89	संयुक्त आयुक्त (अपील)-
	1956				लखनऊ
3.	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम,	अतिरिक्त बिक्री कर	35,700	1989-90	व्यापार कर ट्रिब्यूनल,
	1956				लखनऊ
4.	उत्तर प्रदेश व्यापार कर	अतिरिक्त बिक्री कर	78,846	1989-90	व्यापार कर ट्रिब्यूनल,
	अधिनियम, 1948				लखनऊ
5.	उत्तर प्रदेश व्यापार कर	अतिरिक्त बिक्री कर	36,140	1993-94	उच्च न्यायालय-लखनऊ
	अधिनियम, 1948				बेंच
6.	उत्तर प्रदेश व्यापार कर	अतिरिक्त बिक्री कर	1,28,498	1998-99	संयुक्त आयुक्त (अपील)-
	अधिनियम, 1948				लखनऊ
7.	उत्तर प्रदेश व्यापार कर	अतिरिक्त बिक्री कर	11,00,744	1999-2000	व्यापार कर ट्रिब्यूनल,
	अधिनियम, 1948				लखनऊ

(न ('관관 N드 C		<u> </u>	+		
8.	उत्तर प्रदेश व्यापार कर	अतिरिक्त बिक्री कर	16,16,007	2000-01	व्यापार कर ट्रिब्यूनल,
	अधिनियम, 1948				लखनऊ
9.	उत्तरांचल	अतिरिक्त बिक्री कर	3,47,679	2000-01	उपायुक्त हल्दवानी
10.	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम,	अतिरिक्त बिक्री कर	55,663	2000-01	व्यापार कर ट्रिब्यूनल,
	1956				लखनऊ
11.	उत्तर प्रदेश व्यापार कर	अतिरिक्त बिक्री कर	61,452	2001-02	संयुक्त आयुक्त (अपील)-
	अधिनियम, 1948				लखनऊ
12.	उत्तर प्रदेश व्यापार कर	अतिरिक्त बिक्री कर	9,03,016	2002-03	व्यापार कर ट्रिब्यूनल,
	अधिनियम, 1948				लखनऊ
13.	उत्तर प्रदेश व्यापार कर	अतिरिक्त बिक्री कर	1,57,350	2003-04	व्यापार कर ट्रिब्यूनल,
	अधिनियम, 1948				लखनऊ
14.	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम,	अतिरिक्त बिक्री कर	3,00,150	2003-04	आकंलन अधिकारी,
	1956				लखनऊ
15.	उत्तर प्रदेश व्यापार कर	अतिरिक्त बिक्री कर	75,662	2004-05	व्यापार कर ट्रिब्यूनल,
	अधिनियम, 1948				लखनऊ
16.	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम,	अतिरिक्त बिक्री कर	19,45,725	2004-05	व्यापार कर ट्रिब्यूनल,
	1956				लखनऊ
17.	उत्तर प्रदेश व्यापार कर	अतिरिक्त बिक्री कर	1,76,192	2005-06	व्यापार कर ट्रिब्यूनल,
	अधिनियम, 1948				लखनऊ
18.	उत्तर प्रदेश व्यापार कर	अतिरिक्त बिक्री कर	1,85,787	2006-07	व्यापार कर ट्रिब्यूनल,
	अधिनियम, 1948				लखनऊ
19.	उत्तर प्रदेश व्यापार कर	अतिरिक्त बिक्री कर	1,62,212	01.04.2007-	आंकलन अधिकारी,
	अधिनियम, 1948			31.12.2007	लखनऊ
20.	उत्तर प्रदेश व्यापार कर	अतिरिक्त बिक्री कर	61,467	01.01.2008-	संयुक्त आयुक्त (अपील)
	अधिनियम, 1948			31.03.2008	लखनऊ
21.	उत्तर प्रदेश व्यापार कर	अतिरिक्त बिक्री कर	1,59,19,680	01.01.2008-	संयुक्त आयुक्त (अपील)
	अधिनियम, 1948			31.03.2008	लखनऊ
22.	सामान्य कर	नगर निगम कर	5,36,975	01.04.1987 से	नगर निगम – कानपुर
				31.03.2002	

				1	년 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전
23.	उत्तरप्रदेश कृषि उपज विपणन	मंडी शुल्क (काशीपुर)	8,03,307.00	01.04.2000 से	कृषि विपणन मंडल, रुद्रपुर
	अधिनियम, 1964			31.03.2004	(उत्तराखंड)
24.	कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान	शाहजहांपुर	6,82,542	1999	सिविल जज कर्मचारी राज्य
					बीमा-बरेली
25.	अमरावती महानगर पालिका,	नगर पालिका कर	2,81,697	2004-05 से	अमरावती महानगर पालिका,
	पुणे			2011-12	पुणे
26.	बिक्री कर, बिहार	बो.एस.टी. निर्धारण	1,35,205	2004-05	वाणिज्यिक कर के संयुक्त
					आयुक्त (अपील), पटना
					प्रभाग, पटना (बिहार)
27.	बिक्री कर, बिहार	सी.एस.टी. निर्धारण	3,12,232	2004-05	वाणिज्यिक कर के संयुक्त
					आयुक्त (अपील), पटना
					प्रभाग, पटना (बिहार)
28.	एम.पी. वैट अधिनियम, 2002	वैट	41,412	2010-11	अतिरिक्त आयुक्त, प्रभाग-
					1, वाणिज्यिक कर विभाग,
					भोपाल
29.	आसाम सामान्य बिक्री कर एवं	बिक्री कर	19,25,730	2003-04 से	असम बिक्री कर ट्रिब्यूनल,
	सीएसटी			2005-06	गुवाहाटी
30.	आयकर अधिनियम, 1961	आय-कर	49,03,736	निर्धारित	आयुक्त(अपील) - XVI,
				वर्ष	नई दिल्ली
				2011-12	

- (x) कंपनी को वित्त वर्ष के अंत तक कोई संचित हानियां नहीं हुई और न ही वित्त वर्ष के दौरान तथा तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद हानि हुई है।
- (xi) हमारी राय में, हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी भी वित्तीय संस्थानों तथा बैंकों को बकाया राशि
 की वापसी की अदायगी में चूक नहीं की है। कंपनी के पास कोई ऋणपत्र धारक नहीं है।
- (xii) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने शेयरों, ऋणपत्रों तथा अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर प्रतिभूति के आधार पर कोई ऋण तथा अग्रिम नहीं दिया है और तदनुसार इस संबंध में अभिलेखों का रख-रखाव वर्ष के लिए प्रासंगिक नहीं है।
- (xiii) कंपनी एक चिट फंड अथवा निधि/म्युचअल बैनिफिट फंड/सोसायटी नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैरा 4 के खंड (xiii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।
- (xiv) हमारी राय में कंपनी शेयरों, प्रतिभूतियों, ऋण-पत्रों तथा अन्य निवेशों का व्यापार अथवा व्यवहार नहीं कर रही है। तदनुसार, आदेश के पैरा 4 के खंड (xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

्र ज्ञास्त्र **NSC**

(xv) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने दूसरों के द्वारा बैंको अथवा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों पर कोई गारंटी नहीं दी है।

(xvi) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने दीर्घावधि ऋण नहीं लिया।

(xvii) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के तुलन-पत्र की समग्र जांच करने पर हमें यह कहना है कि अल्पाविध आधार पर उधार ली गई निधियों का दीर्घाविध निवेश हेतु प्रयोग नहीं किया गया है।

(xviii) वर्ष के दौरान कंपनी ने अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत बनाए गये रिजस्टर में वर्णित पार्टियों तथा कंपनियों को शेयरों का कोई भी अधिमानी आबंटन नहीं किया है।

(xix) अभिलेखों के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई भी ऋणपत्र जारी नहीं किए है।

(xx) वर्ष के दौरान कंपनी ने सार्वजनिक निगम के माध्यम से कोई भी धनराशि नहीं ली है।

(xxi) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी पर अथवा कंपनी द्वारा हमारे लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कोई भी छल कपट नहीं देखा गया है।

> के.सी. खन्ना एंड कंपनी के निमित्त सनदी लेखाकार फर्म पंजीकरण संख्या एफआरएन-000481 एन

> > हर्ष चंद्र साझेदार

सदस्यता सं: 080489

एच-96, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 18 अगस्त, 2014



लेखा परीक्षा रिपोर्ट के उत्तर में निदेशकों की रिपोर्ट की संयोजनी कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (3) के अंतर्गत निदेशक मंडल का उत्तर

मुख्य	लेखा परीक्षकों की टिप्पणी	कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (3)
रिपोर्ट	लेखा पराक्षका का टिप्पणा	
11410		के अंतर्गत निदेशक मंडल का उत्तर
(क)	टिप्पणी संख्या 05 - बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए उपस्करों की खरीद हेतु रु. 45 लाख के पूंजीगत अनुदान का उपयोग नहीं किया और जिसे स्वीकृति प्राधिकारी को वापस किए जाने की आवश्यकता है, तथा वर्तमान में प्रतिदेय देयता तथा जिसके परिणामस्वरूप पूंजीगत अनुदान को अधिक तथा वर्तमान देयताओं को कम बताया गया है जिसे तुलनपत्र में ठीक प्रकार से वर्गीकृत किए जाने की आवश्यकता है।	एनएससी ने अपने वर्तमान बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं के उपस्करों की खरीद के लिए भारत सरकार से रु. 45/ लाख का पूंजीगत अनुदान प्राप्त किया था। एनएससी ने इस पूंजीगत अनुदान का कुछ भाग मुख्यालय में स्थित डीएनए फिंगर प्रिंट प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण के लिए खर्च किया तथा कृषि मंत्रालय को इस पूंजीगत अनुदान के उद्देश्य को संशोधित करने के लिए अनुरोध किया था। कृषि मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर विचार किया तथा अपने पत्र संख्या 5-2 / 2013-बीज-IV दिनांक 09.05.2014 के द्वारा निर्देश दिया है कि उक्त पूंजीगत अनुदान की शेष राशि रु. 18,38,728/- को वापस किया जाए। निगम ने अपने चैक संख्या 094681 दिनांक 15 जुलाई, 2014 के द्वारा उक्त शेष राशि कृषि मंत्रालय को वापस कर दिया है।
(ख)	टिप्पणी संख्या 39 - कुछ कार्यालयों की जमीन के भुगतान विवरण तथा पट्टा विलेख उपलब्ध न होने तथा हक विलेखों/पट्टा विलेखों का निष्पादन न होना/ अनुपलब्धता तथा कुछ संपत्तियों की पट्टा राशि को अंतिम रूप दिए जाने तक, उनका लेखाओं पर वित्तीय प्रभाव, यदि कोई है, का पता नहीं चल सका है।	वर्तमान स्थिति के बारे में टिप्पणी संख्या 39 में पहले ही बता दिया गया है। फिर भी, प्रबंधन संबंधित प्राधिकारियों से हक/पट्टा विलेख निष्पादित कराए जाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।
(ग)	टिप्पणी संख्या 40 - व्यापार प्राप्य, ऋण एवं अंग्रिम, अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ, व्यापार प्रदेय एवं अन्य वर्तमान देनदारियों के शेष पुष्टिकरण / पुर्नगणना के अध्याधीन है। लेखों पर इस तरह की पुष्टिकरण / पुर्निमलान पर उसका परिणामी समायोजन का सटीक प्रभाव, यदि कोई हो, का पता नहीं चल सका है।	जैसे कि टिप्पणी संख्या 40 पर प्रकटीकरण किया गया है, व्यापार प्राप्य, ऋण एवं अग्रिम, अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ, व्यापार प्रदेय एवं अन्य वर्तमान देनदारियों के शेष पुष्टिकरण / पुर्नगणना के अध्यधीन हैं। संदिग्ध ऋणों के लिएअपेक्षित प्रावधानों को लेखा बहियों में सृजित किया गया है। शेष राशि की पुष्टि क्षेत्रिय कार्यालय स्तर पर प्राप्त कर ली गई है तथा पुष्टि पत्रों में स्पष्ट इंगित किया गया है कि यदि शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं होती है तो यह समझा जाएगा कि पार्टियों को भेजे गए शेष राशि बाकी है।



(घ)

सेवानिवृत्त कम्रचारियों के लिए चिकित्सा लाभ पर नीति लेखों की टिप्पणी संख्या 44 (i) में बताया गया है कि लेखांकन नीति में परिवर्तन के कारण, वर्ष के लिए लाभ को रु. 93,39,000 कम बताया गया है। 31.03. 2013 तक, वर्ष में राशि को पिछले वर्ष के कर पूर्व लाभ (पीबीटी) का 1.5% पर गणना की गई है, बीमा निगम को मेडिक्लेम पॉलिसी के रूप में अधिशेष से किया गया निवल भुगतान विनियोजित था। भुगतान किए गए राशि को 'आरक्षित एवं अधिशेष' के अंतर्गत 'सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण निधि' के रूप में दिखाया गया है। 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए, लेखाकंन नीति में परिवर्तन के अनुसार, उपरोक्त आधार पर गणना की गई राशि रु. 93,39,000 को लाभ–हानि के विवरण में दिखाया गया है।

लेखाकंन नीति में बदलाव तथा सेवानिवृत्ति कर्मचारी के लिए चिकितसा लाभ योजना पर इस परिवर्तन के प्रभाव को टिप्पणी संख्या 44 (i) पर प्रकटीकरण किया गया है। संयोजित, टिप्पणी संख्या 44 लेखा परीक्षकों के अवलोकन की स्थिति के साथ स्वत: व्याख्यात्मक है।

लेखाकंन नीति के अनुसार, पिछले वर्ष के कर पूर्व लाभ पर 1.5% पर गणना की गई राशि तथा लाभ-हानि के विवरण में अधिशेष से बीमा निगम को मेडिक्लेम पॉलिसी का निवल भुगतान विनियोजित था और इसके साथ योजना में शमिल होने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों से प्राप्त अंशदान को आरक्षित के रूप में माना गया, जिसे 'आरक्षित एवं अधिशेष' शीर्ष के अंतर्गत तुलनपत्र में आगे ले जाया गया। निगम ने पहली बार 31.03.2014 तक दीर्घाविध प्रावधानों के भाग के रूप में अपेक्षित प्रकटीकरण हेतु प्रावधान निर्धारित करने के लिए, भारत के सनदी लेखाकारों का संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15-कर्मचारी हित (संशोधित) के अनुसार जीवनांनकीय मूल्याकंन किया है।

लाभ हानि विवरण में पहली बार दिखाई गई राशि (रु. 93,39,000), जैसे कि ऊपर बताया गया है कि यह निरंतर पिछले वर्ष के लेखांकन नीति के अनुसार गणना के आधार पर है (जैसे कि पिछले वर्ष के कर पूर्व लाभ का 1.5% की दर पर) और वास्तिवक रूप से दिखाए जाने वाले आवश्यक राशि के साथ वर्तमान एवं पिछलें वर्षों के लिए दिखाए जाने वाले राशि का ब्रेकअप नहीं है। कराधान के प्रावधानों पर भी इसका प्रभाव रहा है। हालांकि इस राशि को आरक्षित में अतिरिक्त के रूप में



दिखाया गया है। उक्त वर्ष को समाप्त हुए वर्ष में जीवनानंकीय निर्धारित देयता को कुल आरक्षित से प्रावधान में स्थानातंरित किया गया है।

इस प्रकार नीति में परिवर्तन का सटीक प्रभाव का पता नहीं चल सका है तथा कंपनी के द्वारा प्रकटित किया गया है, जैसे कि वर्ष के लाभ- हानि विवरण को प्रभावित करने के रूप में, वर्ष की समाप्ति पर तुलनपत्र में प्रकटीकरण करते समय, जीवानानंकींय आधार पर (रु. 1,191,05,850 की निवल राशि) निर्धारित किया गया है। तथा अभ्यास के विपरीत अन्यथा पालन किया गया है। कंपनी ने इस शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान में किसी भी संचलन का प्रकटीकरण नहीं किया है। परंतु लेखाकंन नीति में प्रभावी बदलाव के कारण निर्धारित राशि (रु. 93,39,000 की राशि के बदले) कंपनी का लाभ अधिक होगा।

(ङ) सीएसआर क्रियाकलाप :

कंपनी ने लेखों की टिप्पणी संख्या 44 (ii) में बताया है कि लेखाकंन नीति में परिवर्तन के कारण, वर्ष के लिए लाभ को रु. 1.21.72.022 अधिक बताया है। परिवर्तन के कारण, 31.03.2013 को ऐसे क्रियाकलापों पर वर्ष के दौरान हुए वास्तविक व्यय (पिछले वर्ष के, लिए कर पश्चात लाभ का (पीएटी) 3% पर अभिकलन की गई राशि) को 31.03.2014के समाप्त हुए लाभे हानि विवरण में दिखाया गया है, लेखांकन नीति में बदलाव होने के कारण कंपनी ने उपरोक्त के आधार पर अभिकलन की राशि को आरक्षित से (रु. 1.21.72.022 व्यय तथा रु. 11,20,000 गैर व्यय) बताया है और रु. 11,20,000 की गैर व्यय राशि को 'आरक्षित एवं अधिशेष' के अंतर्गत 'खर्च न किए गए सीएसआर आरक्षित' के रूप को जमा दिखाया है जैसे कि ऊपर बताया गया है कि इस परिवर्तन के कारण, वर्ष के लिए कंपनी का लाभ वास्तविक कराधान/समायोजन की शर्तों पर रु. 1,21,72,022 अधिक है, सीएसआर क्रियाकलापों के व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा विशेषज्ञों की सलाह पर जांच की जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, संभावित कर प्रभावों पर हम अपनी राय देने में असमर्थ है।

लेखांकन नीति में परिवर्तन तथा सीएसआर क्रियाकलापों में परिवर्तन के प्रभाव को टिप्पणी संख्या 44 (ii) में प्रकटित किया गया है। कर के निहितार्थ के संबंध में, कंपनी के आयकर अधिनियम, 1961 के लागू प्रावधानों के शर्तों के अनुसार कराधान का प्रावधान किया गया है



(च) पेंशन योजनाः

टिप्पणी संख्या 47 के अनुसार - कंपनी की दिनांक 15. 10.2014 को हुई निदेशक मंडल की 252 वी बैठक में डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना का अनुमोदन किया गया (01.04.2011 से प्रभावी, जोकि संबंधित मंत्रालाय में स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी है। योजना के अनुसार कंपनी ने प्रभावी तिथि से नियोक्ता अंशदान के रूप में मूल + मंहगाई भत्ता का 10 प्रतिशत तथा कर्मचारी अंशदान मूल + महगाई भत्ता का 05 प्रतिशत करना है। अभी तक भारत सरकार ने योजना की स्वीकृति नहीं दी है और कार्यान्वयन हेतु लंबित पड़ा हुआ है। कंपनी ने 31.3.2014 को समाप्त हुए वर्ष के लाभ हानि विवरण में उपरोक्त के आधार पर परिभाषित देयता तथा नियोक्ता अंशदान के रूप में रु.८,00,39,00 का प्रावधान किया है। विस्तृत सूचना की अनुपस्थिति में, कंपनी द्वारा किए गए प्रावधान के प्रकटीकरण के समय एवं तरीकों पर, विशेष कर उक्त योजना की स्वीकृति लंबित होने तथा लागू होने की प्रक्रिया पर तथा योजना को प्रभावी बनाने के लिए पात्र कर्मचारियों से अंशदान की राशि प्राप्त होने तक हम अपनी राय देने में असमर्थ है और प्रबंधन का कहना है कि दायित्व तुरंत देय हैं।

जैसे कि टिप्पणी संख्या 47 में प्रकटीकरण किया गया है, कंपनी ने अंशदायी पेंशन योजना में 01.04.2011 से नियोक्ता अंशदान के लिए प्रावधान कर दिया है। इस प्रकार के प्रावधान लेखा उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के आधार पर किया गया है तथा कंपनी के निदेशक मंडल के सिफारिशों के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय के पास स्वीकृति हेतु भेजा है। योजना को 01.04.2011 से लागू किया जाएगा तथा निदेशक मंडल ने इस बिंदु पर वित्त वर्ष 2013–14 में विचार किया तथा वित्त वर्ष 2013–14 में प्रावधान को सुजित किया है।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 224 (4 ए) के अंतर्गत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुबंध:-

पैरा:i (क),i (ख),i (ग),ii (क),ii (ख),ii (ग),iii,iv,v,vi,vii,ix (क),ix (ख),x,xi,xii,xiii,xiv,xv,xvi,xvii,xviii,xix,xx,xxi जोकि तथ्यों का विवरण हैं, उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

पैरा viii लेखा परीक्षक रिपोर्ट का पैरा (ii) के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 की उपधारा (1) (घ) के अंतर्गत निर्धारित कंपनी (लागत लेखा अभिलेख) नियम, 2011 के अनुसार कंपनी ने उचित लेखा अभिलेख रखे हुए है। वित्त वर्ष 2013-14 के लिए लागत लेखा परीक्षा रिकार्ड पर 13.08.2014, को हस्ताक्षरित हुए है एवं इसे एमएसीए की वेबसाइट पर 28. 08.2014 को अपलोड कर दिया गया है।

पैरा ix (क) सांविधिक देय राशि जिसमें बिक्री कर (रु. 1,08,897) को क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ एवं सिकंदराबाद द्वारा पहले ही जमा करा दिया है। परिश्रम उपकर रु. 81,486/- को क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा संबंधित ठेकेदारों के माध्यम से अथवा सीधे ही जमा करने की प्रक्रिया चल रही है।



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड 31 मार्च, 2014 तक का तुलन पत्र

		टिप्पणी संख्या	31-03-2014 को समाप्त होने वर्तमान रिपोटिंग अवधि के आं	। वाले 31-03-2013 को समाप्त होने वाले कड़ें पिछली रिपोटिंग अवधि के आंकड़ें
I.	इक्विटी एवं देयताएं		₹	₹ -
(1)	शेयरधारियों की निधियाँ शेयर पूंजी आरक्षित एवं अधिशेष कुल (1)	3 4	226,812,000 2,422,015,519 2,648,827,519	206,193,000 1,973,084,924 2,179,277,924
2)	लंबित आवंटन शेयर आवेदन प्रदत्त राशि		-	-
3)	कुल (2) गैर चालू देयताएं पूंजीगत अनुदान अन्य दीर्घकालीन देयताएं दीर्घकालीन प्रावधान कुल (3)	5 6 7	169,580,617 277,526,003 175,793,389 622,900,009	137,322,095 297,094,473 150,812,531 585,229,099
4)	चालू देयताएं अल्पकालीन उधार व्यापार प्रदेय अन्य चालू देयताएं अल्पकालीन प्रावधान कुल (4) कुल (1+2+3+4)	8 9 10 11	50,428,934 651,146,226 554,897,866 315,839,844 1,572,312,870 4,844,040,398	310,971,462 1,050,204,722 451,547,276 129,448,344 1,942,171,804 4,706,678,827
	परिसम्पत्तियां			
5)	गैर चालू परिसम्पत्तियां स्थाई परिसम्पत्तियां			
	- चल परिसम्पत्तियां - अचल परिसम्पत्तियां - पूंजीगत कार्य-प्रगति पर	12 13 14	383,506,852 590,326 8,197,577	309,861,228 1,140,489 7,841,727
C 1	निवर्तमान निवेश अस्थगित कर परिसम्पत्तियां(निवल) दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम कुल (5) वर्तमान परिसम्पत्तियां	15 16 17	78,068,502 116,047,696 31,222,370 617,633,323	88,706,500 77,679,323 28,304,959 513,534,226
6)	माल व्यापार प्राप्य नकदी एवं नकदी समकक्ष अल्पकालीन ऋण एवं अंग्रिम अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियां कुल (6)	18 19 20 21 22	518,484,358 717,140,159 1,301,457,164 808,263,899 881,061,495 4,226,407,075	778,370,581 646,680,979 139,387,751 1,005,265,697 1,623,439,593 4,193,144,601
	कुल (5 + 6) निगमित सूचना उल्लेखनीय लेखा नीतियां वित्तीय विवरणों के भाग 1 से 50 तक सलंग्न टिप्पणियां	1 2	4,844,040,398	4,706,678,827
	(मो. राकि़म)	(एम.एम.शर्मा		(वी.के. गौड़)
	कंपनी सिचव	निदेशक (वित्त	1)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हमारी सलंग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार के.सी. खन्ना एंड कंपनी के निमित्त सनदी लेखाकार एफआरएन-000481 एन
				हर्ष चंद्रा

नई दिल्ली - 110001 दिनांक: 31 जुलाई, 2014 हर्ष चंद्रा साझेदार सदस्यता सं: 080489



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि का विवरण

टिप्पणी संख्या 31-03-2014 को समाप्त होने वाले 31-03-2013 को समाप्त होने वाले वर्तमान रिपोटिंग अवधि के आंकड़ें पिछली रिपोटिंग अवधि के आंकड़ें

		वरामान रियादिन अवाव के आव	गड़ । पछला । स्पाटिन अपाय के आकड़
		₹	₹
राजस्व			
प्रचालन से राजस्व	23	7,211,118,153	6,847,739,722
अन्य आय	24	176,346,229	64,822,576
कुल राजस्व		7,387,464,382	6,912,562,298
व्यय			
 उपयोग की गई सामग्रियों की लागत	25	165,433,308	244,320,550
स्टॉक इन ट्रेड की खरीद	26	4,647,880,205	4,971,053,103
तैयार माल के तालिका में परिवर्तन एवं स्टॉक इन ट्रेड में	27	285,476,798	(83,873,795)
कर्मचारी प्रसुविधाएं व्यय	28	685,142,346	525,663,495
वित्त लागत	29	16,092,771	49,479,033
मूल्याह्मस एवं परिशोधन व्यय		26,685,108	32,983,851
अन्य व्यय	30	743,927,949	560,252,812
कुल व्यय		6,570,638,485	6,299,879,049
विशेष, असाधारण, पूर्वावधि मदों से पूर्व लाभ तथा कर		816,825,897	612,683,249
असाधारण मदें	31	(471,621)	(812,960)
असाधारण, पूर्वावधि मदों से	01	817,297,518	613,496,209
पूर्व लाभ तथा कर		017,237,310	013,430,203
असाधारण मदें	32	10,637,998	_
जसायार्थ नेष	JZ	10,037,330	•
पूर्वावधि मदों से पूर्व लाभ तथा कर		806,659,520	613,496,209
पूर्वाचार्य मदो स पूर्व लाम तथा कर पूर्वावधि मदें (निवल)	33	8,916	
पूर्वावाय मद (।नवल)	აა	0,910	(9,147,740)
कर पूर्व लाभ		806,650,604	622,643,949
कर व्यय		·	
- वर्तमान कर		304,800,000	218,568,829
- अस्थगित कर	16	(38,368,373)	(39,997,974)
- पिछले वर्ष से संबंधित कराधान		(447,405)	1,065,151
कुल		265,984,222	<u> 179,636,006</u>
वर्ष के लिए लाभ		540,666,382	443,007,943
प्रति इक्विटी शेयर उपार्जन (रु. 1000 का अंकित मूल्य)	37		
असाधारण मदों से पूर्व बेसिक एवं डिलूटेड	37	2,430.67	1,953.19
असाधारण मदों से पश्चात बेसिक एवं डिलूटेड		2,383.76	1,953.19
जिलाबारण नेदा त परवारा बातक एवं । उल्रूट		2,303.70	1,000.10
निगमित सूचना	1		
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	2		
वित्तीय विवरणों के भाग 1 से 50 तक संलग्न टिप्पणियां			
(मो. राकिम)		(एम.एम.शर्मा)	(वी.के. गौड़)
स्थाः साक्त्म <i>)</i> कंपनी सचिव		(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
च्या ॥ ४॥ जन		(1941)	·
			हमारी सलंग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार के.सी. खन्ना एंड कंपनी के निमित्त सनदी लेखाकार एफआरएन-000481 एन
			हर्ष चंद्रा

नई दिल्ली - 110001 दिनांक: 31 जुलाई, 2014 साझेदार सदस्यता सं: 080489



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

1. निगमित सूचनाः

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (एनएससी) की स्थापना आधारीय एवं प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए वर्ष 1963 में हुई। यह कृषि मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व में है। यह अनुसूची 'बी'-मिनीरत्न, श्रेण-I कम्पनी है।

सन् 1974 में राष्ट्रीय बीज परियोजना (एनएसपी) के आने के साथ ही, एनएससी को देश में बीज उद्योग के विकास के लिए मुख्य नेतृत्व करने का कार्य सौंपा गया। यह अपने पंजीकृत उत्पादकों के माध्यम से 60 फसलों के लगभग 600 किस्मों के प्रमाणित बीजों का उत्पादन कर रहा है। यहाँ पर पूरे देश में लगभग 8000 पंजीकृत बीज उत्पादक हैं जोिक विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में बीज उत्पादन के कार्यक्रमों को ले रहे हैं।

एन.एस.सी. के पास 10 क्षेत्रीय कार्यालय, 77 प्रक्षेत्र कार्यालय, 43 बीज प्रसंस्करण संयंत्र, 6 वातानुकूलित बीज भण्डारण सुविधा, 2 सब्जी बीज पैकिंग केन्द्र, 5 बीज प्रशिक्षण प्रयोगशालायें और एक डीएनए फिंगर प्रिटिंग प्रयोगशाला हैं। जोिक सम्पूर्ण देश में कृषि जलवायु के अनुसार मांग को पूरा करता है। इसके अतिरिक्त एन.एस.सी. गुणवत्ता बीजों का उत्पादन एवं वितरण तथा इसके अलावा निगम केले के पौध (टिशु कलचर) उत्पादन में भी शामिल हैं। यह समझौता ज्ञापन साझेदारी द्वारा, प्रापण के माध्यम से, फलों के पौध/सीडलिंगस की आपूर्ति का कार्य भी करता है। बीज विपणन 3 चैनलों के माध्यम से किया जाता है जैसे कि डीलरों एवं वितरकों के माध्यम से, सरकारों (राज्य एवं केन्द्र) के माध्यम से तथा स्वयं के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से बीज की बिक्री करता है। यहां पर निगम के लगभग 2500 डीलर हैं जोिक बिक्री का 69% से अधिक का कारोबार करते हैं।

एन.एस.सी. ने भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिनमें तिलहनों, दलहनों, तेल एवं पाम एवं मक्का" (आइसोपाम), "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन" (एनएफएसएम) एवं "राष्ट्रीय बागवानी मिशन" (एनएचएम) योजनाऐं है। यह बीज उत्पादक एजेन्सियों को तकनीकी सहयोग भी प्रदान करता है। जिसमें राज्य बीज निगमें भी शामिल हैं तथा वे संस्थान जो बीज के उत्पादन के कार्य में लगे हुए हैं, के कार्मिकों को बीज प्रशिक्षण प्रदान करता है। विभिन्न राज्यों में निजी क्षेत्र में बीज प्रसंस्करण संयंत्र तथा बीज भण्डार की स्थापना हेतु बुनियादी सुविधाओं के निर्माण में "सेंण्ट्रल सैक्टर स्कीम" को लागू करने के लिए, एन.एस.सी., एक नोडल एजेन्सी है।

2. उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ:

2.1 लेखाकंन का आधार:

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लेखांकन लागत अभिसमय के तहत, प्रोद्धवन आधार पर, भारत में साधारणतया: स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसार तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) के संबंधित प्रावधानों तथा धारा 642 की उप धारा (1) (क) के अंतर्गत, प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखा मानक) नियम 2006 में निर्धारित लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार किए गए हैं।

अधिनियम की अनुसूची-VI में निर्धारित मार्ग दर्शन के अनुरूप, कम्पनी के परिचालन चक्र के अनुसार जहां कहीं भी लागू हो, सभी परिसंपत्तियां एवं देयताएं, चालू अथवा गैर चालू के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं।



2.2 आंकलन का उपयोग:

स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी, वित्तीय विवरणों की तिथि पर संपत्तियों एवं देयताओं की बताई गई राशि तथा देयताओं से संबंधित प्रकटीकरण पर अनुमान एवं अवधारणाओं को प्रभावित किए जाने की आवश्यकता है। एवं समीक्षाधीन अवधि के दौरान आय एवं व्यय की बताई गई राशि तथा संचालन के परिणामों की आवश्यकता है।

वास्तविक परिणाम एवं अनुमान के बीच का अंतर उस अवधि में अभिज्ञात किया जाता है जिस अवधि में परिणाम कार्यान्वित हुआ है।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां :

2.3 राजस्व अभिज्ञानः

- 2.3.1 बिक्री एवं सेवाओं से राजस्व को उस समय अभिज्ञात किया जाता है जब वह बिक्री अथवा सेवा प्रतिपादन के समय आकंलन योग्य हो और कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद न हो कि बिक्री अथवा सेवा प्रतिपादन से निर्धारित राशि प्राप्त हो जाएगी।
- 2.3.2 बिक्री में शामिल लेन-देन, स्टॉक में सभी महत्वपूर्ण जोखिम एवं स्वामित्व का पुरस्कार तथा सेवा प्रतिपादन के मामले में योग्य निष्पादन क्रेता को स्थानांतरण के आधार पर है।
- 2.3.3 अंतिम संग्रह की अनिश्चितता के कारण राजस्व की पहचान स्थिगित कर दी गई तथा राजस्व को उस अविध में अभिज्ञात किया गया जब ऐसी अनिश्चितता का आस्तित्व समाप्त हो गया।

2.4 व्यय

खर्चों को उपार्जन आधार पर लेखाबद्ध किया गया है तथा सभी ज्ञात हानियों एवं देनदारियों के लिए प्रावधान किए गए है।

2.5 स्थायी परिसम्पत्तियाँ:

- 2.5.1 स्थाई परिसंपत्तियों को लागत के रूप में बताया गया है। जिसमें मूल्याह्मस / परिशोधन तथा क्षति यदि कोई हो को घटाया गया है।
 - लागत में शामिल सभी प्रत्यक्ष लागतें अचल परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण एवं अधिष्ठापन के कारण है जिसमें कर, शुल्क, माल भाड़ा तथा आकस्मिक लागत भी शामिल हैं तथा खर्चें अपने कार्य के लिए सम्पत्ति लाने के परिणामस्वरूप हैं।
- 2.5.2 पट्टा अधिग्रहित भूमि के अधिग्रहण पर भुगतान किए गए प्रीमियम को लागत माना गया है।
- 2.5.3 प्रतिगशील पूंजीगत कार्य को लागत बताया गया है।

2.6 मूल्य ह्रास एवं परिशोधनः

- 2.6.1 मूल्य ह्रास, पट्टेदारी अधिग्रहित भूमि पर अन्य की तुलना में, और अन्यथा उल्लिखित ह्रासित मूल्य पद्धित दरों पर निर्धारित है तथा अधिनियम का अनुच्छेद 14 के अनुसार निर्धारित आधार पर दिखाया गया है।
- 2.6.2 सड़कों पर मूल्यह्मस उनके पूर्ण होने के वर्ष से 5 वर्ष की अवधि से अधिक बराबर किस्त में मूल्यह्मस किए गए हैं।
- 2.6.3 स्थाई पट्टे के अलावा अन्य पट्टेदारी भूमि पर प्रीमियम पट्टे की अविध में परिशोधित किया गया है।
- 2.6.4 प्रत्येक रु 5000/- लागत अथवा कम लागत के स्थायी परिसंपत्तियों को अधिग्रहण के वर्ष में पूर्ण रूप से मूल्य ह्यसित किया गया है।



2.6.5 कंप्यूटर साफ्टवेयरों को अधिग्रहण के वर्ष से 5 वर्ष की अविध से अधिक बराबर किस्त में परिशोधित किया गया है।

2.7 माल सूची:

- 2.7.1 माल का मूल्यांकन न्यूनतम लागत एवं शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के आधार पर किया जाता है।
- 2.7.2 माल के संबंध में लागत का निर्धारण का आधार निम्न प्रकार है:
 - क. बीज के लिए भारित औसत लागत।
 - खः भण्डार, अतिरिक्त कल-पुर्जे तथा उपभोज्य सामग्रियां जैसे प्रमाणीकरण पैंकिंग एवं उपचार सामग्रियों के लिए अनुमानित लागत / वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।
- 2.7.3 बेकार/बिक्री योग्य तथा उपयोग में न आने वाले बीजों के स्टॉक का मूल्यांकन वर्ष के दौरान वास्तव में बेचे गए ऐसे स्टॉक के बिक्री मूल्य भारित औसत के आधार पर संगणित अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है या यदि वर्ष के दौरान ऐसे स्टॉक का निपटान नहीं किया जाता है तो पिछले वर्ष की दर पर यह मूल्यांकन किया जाता है।

2.8 निवेश:

- 2.8.1 दीर्घाविध निवेश को लागत बताया गया है। दीर्घाविध निवेश के लागत में कमी के लिए प्रावधान किया गया है, यदि ऐसे ह्यास अल्पकालिक के अलावा हो।
- 2.8.2 वर्तमान निवेश को लागत अथवा उचित मूल्य जो भी कम हो दिखाया गया है।

2.9 विदेशी मुद्रा व्यापार:

- 2.9.1 विदेशी मुद्रा में लेनदेन के रिकार्ड को संचलन तिथि पर परिचालित विनिमय दर पर रखा जाता है। विदेशी मुद्रा के लेनदेन के निपटान पर विनिमय अन्तर आने पर मामले को लाभ-हानि विवरण में अभिज्ञात किया जाता है।
- 2.9.2 विदेशी मुद्रा में अनामित मौद्रिक मदों को फिर से बताया गया है तथा तुलनपत्र की प्रचलित विनिमय दर से भारतीय मुद्रा में परिवर्तित कर दिया गया है और विनिमय अंतर के परिणामस्वरूप लाभ-हानि विवरण में दिखाया गया है।

2.10 सरकारी अनुदानः

- 2.10.1 प्रमोटर अंशदान की सहायता में अनुदान को आरक्षित पूंजी माना गया है।
- 2.10.2 अनुदान सहायता से संबंधित एवं इसके बाहर के अधिग्रहित मूल्य ह्यास योग्य स्थाई परिसंपत्तियों की लागत 'उपयोग किए गए पूंजी सहायता' में जमा किए जाते है जोकि आरक्षित प्रकृति का है एवं ऐसे परिसंपत्तियों पर मूल्यह्यस की कटौती इस आरक्षित से की जाती है तथा लाभ हानि विवरण में 'आय' के रूप में अभिज्ञात किया गया है।
- 2.10.3 अप्रयुक्त / खर्च न की गई अनुदान की राशि को पूंजीगत अनुदान के अधीन प्रकटित किया गया है।

2.11 कर्मचारियों के लिए प्रसुविधाएं:

2.11.1 पूर्व नियोजन लाभ तथा अन्य दीर्घावधि लाभ की योजनाएँ:

परिभाषित लाभ योजनाएँ तथा अन्य दीर्घावधि लाभ योजनाओं के लिए लाभ प्रदान करने की लागत को बीमांकिक मूल्याकंन के साथ अनुमानित ऋण पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया गया है।

बीमांकिक लाभ-हानि को घटित अवधि के लिए पूर्ण रूप से लाभ-हानि विवरण में अभिज्ञात किया गया है।



2.11.2 उपदान:

लेखा मानक AS- 15 - कर्मचारी हित के अनुसरण में, उपदान से संबंधित देनदारियों को पूरा करने के लिए पात्र कर्मचारियों (जिसमें दैनिक वेतन भोगी कामगार भी शामिल हैं) के लिए निगम एक न्यास के रूप में इकट्ठा करता है जोकि इस उद्देश्य हेतु अनुमानित ऋण विधि का प्रयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन पर प्रीमियम का भुगतान करता है।

2.11.3 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ योजनाः

लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा निर्देशक मण्डल के अनुमोदन से पिछले वर्ष का कर-पूर्व लाभ का निर्धारित प्रतिशत की दर पर गणना की गई राशि को लाभ-हानि खाते में दिखाया गया है और इस राशि हेतु एक आरक्षित शीर्षक "सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण निधि" बनाई गई है।

बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निधारित की गई देनदारी को सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण आरक्षित से निर्मित गैर चालू देनदारियों के अधीन दीर्घावधि प्रावधान के रूप में माना गया है।

2.11.4 भविष्य निधि एवं अन्य सेवानिवृत्त योजना के लिए अंशदान, इस तरह की निधियाँ:-

परिभाषित अंशदायी सेवानिवृत्त योजना एवं इस तरह की अन्य निधियों के भुगतान को, खर्च के रूप में लिया गया है। निगम कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुसार एक सांविधिक भविष्य निधि में अंशदान करता है। कंपनी द्वारा स्थापित भविष्य निधि न्यास मंडल को एक परिभाषित लाभ योजना के रूप में माना गया है। चूंकि कंपनी को ब्याज एवं अन्य किमयों को पूरा करना होता है, यदि कोई हो। तदनुसार, भुगतान किया गया अंशदान अथवा प्रदेय ब्याज को देय और व्यय, यदि कोई हो, को उस अविध में व्यय के रूप में माना गया है जिस अविध में कर्मचारी द्वारा सेवा प्रदान की गई है।

2.11.5 अन्य कर्मचारी लाभ:-

लेखा मानक – 15 (संशोधित) के अनुसार कंपनी का अर्जित अवकाश एवं अर्धवेतन अवकाश के प्रति दायित्व को बीमांकिक आधार पर निर्धारित एवं प्रदान किया गया है।

2.11.6 कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति / स्वैच्छा से अलग होने का विकल्प की पेशकश तत्समय प्रवृत्ति के लिए एक योजना के तहत एकत्रित क्षतिपूर्ति को उस वर्ष लाभ / हानि विवरण में दिखाया जाता है, जिस वर्ष कर्मचारी उक्त योजना के लिए विकल्प देता है।

2.11.7 अल्पावधि कर्मचारी लाभ:-

अल्पाविध कर्मचारी लाभ की गैर रियायती राशि, कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए विनिमय में किए जाने वाले संभावित भुगतान को उस अविध के दौरान खर्च के रूप में अभिज्ञात किया गया है जिस अविध में कर्मचारियों के द्वारा सेवाएं प्रदान की गई है।

2.11.8 पेंशन योजना

लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार तथा निदेशक मंडल के अनुमोदन से नियोक्ता अंशदान की राशि पात्र कर्मचारी के मूल वेतन + महंगाई भत्ता का 10%, प्रतिवर्ष लाभ / हानि खाते के विवरण में लिया जाता है।

2.12 उधार लेने पर आई लागत

अर्हता प्राप्त स्थायी परिसम्पत्तियों को अधिग्रहण अथवा निर्माण हेतु लिए गए उधार पर आई लागत को ऐसे परिसंपत्तियों के लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत कर दिया गया है। एक अर्हता प्राप्त परिसंपत्ति के लिए यह जरूरी है कि इसके उपयोग अथवा बिक्री के लिए तैयार होने में यह समय की पर्याप्त अविध लेता है।

अन्य सभी उधार लागत, किए गए खर्च के रूप में, लाभ / हानि विवरण में दिखाए जाते है।



2.13 **आय पर कर**

- 2.13.1 वर्ष के लिए कर खर्चों में वर्तमान आयकर एवं अस्थिगित कर शामिल है।
- 2.13.2 वर्तमान कर को लागू कर प्रावधान के अनुसार कर प्राधिकरण को भुगतान किए जाने वाली संभावित राशि पर निर्धारित किया जाता है।
- 2.13.3 अस्थिगित करों को समय अंतराल के कारण भविष्य के कर के लिए अभिज्ञात किया गया है अर्थात कर योग्य आय एवं लेखा आय के बीज समय अंतराल के कारण जोकि एक अविध में उत्पन्न होती है और बाद के एक या एक से अधिक अंतराल में विपरीत होने योग्य होती है, जिन्हें वित्त वर्ष के अंत में लागू दरों एवं अधिनियमित अथवा स्वतंत्र अधिनियमित विधि के अनुसार निर्धारित किया गया है।
- 2.13.4 अनुशोषित मूल्याह्मस तथा घाटे को आगे ले जाने की स्थिति में अस्थिगत कर केवल उस सीमा तक अभिज्ञात किए जाते है जब यह निश्चित हो जाए कि इस तरह की संपत्तियों के उपयोग हेतु पर्याप्त भिवष्य कराधान आय उपलब्ध हो जाएगा। अन्य स्थिति में, अस्थिगत कर को उस सीमा तक अभिज्ञात किया जाता है जब यह निश्चित हो जाए कि इस तरह की संपत्तियों के उपयोग हेतु पर्याप्त भिवष्य कराधान आय उपलब्ध हो जाएगा।

2.14 प्रति शेयर उपार्जन

2.14.1 प्रारंभिक

इक्विटी शेयरधारकों के लिए प्रति शेयर उपार्जन गणना अविध के दौरान बकाए, इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से शुद्ध लाभ अथवा हानि को विभाजित करके गणना की जाती है। इस अविध के दौरान इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को बोनस इश्यू एवं शेयर विभाजन के माल में समायोजित किया जाता है।

2.14.2 डिलूटिव:

डिलूटिव: प्रति शेयर उपार्जन की गणना के उद्देश्य हेतु, इक्विटी शेयरधारकों के लिए शुद्ध लाभ या हानि तथा इस अविध के दौरान बकाए शेयरों की भारित औसत संख्या सभी डिलूटिव संभावित इक्विटी के प्रभाव के लिए समायोजित किए गए है।

2.15 परिसम्पत्तियों में मूल्यहास

जब किसी परिसम्पत्ति की रख-रखाव लागत इसके वसूली योग्य मूल्य से बढ़ जाती है तो उस परिसम्पत्ति को ह्यसयुक्त माना जाता है।

जिस वर्ष परिसम्पत्ति में ह्यास चिह्नित होता है, उस वर्ष के लाभ-हानि खाते में वह ह्यास नामे डाली जाती है। वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन के परिणामस्वरूप चिह्नित ह्यास को पूर्व लेखा अवधि में अभिज्ञात किया गया है।

2.16 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

- 2.16.1 ऐसे प्रावधान जिनका आकंलन व्यापक अनुमानित सीमा युक्त हो सकता हैं, कि पहचान तब की जाती है, जब विगत घटना के परिणामस्वरूप में वर्तमान में बाध्यता आती है और तथा ऐसी संभावना होती है कि उसमें साधनों का बर्हिंगमन होगा।
- 2.16.2 आकस्मिक देयताओं की लेखा पहचान नहीं की जाती है परन्तु टिप्पणियों में प्रकटित किया गया है।
- 2.16.3 आकस्मिक परिसम्पत्तियों की न तो लेखा पहचान की जाती है और न ही वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

* * *



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

	31-03-2014 को र वर्तमान रिपोटिंग अ	•		को समाप्त होने वाले टेंग अवधि के आंकड़ें
	् प्रामान रिपाटिन उ	ापाय के आकड़	19801111110	रा अपाय के आकर्
टिप्पणी संख्या		<u> </u>		<u> </u>
 शेयर पूंजी प्राधिकृत प्रत्येक 1000 रु. के पूर्णत: प्रदत्त 2,50,000 		250,000,000		210,000,000
(पिछले वर्ष 2,10,000)				
निर्गमित, अभिदत्त एवं चुकता:				
प्रत्येक 1000 रु. के पूर्णत: प्रदत्त 2,26,812 (पिछले वर्ष 2,06,193)		226,812,000		206,193,000
कुल		226,812,000		206,193,000
इक्विटी शेयरों की संख्या एवं बकाया राशि का मिलान विवरण				
		2013-14		2012-13
	 संख्या		 संख्या	₹
	4.641	₹		
वर्ष के प्रारंभ में लंबित शेयर	206,193	206,193,000	206,193	206,193,000
वर्ष के प्रारंभ में लंबित शेयर 31 मार्च, 2014 को बोनस के रूप में जारी किए गए शेयर				206,193,000
31 मार्च, 2014 को बोनस के रूप में जारी	206,193	206,193,000		206,193,000

आंबटित इक्विटी शेयर

बोनस शेयर के रूप में पूर्ण रूप से प्रदत्त

संख्या

20,619

₹

20,619,000

संख्या



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

	31-03-2014 को समाप्त होने वाले			को समाप्त होने वाले
	वर्तमान रिपोटिंग उ			<u>टंग अवधि के आंकड़ें</u>
	₹	₹	₹	₹
4. आरक्षित एवं अधिशेष				
(क) लाभ हानि विवरण में अधिशेष				
 वर्ष के प्रारंभ में शेष	1,929,408,605		1,558,152,521	
घटाएं : जारी किए गए बोनस शेयर	20,619,000		-	
	1,908,789,605		1,558,152,521	
जोड़े : वर्ष के लाभ	540,666,382		443,007,943	
	2,449,455,987		2,001,160,464	
<u>घटाएं:</u>				
सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण निधि को स्थानांतरण	-		7,117,155	
प्रस्तावित लाभांश	41,249,898		41,238,600	
लाभांश वितरण कर	7,010,420		6,689,940	
खर्च न किए गए सी.एस.आर आरक्षित में स्थानांतरण	1,120,000		16,706,164	
सीएसआर पर व्यय	12,172,022			
	61,552,340		71,751,859	
वर्ष के अंत तक शेष		2,387,903,647		1,929,408,605
(ख) खर्च न किए गए सी.एस.आर. आरक्षित वर्ष के प्रारंभ में शेष लाभ-हानि विवरण में आरक्षित से हस्तांरित	16,706,164 1,120,000		16,706,164	
वर्ष के अंत तक शेष		17,826,164		16,706,164
(ग) सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण आरक्षित				
वर्ष के प्रारंभ में शेष,	26,970,155		19,853,000	
जोड़े: वर्ष के दौरान आंबटन	9,339,000		7,451,000	
	36,309,155		27,304,000	
<u>घटाएं:</u>				
वर्ष के दौरान प्रयोग की गई राशि	917,597		333,845	
दीर्घावधि प्रावधान में स्थानातंरित राशि	19,105,850			
	20,023,447		333,845	
वर्ष के अंत तक शेष		16,285,708		26,970,155
कुल		2,422,015,519	•	1,973,084,924
*31.03.2014 को जीवनानंकीय				
मूल्याकंन के अनुसार				
देयता दीर्घावधि प्रावधान में स्थानांतरित				



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

	31-03-2014 को स	ामाप्त होने वाले	31-03-2013	को समाप्त होने वाले
	वर्तमान रिपोटिंग अ	वधि के आंकड़ें	पिछली रिपोटिंग अवधि के आंकर	
	₹	₹	₹	₹
5. पूंजीगत अनुदान				
(क) उपयोग किया गया पूंजीगत अनुदान				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	132,822,095		131,896,811	
जोड़े: वर्ष के दौरान प्रयोग	43,700,000		15,000,000	
	176,522,095		146,896,811	
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां (मूल्याह्मस)	13,941,478		14,074,716	
वर्ष के अंत में शेष		162,580,617		132,822,095
(অ) खर्च न किया गया पूंजीगत अनुदान				
i. बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं के उपस्करों की		4,500,000	_	4,500,000
खरीद के लिए				
ii. बीज भंडार गोदाम के लिए	5,000,000			
घटाएं: प्रयोग की गई राशि	2,500,000	2,500,000	_	
iii. बीज प्रसंस्करण संयंत्र का सृजन	41,200,000		15,000,000	_
घटाएं: प्रयोग की गई राशि	41,200,000		15,000,000	-
कुल		7,000,000		4,500,000
कुल		169,580,617		137,322,095

 \star निगम ने भारत सरकार से केन्द्रीय सैक्टर योजना की "बीजों पर गुणवत्ता नियंत्रित प्रबंधन" घटक के अंतर्गत पुणे, भोपाल एवं कोलकाता में स्थित अपने वर्तमान बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए उपस्करो की खरीद हेतु पत्र संख्या 5-2/2010-बीज-IV दिनांक 11.03.2011 के द्वारा 45 लाख रु. (रुपये 22.50 लाख की दो समान किस्ते) की अनुदान राशि प्राप्त की, जिसका उपयोग अब

तक	नहां किया गया।				
6.	अन्य दीर्घावधि देयताएं				
	सुरक्षित एव अन्य जमाएं		90,196,103		101,872,587
	परिक्रामी निधि के लिए*				
	– सूखाग्रस्त इलाके के अंतर्गत बीज उत्पादन	15,000,000		15,000,000	
	– बीज बैंक योजना की स्थापना एवं	37,954,900		37,954,900	
	रख-रखाव के लिए				
	– क्रैश प्रोग्राम (तिलहन)				
	- क्रैश प्रोग्राम (दलहन)	14,700,000		14,700,000	
	-कार्यशील पूंजी के लिए सीमांत राशि	2,675,000	70,329,900	2,675,000	70,329,900
			117,000,000		117,000,000
	**उपदान देयताएं* *				7,891,986
	कुल		277,526,003		297,094,473

^{*}उक्त निधियों को जारी किए गए उद्देश्य हेतु वर्ष 1994-95 से 2001-02 की अविध के दौरान उपयोग किया गया। उक्त योजना के अंतर्गत बीजों के उत्पादन एवं बिक्र की को मिला दिया है तथा इसे कंपनी के बीजों की कुल बिक्री एवं खरीद में दिखाया गया है। उपरोक्त निधियां अंतिम स्टॉक, देनदारों एवं नकदी तथा कंपनी के बैंक शेष का भाग है।

^{**}संदर्भ नोट संख्या 45



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

			31-03-2014 को समाप्त होने वाले वर्तमान रिपोटिंग अवधि के आंकड़ें		31-03-2013 को समाप्त होने वाले पिछली रिपोटिंग अवधि के आंकड़ें	
		₹	₹	₹	₹	
7.	दीर्घावधि प्रावधान					
١.	क्षतिपूरक अनुपस्थितियाँ					
	वर्ष के प्रारंभ में शेष	150,812,531		138,951,523		
	वर्ष के दौरान वृद्धि	27,696,630		15,373,921		
	वर्ष के दौरान प्रयोग की गई राशि	21,821,622		3,512,913		
	वर्ष के अंत में शेष		156,687,539		150,812,531	
	सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण**					
	 वर्ष के प्रारंभ में शेष	_		_		
	वर्ष के दौरान वृद्धि	19,105,850				
	वर्ष के अंत में शेष		19,105,850		-	
	कुल		175,793,389		150,812,531	
	*संदर्भ नोट संख्या 45					
	**सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण निधि से स्थानांती	रेत 31.03.2014 को वार्स्ता	वेक मूल्याकंन के	अनुसार देयताएं		
8.	अल्पावधि के ऋण					
٥٠	मांग पर पुन: देय कर्ज					
	बैंक से					
	-प्रत्याभूत (नकद उधार)*		50,428,934		10,971,462	
	-अप्रत्याभूत		-		300,000,000	
	कुल		50,428,934		310,971,462	
*æ	ंपनी की सभी वर्तमान एवं भविष्य की चालू परिस	!पत्तियों पर प्रथम प्रभार दार		ਜੇ ਹ ਕੂਂ ਫੇਂश कੇ ਕਿੰभਿਜ		
			. 31.4. 1.6. 31.4. %	\ 1 \ 11 \ 11 \ 11 \ 11		
	<u></u>					
9.	व्यापार प्रदेय					
	-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को देय*	12,661,402		415,272		
	-अन्य	_638,484,824_	651,146,226	1,049,789,450	1,050,204,722	
	कुल		651,146,226		1,050,204,722	
	*संदर्भ नोट संख्या 45					



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

	31-03-2014 को समाप्त होने वाले वर्तमान रिपोटिंग अवधि के आंकड़ें		31-03-2013 को समाप्त होने वाले पिछली रिपोटिंग अवधि के आंकड़ें	
	्वतमान ।रपााटग ङ ₹	<u>।पाय क आकड़</u> ₹	ापछला रिपा। ₹	<u>टग अवाय के आकड़</u> ₹
10. अन्य वर्तमान देयताएं				
उपार्जित ब्याज एवं देय अप्रत्याभूत कर्ज				1,616,439
निरीक्षण शुल्क, पंजीकरण शुल्क इत्यादि		2,990,017		2,633,276
अन्य प्रदेय		2,000,017		2,000,270
सांविधिक देय	13,205,493		11,475,692	
सुरक्षित एवं अन्य जमा,	137,679,778	150,885,271	<u>176,031,172</u>	187,506,864
अन्य वर्तमान देयताएं:				
स्थाई परिसंपत्तियों को प्रदेय	66,703,828		8,718,310	
अन्य	257,290,598	323,994,426	<u>195,193,560</u>	203,911,870
के लिए अग्रिम:-				
यू.एन.डी.पी. के अंतर्गत संकर	30,859,705		280,919	
मक्का के प्रमाणित बीज का उत्पादन	4,204,720		11,317,680	
धान के बीजों का उत्पादन	_		112,234	
किसानों एवं अन्य स्टाक होल्डरों के लिए	40,013,298	75,077,723	40,702,053	52,412,886
प्रशिक्षण का आयोजन				
निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन संवर्धन के लिए सहायता		1,950,429		3,465,941
एन.एफ.एस.एम. की परियोजना मिशन के लिए अंग्रि	म			
कुल		<u>554,897,866</u>		451,547,276
11. अल्प-अवधि के प्रावधान				
<u>उत्पादकता से सम्बद्ध प्रोत्साहन के लिए</u> वर्ष के प्रारंभ में शेष	E 10E 001		0.010.400	
वर्ष के प्रोरम में राष वर्ष के दौरान वृद्धि	5,195,621		9,016,429	
वर्ष के दौरान पृथोग की गई राशि	- E 10E C21		5,189,544	
वर्ष के दौरान प्रयोग की गई सीरी वर्ष के अंत में शेष	5,195,621		9,010,352	E 10E 001
पप के जत में राप क्षतिपूरक अनुपस्थितियों के लिए*		_		5,195,621
<u>बातपूरक अनुपास्थातपा का लिए</u> वर्ष के प्रारंभ में शेष	1/ 000 102		14,687,756	
वर्ष के दौरान वृद्धि	14,889,192 21,821,622		30,263,113	
वर्ष के दौरान प्रयोग की गई राशि	14,889,192		14,687,756	
दीर्घावधि प्रावधान में स्थानातरंण	14,003,132		15,373,921	
वर्ष के अंत में शेष		21,821,622	13,373,321	14,889,192
कराधान के लिए (भुगतान किए गए करो का निवल	कर	21,021,022		14,003,132
रु. 17,94,81,096 पिछले वर्ष रु. 48,60,50,838)				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	61,434,991		110,868,027	
वर्ष के दौरान वृद्धि	125,318,904		218,568,829	
वर्ष के दौरान प्रयोग की गई राशि	61,434,991		268,001,865	
वर्ष के अंत में शेष		125,318,904		61,434,991
प्रस्तावित लाभांश के लिए		120,010,001		01,101,001
वर्ष के प्रारंभ में शेष	41,238,600		20,619,300	
वर्ष के दौरान वृद्धि	41,249,898		41,238,600	
वर्ष के दौरान प्रयोग की गई राशि	41,238,600		20,619,300	
वर्ष के अंत में शेष		41,249,898		41,238,600



	31-03-2014 को समाप्त होने वाले वर्तमान रिपोटिंग अवधि के आंकड़ें			को समाप्त होने वाले या अवधि के आंकड़ें
	₹	₹	₹	₹
लाभांश वितरण कर के लिए				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	6,689,940		3,344,970	
वर्ष के दौरान वृद्धि	7,010,420		6,689,940	
वर्ष के दौरान प्रयोग की गई राशि	6,689,940_		3,344,970	
वर्ष के अंत में शेष		7,010,420		6,689,940
पेंशन के लिए				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	_		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	80,039,000			
वर्ष के दौरान प्रयोग की गई राशि			_	
वर्ष के अंत में शेष		80,039,000	-	
निष्पादन संबंधी वेतन के लिए				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	-		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	40,400,000			
वर्ष के दौरान प्रयोग की गई राशि			_	
वर्ष के अंत में शेष		40,400,000		_
कुल		315,839,844		129,448,344
*संदर्भ नोट संख्या 45				



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

	म	सकल ब्लॉक			ू _प	मूल्यह्नास/एमोरटाईजेशन	र्इजेशन		निबल ब्लॉक	ब्लॉक
विवर्ण	01.04.2013 南	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौती	31.03.2014 को	01.04.2013	वर्ष के लिए	कटौती	31.03.2014 तक	31.03.2014 तक	31.03.2013 तक
	₩.	₩~	₩~	₩	₩~	₩ ~	**	th∕	₩~	H~
12. गोचर परिसंपत्तियां	,	,	,	•	•	•	•	•	•	,
फ्री होल्ड भूमि	40,626,413	3,432,809		44,059,222				•	44,059,222	40,626,413
पट्टे वाली भूमि	19,921,913			19,921,913	1,476,761	200,758	٠	1,677,519	18,244,394	18,445,152
भवन	235,678,872	28,169,818		263,848,690	100,781,120	7,466,211		108,247,331	155,601,359	134,897,752
संयंत्र एवं मशीनरी	159,752,623	67,631,017	1,743,940	225,639,700	67,861,110	13,339,591	1,312,520	79,888,181	145,751,519	91,891,513
फर्नीचर, जुड़नार एवं	33,133,573	638,089	164,919	33,606,743	24,605,046	1,588,472	164,603	26,028,915	7,577,828	8,528,527
कार्यालय उपस्कर	28,295,916	238,360	179,266	28,355,010	18,766,984	1,385,181	167,772	19,984,393	8,370,617	9,528,932
कंप्यूटर	27,631,383	130,900	2,771,111	24,991,172	23,710,075	1,615,098	2,756,698	22,568,475	2,422,697	3,921,308
किताबें	479,503			479,503	476,793	377		477,170	2,333	2,710
वाहन	8,650,071		398,306	8,251,765	7,354,060	335,313	395,525	7,293,848	57,917	1,296,011
सङ्कें	926,847			926,847	203,937	203,944		407,881	518,966	722,910
અ જે	555,097,114	100,240,993	5,257,542	650,080,565	245,235,886	26,134,945	4,797,118	266,573,713	383,506,852	309,861,228
पिछले वर्ष	450,645,285	108,441,335	3,989,506	555,097,114	216,138,690	32,431,442	3,334,246	245,235,886		
13. अगोचर परिसंपत्तियां										
सॉफ्टवेयर	5,213,070			5,213,070	4,072,581	550,163		. 4,622,744	590,326	1,140,489
એ લ	5,213,070			5,213,070	4,072,581	550,163		. 4,622,744	590,326	1,140,489
पिछले वर्ष	6,146,659		933,589	5,213,070	4,220,829	552,409	700	700,657 4,072,581		
14 प्रगतिशील पूंजीगत कार्य	न कार्य									
प्रगतिशील प्ँजीगत कार्य	45								8,197,577	7,841,727

<u>टिप्पणीः</u> भूमि एवं भवन के लिए संदर्भ सं. 39



· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	31-03-2014 को समाप्त होने व	ले 31-03-2013 को	
	वर्तमान रिपोटिंग अवधि के आंक		अवधि के आंकड़ें
2	₹	₹	₹
15. गैर वर्तमान निवेश		<u> </u>	
(व्यापार : दीर्घावधि : लागत पर : गैर उद्धृत) क. इक्विटी साधन में निवेश			
क. इक्क्टिंग सावन म निवश (i) एसोशियटेस			
पंजाब राज्य बीज निगम लिमिटेड में			
प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 93,150 इक्विटी शेय	र		
(पिछले वर्ष 93,150) (24.74%)	9,315,	00	9,315,000
आंध्र प्रदेश राज्य बीज विकास निगम लिमिटेड में	5,515,		2,212,222
प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 90,000 इक्विटी शेय	र		
(पिछले वर्ष 90,000) (32.64%)	9,000,	00	9,000,000
हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड में			
प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 1,11,500 इक्विटी श			
(पिछले वर्ष 1,11,500) (23.31%)	11,150,	00	11,150,000
उत्तराचंल बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड में	.		
प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 84,000 इक्विटी शेय (पिछले वर्ष 84,000) (23.44%)		00	0.400.000
(१५७९) (४५,०००) (४५,४४%) महाराष्ट्र राज्य बीज निगम लिमिटेड में	8,400,	UU	8,400,000
प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 1,48,330 इक्विटी श	ोयर -		
(पिछले वर्ष 1,48,330) (35.45%)	14,833,	00	14,833,000
बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड में			,,
प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 63,829 इक्विटी शेय	₹ 6,382,900	6382900	
(पिछले वर्ष 63,829) (20.91%)	6,382,899	1 <u>·</u>	6,382,900
श्रोयर आवेदन प्रदत्त राशि : @			
बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड में			
प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 3.226 इक्विटी शेयर	322,600		322,600
(पिछले वर्ष 3.226)			322,600
घटाएं : शेयरों के मूल्यों में कमी के लिए प्रावधान*	322,600		J22,000
कुल (क) (i)	52,698,	01	59,403,500
(ii) अ <u>न्य</u>			
उड़ीसा राज्य बीज् निगम लिमिटेड में			
प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 14,301 इक्विटी शेय			
(पिछले वर्ष 14,301) (9.61%)	1,430,	00	1,430,100
कर्नाटका राज्य बीज निगम लिमिटेड में प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 62,230 इक्विटी शेय	T 6 222 1	00	6,223,000
(पिछले वर्ष 62,230) (19.71%)	₹ 6,223,	00	0,223,000
को–ऑपरेटिव औद्योगिक वसाहत लिमिटेड में	ı	00	500
प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 05 इक्विटी शेयर		00	000
(पिछले वर्ष 05)			
मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम में	4,820,	00	4,820,000
प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 482 इक्विटी शेयर			
(पिछले वर्ष 482) (6.23%)			
राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड में	10,393,	00	10,393,000
प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 1,03,930 इक्विटी शे			00.000.000
(पिछले वर्ष 1,03,930) (13.68%)	22,866,	UU 	22,866,600
कुल (क) का (ii)	75,564,	01	82,270,100
कुल क = (क (i) + क (ii)	=======================================	=	



	31-03-2014 को स वर्तमान रिपोटिंग अ			ा अवधि के आंकड़ें
	₹	₹	₹	₹
ख. अधिमानी शेयरों में निवेश				
(i) एसोशियटेस				
बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड में				
प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 37,021				
इक्विटी शेयर				
(पिछले वर्ष 37,021) (20.91%)	3,702,100		3,702,100	
घटाएं : शेयरों के मूल्यों में कमी	3,702,099	1	_	3,702,100
के लिए प्रावधान*				
शेयर आवेदन प्रदत्त राशि : @				
प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त 2,304	230,400		230,400	
इक्विटी शेयर				
(पिछले वर्ष 2,304)				
घटाएं : शेयरों के मूल्यों में कमी	230,400		_	230,400
के लिए प्रावधान*				
कुल (ख) का (i)		1		3,932,500
(ii) अन्य				
उड़ीसा राज्य बीज निगम लिमिटेड में				
प्रत्येक 100 रु. के पूर्णत प्रदत्त				
25,039 इक्विटी शेयर				
(पिछले वर्ष 25,039) (9.61%)		2,503,900		2,503,900
कुल (ख) का (ii)		2,503,900		2,503,900
कुल (ख) = (ख (i) + ख (ii)		2,503,901		6,436,400
कुल = क + ख		78,068,502		88,706,500

टिप्पणियां:

- राज्य बीज निगमों के शेयरों में निवेश भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना हस्तांतरणीय नहीं है। विभिन्न राज्य बीज निगमों से निवेश को वापस लिए जाने संबंधी निर्णय भारत सरकार द्वारा आस्थिगित रखा हुआ है।
- 2. राज्य बीज निगमों में एनएससी के शेयरों का प्रतिशत कोष्ठक में दिया गया है।
 - @ बिहार राज्य बीज विकास निगम लिमिटेड द्वारा शेयरों के आबंटन को उनके निदेशक मंडल ने दिनांक 31.1.1998 को हुई अपनी बैठक में अनुमोदित कर दिया है, अभी भी शेयर प्रमाण पत्र जारी किए जाने है, निवेश को प्रदत्त शेयर आवेदन राशि के रूप में दिखाया गया है।

^{*}संदर्भ नोट संख्या 41



	01-04-2013 तक	वर्ष के दौरान अतिरिक्त समायोजन	31-03-2014 त	क
	₹	₹	₹	_
16. आस्थ्रगित कर परिसंपत्तियां: : आस्थ्रगित कर परिसंपत्तियां: आयकर अधिनियम, 1961 की				_
धारा 43 बी के अंतर्गत गैर भत्ते	57,114,140	4,822,651	61,936,791	
संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	36,614,684	6,955,344	43,570,028	
अन्य	5,468,809	38,330,842	43,799,651	
कुल	99,197,633	50,108,837	149,306,470	
आस्थगित कर देयताएं:				
स्थाई परिसंपत्तियों से संबंधित	21,518,310	11,740,464	33,258,774	
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	77,679,323	38,368,373	116,047,696	
	31-03-2014 को स् वर्तमान रिपोटिंग अ	-	31-03-2013 को पिछली रिपोटिंग	समाप्त होने वाले अवधि के आंकड़ें
	₹	₹	₹	₹
17. दीर्घावधि ऋण एवं अंग्रिम:				
(अप्रत्याभूत, वसूली वाले जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट :)				
पूंजीगत अग्रिम		9,775,295		9,775,295
सुरक्षित एवं अन्य जमा				
वसूली वाले	16,601,673		18,518,911	
संदिग्ध वसूली वाले	2,060,017		1,485,507	
	18,661,690	10.004.070	20,004,418	10 510 011
घटाएं: संदिग्ध ऋणों एवपं अग्रिमों के लिए अलाउन्स वापसी योग्य आयकर (भरे गए रिटर्न के अनुसार)	2,060,017	16,601,673	1,485,507	18,518,911
9 1		4,845,402 31,222,370		10,753
कुल 		31,222,370		28,304,959
18. माल का स्टॉक:				
(प्रबंध द्वारा स्टॉक में लिया गया, यथा मूल्यांकित एवं यथा प्रमाणित)				
(उल्लेखनीय लेखा नीतियों का संदर्भ नोट 2.7) तैयार माल				
तयार माल मार्गस्थ माल (प्रमाणित बीज)		385,304,443		640,125,076
अनुपयोगी बीज		2,972		20,672,706
अनुपयागा बाज प्रमाणित पैकिंग एवं उपचार सामग्रियाँ		3,823,033 129,353,910		13,809,464 103,763,335



	31-03-2014 को र वर्तमान रिपोटिंग अ		31-03-2013 को समाप्त होने पिछली रिपोटिंग अवधि के आं	
	₹	₹	₹	₹
९. प्राप्य व्यापार				
अप्रत्याभूत				
भुगतान की देय तिथि से 6 माह से अधिक अविध के	लिए बकाया			
वसूली होने वाले	258,961,033		97,036,613	
संदिग्ध वसूली वाले	72,804,857		56,913,529	
	331,765,890		153,950,142	
टाएं: संदिग्ध प्राप्य व्यापार के लिए अलाउन्स	72,804,857	258,961,033	56,913,529	97,036,613
अन्य प्राप्य व्यापार				
वसूली होने वाले		458,179,126		549,644,366
कुल		717,140,159		646,680,979
ः नकदी एवं नकद समतुल्य				
नकदी एवं नकद समतुल्य				
बैंकों के पास शेष		111,031,343		135,632,479
बैंक जमा जिनकी परिपक्वकता 03 माह के भीतर है		1,185,001,100		399,689
हाथ में चैक एवं टिकट		283,258		5,380
हाथ में नकदी		485,495		125,145
		1,296,801,196		136,162,693
N° N° N° N°		1,200,001,100		100,102,000
अन्य बैंकों में शेष				
बैंक गारंटी के विरुद्ध सीमांत राशि / प्रत्याभूत के रूप	में			
सांविधि जमा		4,642,670		2,875,600
निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन संवर्धन हेतु सहायता के लि	ए	13,298		349,458
बैंक में शेष		4,655,968		3,225,058



	31-03-2014 को स वर्तमान रिपोटिंग अ		31-03-2013 को समाप्त होने व पिछली रिपोटिंग अवधि के आं	
	₹	₹	₹	₹
21. अल्पावधि ऋण व अंग्रिम				
(अप्रत्याभूत वसूली वाले जब तक अन्यथा विनिति बीजों की खरीद के विरुद्ध उत्पादकों को अग्रिम	<u> </u>			
प्रत्याभूत, वसूली होने वाले	792,862,768		984,905,327	
अप्रत्याभृत संदिग्ध वसूली वाले	5,422,356 798,285,124		442,945 985,348,272	
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए अलाउन्स	5,422,356	792,862,768	442,945	984,905,327
अन्यों को अग्रिम				
प्रत्याभूत, वसूली होने वाले	4,723,050		9,781,976	
अप्रत्याभूत संदिग्ध वसूली वाले	312,972		278,881	
	5,036,022		10,060,857	
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए अलाउन्स	312,972	4,723,050	278,881	9,781,976
स्टाफ को अग्रिम (आकस्मिक अग्रिम सहित)				
प्रत्याभूत, वसूली होने वाले	1,251,186		1,085,099	
अप्रत्याभूत संदिग्ध वसूली वाले	43,708		43,708	
	1,294,894		1,128,807	
घटाएं : संदिग्ध अग्रिमों के लिए अलाउन्स	43,708	1,251,186	43,708	1,085,099
स्टाफ से वसूली योग्य				
वसूली वाले	4,986,298		8,528,021	
संदिग्ध वसूली वाले	516,714		468,638	
~	5,503,012		8,996,659	
घटाएं : संदिग्ध वसूली के लिए अलाउन्स	516,714	4,986,298	468,638	8,528,021
खर्चो के लिए पूर्व प्रदत्त व अग्रिम		726,400		965,274
उपदान ट्रस्ट के लिए अग्रिम *		3,714,197		
कुल		808,263,899		1,005,265,697
*संदर्भ नोट संख्या ४५				



31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

	31-03-2014 को स			को समाप्त होने वाले
	वर्तमान रिपोटिंग अ			टंग अवधि के आंकड़ें
	₹	₹	₹	₹
2. अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ				
(अप्रत्याभूत, वसूली वाले जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट	<u>r</u>)			
अपव्यय				
जमा पर ब्याज उपार्जित		6,627,799		62,468
ब्याज प्राप्य		_		39,461
लाभांश प्राप्य		_		1,304,100
अन्य				
अन्य प्राप्य				
वसूली वाले	12,104,712		6,331,173	
संदिग्ध वसूली वाले	846,890		70,866	
	12,951,602		6,402,039	
घटाएं : संदिग्ध प्राप्य के लिए अलाउन्स	846,890	12,104,712	70,866	6,331,173
वसूली योग्य दावे				
वसूली वाले	2,288,118		1,235,046	
संदिग्ध वसूली वाले	675,297		675,297	
	2,963,415		1,910,343	
घटाएं : संदिग्ध दावों के लिए अलाउन्स	675,297	2,288,118	675,297	1,235,046
आर्थिक अनुदान / सहायता / मिनिकिटस बिक्री/				
उत्पादन के विरुद्ध भारत सरकार से वसूली योग्य				
वसूली वाले	657,969,064		1,367,310,997	
संदिग्ध वसूली वाले	44,692,886		53,817,336	
	702,661,950		1,421,128,333	
घटाएं : संदिग्ध प्राप्य के लिए अलाउन्स	44,692,886	657,969,064	53,817,336	1,367,310,997
बिक्री/उत्पादन आर्थिक सहायता के विरुद्ध				
राज्य सरकारों से वसूली योग्य				
वसूली वाले	202,071,802		247,056,348	
संदिग्ध वसूली वाले	809,145		424,285	
	202,880,947		247,480,633	
घटाएं : संदिग्ध दावों के लिए अलाउन्स	809,145	202,071,802	424,285	247,056,348
कुल		881,061,495		1,623,439,593

केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार से प्राप्त योग्य व्यय की आर्थिक सहायता / आर्थिक अनुदान / प्रतिपूर्ति के लिए ऋण को संबंधित प्राधिकारियों के पास दावे किए जाने के आधार पर लिया गया है। समायोजन, यदि कोई हो, को उसे संबंधित प्राधिकारियों के द्वारा अंतिम निपटान/प्राप्ति के समय किया जाता है।



	31-03-2014 को वर्तमान रिपोटिंग	समाप्त होने वाले अवधि के आंकड़ें		को समाप्त होने वाले टिंग अवधि के आंकड़ें
	₹	. ₹	₹	₹
23. प्रचालनों से राजस्व बीज की बिक्री				
प्रमाणित – गृह बाजार	6,344,920,896		5,943,049,200	
प्रमाणित - निर्यात	-		16,681,500	
बीज बिक्री पर मूल्य अंतर की प्रतिपूर्ति	1,030,121,016		1,015,324,979	
घटाएं : व्यापार छूट	394,290,238	6,980,751,674	390,362,497	6,584,693,182
मूल बीज	149,871,258		126,030,879	
प्रजनक बीज	18,278,378		19,483,541	
पौध सामग्री	7,337,566		70,242,409	
अनुपयोगी बीज	12,713,902		6,124,464	
विविध बिक्री	3,601,423	191,802,527	4,128,777	226,010,070
सेवाओं की बिक्री		2,080,949		2,301,017
अन्य प्रचालन राजस्व		36,483,003		34,735,453
कुल ————————————————————————————————————		7,211,118,153	- =	6,847,739,722
24. अन्य आय				
ब्याज आय जमा पर ब्याज (सकल)	37,819,694		855,569	
टीडीएस रु. 41,12,256/-	07,010,001		000,000	
(पिछले वर्ष रु. 85,219/-)				
आयकर वापसी पर ब्याज			3,892,809	
अन्य एसोसियेटस से लाभांश	269,128	38,088,822	312,573	5,060,951
अन्य गैर - प्रचालन आय		5,093,950		6,028,239
विविध प्राप्तियां*:		27,329,297		16,540,134
दावे		152,356		654,635
विदेशी मुद्रा लेन देन पर लाभ				133,703
किराया विद्युत प्रभार सहित		7,514,230		8,286,772
वसूल किया गया निर्णीत हर्जाना		6,962,513		1,722,277



	31-03-2014 को स	माप्त होने वाले	31-03-2013	को समाप्त होने वाल
	वर्तमान रिपोटिंग अ	ावधि के आंकड़ें	पिछली रिपोटि	रंग अवधि के आंकड़े
	₹	₹	₹	₹
अलाउन्स / प्रावधान व देयताएं जिनकी अब			-	
आवश्यकता नहीं रही				
अलाउन्स / प्रावधानः				
–अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण	1,575,365		245,985	
–संदिग्ध अंग्रिम एवं जमा	5,559		30,000	
–उत्पादकता से संबंद्ध प्रोत्साहन	1,923,345		6,181,500	
-बोनस	19,296		17,872	
-वेतन एवं भत्ते	176,784		_	
–आर्थिक सहायता	9,124,450	12,824,799		6,475,357
देयताएं				
सेवाएं	5,165,134		4,035,921	
माल	59,273,650	64,438,784	1,809,871	5,845,792
कुल		162,404,751		50,747,860
आर्थिक अनुदान से बाहर खरीदी गई		13,941,478		14,074,716
संपत्तियों पर मूल्याह्मस				
कुल		13,941,478		14,074,716
कुल		176,346,229		64,822,576

★ जिसमें जब्त किए गए धरोहर राशि एवं अन्य सुरक्षित जमा रु. 61,00,986/- (पिछले वर्ष: रु. 34,43,693/-) शामिल है।

25. उपयोग की गई सामग्री की लागत

प्रारंभिक स्टॉक				
प्रमाणीकरण व पैकिंग सामग्री	78,862,225		178,628,269	
उर्वरक, खाद व उपचार सामग्री	24,901,110	103,763,335	18,862,400	197,490,669
जोड़े: क्रय				
प्रमाणीकरण व पैकिंग सामग्री	143,693,674		79,816,357	
उर्वरक, खाद व उपचार सामग्री	47,330,209	191,023,883	70,776,859	150,593,216
घटाएं: अंतिम स्टॉक				
प्रमाणीकरण व पैकिंग सामग्री	104,815,125		78,862,225	
उर्वरक, खाद व उपचार सामग्री	24,538,785	129,353,910	24,901,110	103,763,335
कुल		165,433,308		244,320,550



31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

	31-03-2014 को समाप्त होने वाले वर्तमान रिपोटिंग अवधि के आंकड़ें		31-03-2013 को समाप्त होने वाले पिछली रिपोटिंग अवधि के आंकड़े
	₹	₹	₹ ₹
26.स्टॉक ईन ट्रेड की खरीद			
प्रमाणित बीज		5,012,036,075	5,317,232,646
मूल बीज		166,712,153	145,842,537
प्रजनक बीज		22,879,750	26,597,118
पौध सामग्री		6,545,602	70,837,522
		5,208,173,580	5,560,509,823
घटाएं: उत्पादन सहायता		560,293,375	589,456,720
कु ल		4,647,880,205	4,971,053,103
27. तैयार माल की सूची में परिवर्तन			
एवं स्टॉक-इन-ट्रेड -^:			
बीज का प्रारंभिक स्टॉक		674,607,246	590,733,451
घटाएं: बीजों का अंतिम स्टॉक		389,130,448	674,607,246
स्टॉक में परिवर्तन ————————————————————————————————————		285,476,798	(83,873,795)
28. कर्मचारी प्रसुविधाएं व्यय			
वेतन, मजदूरी, भत्ते, अन्य प्रसुविधाएं एवं बोनस		529,447,691	440,581,913
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान		54,360,574	73,544,234
पेंशन योजना के लिए प्रावधान		80,039,000	
कर्मचारी कल्याण व्यय		21,295,081	11,537,348
कुल		685,142,346	525,663,495
29. वित्त लागत			
ब्याज व्यय बैंक से प्रतिभूति ऋण पर (नकद ऋण)		9,942,679	6,645,132
कार्यशील पूंजी ऋण पर		3,630,730	39,794,004
कुल	-	13,573,409	46,439,136
अन्य उधार लागत			
ऋण संसाधन शुल्क		1,500,000	227,397
वचन प्रभार		1,019,362	2,812,500
कुल		2,519,362	3,039,897
कुल		16,092,771	49,479,033



		31-03-2014 को र वर्तमान रिपोटिंग अ			को समाप्त होने वाले टेंग अवधि के आंकड़ें
		₹	₹	₹	₹
30. अन्य	। व्यय				
क. प्रचा	लन व्यय				
म्रम	मत व रख रखाव				
गोदा	म व संसाधन संयंत्र भवन	2,084,805		879,259	
संयंत्र	त्र व मशीनरी	2,402,132	4,486,937	2,157,643	3,036,902
	क माल भाड़ा जिसमें माल एवं				
	ल संपत्तियों की	159,364,289		212,058,987	
अंतर	इकाई संचलन भाड़ा भी शामिल है।				
	रं: परिवहन सहायता	12,529,311	146,834,978	12,171,711	199,887,276
भंडा	रण व संसाधन संयंत्रों का किराया		46,516,963		42,342,426
	धन, निरीक्षण व बीज परीक्षण प्रभार		79,654,564		63,469,229
उपये	ोग में आए भंडार अतिरिक्त पुर्जे		1,230,249		1,816,325
<u> </u>	ली व ईंधन		13,541,426		11,398,678
खरीव	द कर		711,626		1,081,858
	गशाला खर्च		979,499		566,729
अन्य	विविध खर्च		6,575,130		5,967,382
कुल	(क)		300,531,372		329,566,805
	सनिक व्यय				
	नत एवं रखरखाव				
कार्य	लिय व आवासी भवन	553,151		1,236,543	
अन्य		6,011,852	6,565,003	7,699,605	8,936,148
	या : कार्यालय एवं आवासीय भवन		7,138,123		6,080,217
	्र एवं स्थानीय वाहन		13,969,776		15,330,262
	फोन व ट्रंक काल		4,932,672		5,295,474
	टिकट, तार व टेलेक्स		1,727,588		1,972,987
9	ा व लेखन सामग्री		4,377,698		4,011,062
	ली व पानी प्रभार		8,240,093		6,410,820
	चर, जुड़नार, वाहन आदि का किराया / भाड़ा		3,927,521		3,616,852
मुकह	इमा व्यय (कानूनी खर्च)		2,423,034		3,177,818
	त्र कर		4,176,553		4,049,168
	वारी भविष्य निधि, उपदान,		4,724,777		538,735
	इ बीमा इत्यादि का प्रशासनिक प्रभार				
बीमा			1,587,991		1,635,813
	जन व्यय		1,713,459		2,179,421
विज्ञा	ापन (साधारण)		1,923,345		2,621,958



31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

	31-03-2014 को स वर्तमान रिपोटिंग अव	-		ो समाप्त होने वाले । अवधि के आंकड़ें
	₹	₹	₹	₹
लेखा परीक्षकों को मानदेय (सेवा कर सहित)				
लेखा परीक्षकों को	410,788		410,788	
कराधान मामले के लिए	113,373		107,755	
अन्य सेवाओं के लिए	11,236		20,984	
खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए	541,413	1,076,810	284,396	823,923
आंतरिक लेखा परीक्षा फीस एवं खर्चीं की प्रतिपूर्ति		1,625,469		1,690,969
बैंक प्रभार		1,676,680		979,469
বিবিध		5,366,660		6,778,228
कुल(ख)		77,173,252		76,129,324

★ इसमें क्रमशः अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को चुकाया गया यात्रा व्यय रु. ७,५७,२९१/- एवं निदेशको को रु. २,९२,७४/-(पिछले वर्षः अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रु. ३,६८,८९४/- एवं निदेशको को रु. 5,00,5९९/-) भी शामिल हैं।

(पि	(पिछले वर्ष: अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रु. 3,68,898/- एवं निदेशको को रु. 5,00,599/-) भी शामिल हैं।					
ग.	बिक्री व्यय					
	जावक भाड़ा	92,454,418	56,005,324			
	प्रचार व विज्ञापन	2,826,578	2,408,147			
	अनुसंधान एवं विकास व्यय	10,699,479	6,311,302			
	सेवा कर	7,736,830	7,576,169			
	बिक्री कर	26,254	137,217			
	धन वापसी गारंटी के अंतर्गत	217,112	1,711,690			
	मुआवजा निर्णीत हर्जाना आदि					
	डायरी खर्च (निवल)	230,857	293,044			
	विदेशी व्यापार पर हानि	126,696				
	अन्य बिक्री व्यय	476,922	733,182			
	कुल (ग)	114,795,146	75,176,075			
घ.	सीएसआर पर व्यय	-	10,443,635			
	कुल(घ)	<u> </u>	10,443,635			
ड.	अलाउन्स व बट्टे खाते					
	अशोध्य व संदिग्ध के लिए अलाउन्स					
	व्यापार प्राप्य	17,748,994	14,082,201			
	अग्रिम और दावे	1,867,180	54,854,303			
	बट्टे खाते					
	व्यापार प्राप्य	1,090,393	469			
	बिक्री / उत्पादन आर्थिक सहायता के विरुद्ध भारत सरकार से प्राप्य	230,721,612				
	कुल(ड)	251,428,179	68,936,973			
कुल	न (क) से (ड़) तक	743,927,949	560,252,812			



	11पा वर्ष का वित्ताय। 31-03-2014 को स			क्रो समाप्त होने वाले
	वर्तमान रिपोटिंग अ	विध के आंकड़ें	पिछली रिपोटिं	ग अवधि के आंकड़ें
	₹	₹	₹	₹
31. अपवाद स्वरूप मदें				
स्थाई परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ (निवल)		(471 621)		/012.000
		(471,621)		(812,960
क् ल 		(471,621)		(812,960)
32. आसाधारण मदें				
दीर्घावधि निवेश की लागत मूल्य में कमी का प्रावधान		10,637,998	-	
<u>कुल</u>		10,637,998	-	
संदर्भ नोट संख्या 41				
33. पूर्वावधि मदें				
(i) पूर्वावधि व्यय				
बीजों की बिक्री	3,442		675,619	
भंडारण एवं संसाधन संयंत्रों हेतु किराया			123,420	
जावक भाड़ा	5,474	8,916	179,858	978,897
		•		
(ii) पूर्वावधि आय				
विविध प्राप्तियां			171,256	
प्रारंभिक स्टॉक			846,704	
उपदान		-	9,108,677	10,126,637
निवल व्यय/आय (I-II)		8,916	<u> </u>	(9,147,740)
24 27-67-27-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77-77				
34. <u>आकस्मिक देयता एवं वचनबद्धताः</u>				
(क) <u>आकस्मिक देयताः</u> कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें कर्ज के रूप में नहीं माना	тэп 4			
-कर्मचारियों द्वारा	ગંબા હ	100 000		345,000
- अन्यों द्वारा - अन्यों द्वारा		106,000		•
-जन्या द्वारा धन वापसी गारंटी योजना के अंतर्गत लम्बित		74,959,949 3,920,002		68,460,106 4,790,000
जांच/स्वीकृति के लिए दाखिल किए गए दावे		29,799,808		10,204,000
विवादित बिक्री कर मांग		4,903,736		10,204,000
विवादित आय कर मांग		682,542		- 682,542
विवादित कर्मचारी राज्य बीमा निगम मांग		002,342		002,342
विश्वाद्यं क्रावायं स्वत्वं आसा । विस्ताता				
(ख) वचनबद्धताः				
शेष ठेके की अनुमानित राशि पूंजीगत खाते पर		11,000,000		4,568,000
निष्पादित किया जाना है तथा प्रावधान नहीं किया गया	l			
(अग्रिमों का निवल)				



31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

35. अतिरिक्त सूचनाः

(क) प्रयुक्त सामग्री की लागत:

कंपनी द्वारा किए जा रहे व्यापार की प्रकृति के कारण, ऐसे वस्तुओं के प्रत्येक श्रेणी में प्रयुक्त किए गए सामग्री की लागत का परिमाण एवं जोड़ करना संभव नहीं है।

(ख) खरीदा गया सामान

विवरण	राशि
प्रमाणित बीज	5,012,036,075
	5,317,232,646)
मूल बीज	166,712,153
	(145,842,537)
प्रजनन बीज	22,879,750
	(26,597,118)
कुल	5,201,627,978
	(5,489,672,301)

(ग) बीजों के उत्पादन / विपणन का विवरण:

विवरण	बिक्री मूल्य (रु. में)	अंतिम स्टॉक / माल (रु. में)	प्रारंभिक स्टॉक / माल (रु. में)
प्रमाणित बीज	7,375,041,912	334,771,993	611,605,204
	6,975,055,679)	(611,605,204)	(532,359,925)
मूल बीज	149,871,258	47,703,861	25,391,919
·	(126,030,879)	(25,391,919)	(30,309,615)
प्रजनन बीज	18,278,378	2,828,589	3,127,953
	(19,483,541)	(3,127,953)	(2,659,018)
मार्गस्थ माल		2,972	20,672,706
	-	(20,672,706)	(4,645,472)
कुल	7,543,191,548	385,307,415	660,797,782
	(7,120,570,099)	(660,797,782)	(569,974,030)

टिप्पणी

- (i) पौध सामग्री, केले के पौध एवं ग्लोडियस बल्बस जिन्हें क्रमश: रु. 65,45,602 मूल्य के 4,16,824 संख्या (पिछले वर्ष रु; 7,08,37,522 के 51,48,414 की संख्या) में खरीद एवं रु. 73,37,566 मूल्य के 4,16,824 की संख्या (पिछले वर्ष रु. 7,02,42,409 मूल्य के 51,63,414 की संख्या) में बिक्री बीज में शामिल नहीं है।
- (ii) उपरोक्त स्टॉक के अतिरिक्त बेकार/बेकार योग्य बीजों के रु. 38,23,033 मूल्य के 4,155.4 क्विंटल एवं 3,246पैकेट (पिछले वर्ष रु. 1,38,09,464 मूल्य के 5,264,57 क्विंटल तथा 5,767 पैकेट) भी स्टॉक में है।
- (iii) पिछले वर्ष के आंकड़े, जहां लागू हो, कोष्ठक में प्रस्तुत है।



31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

31-03-2014 को समाप्त होने वाले वर्तमान रिपोटिंग अवधि के आंकड़ें ₹ 31-03-2013 को समाप्त होने वाले पिछली रिपोटिंग अवधि के आंकड़ें

36. विदेशी मुद्रा व्यापार:

विदेशी मुद्रा में अर्जन

-पोतपर्यन्त नि:शुल्क आधार पर बीजों का निर्यात - 16,681,500

विदेशी मुद्रा में व्यय

विदेशी भ्रमण 328,998 -सदस्यता शुल्क 363,572 361,938

37. **''प्रति शेयर उपार्जन''** भारत के सनदी लेखाकारों की संस्था द्वारा जारी लेखा मानक-20 के अनुसार मूल एवं कम किया हुआ प्रति शेयर उपार्जन (इपीएस) की गणना की गई है।

विवरण	•	आसाधारण	मदों से पूर्व	आसाधारण म	दों के पश्चात
		2013-14	2012-13#	2013-14	2012-13#
वर्ष के लिए लाभ	₹.	551,304,380	443,007,943	540,666,382	443,007,943
वर्ष के दौरान बकाए इक्विटी शेय भारित औसत संख्या	रों की	226,812	226,812	226,812	226,812
प्रति शेयर उपार्जन (बेसिक एवं रि	डेलूटेड.) रु.	2,430.67	1,953.19	2,383.76	1,953.19

वर्ष 2012-13 के लिए मूल एवं कम किए हुए प्रति शेयर उपार्जन को 1:10 के अनुपात में बोनस इक्विटी जारी करने के लिए फिर से कहा गया है। (प्रत्येक धारित रु. 1000 के हर 10 इक्विटी शेयर के लिए प्रत्येक रु. 1000 का एक बोनस इक्विटी शेयर)

38. प्रस्तावित लाभांश

वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश निम्न प्रकार से है।

प्रत्येक रु. 1000 के इक्विटी शेयर पर:

प्रस्तावित लाभांश की राशि रु. 41,249,898 41,238,600 प्रति इक्विटी शेयर लाभांश रु. 200 200

39. भूमि एवं भवन

(i) पटना (शेखपुरा) तथा कोलकाता (मिदनापुर) क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित निगम के पक्ष में भूमि का पट्टा विलेख / हक विलेख (जिस पर भवनों का निर्माण किया गया है) तथा भूमि के भुगतान का विवरण एवं उसके मूल्य हिसाब के विवरण उपलब्ध नहीं है। यद्यपि 1984 में प्रारंभिक तौर पर 30 वर्षों की अविध के लिए मिदनापुर जमीन की प्राप्ति के संबंध में दस्तावेजी सबूतों की अवस्थिति का पता लगा लिया गया है तथा उनके आधार पर संबद्ध प्राधिकारियों से शीघ्र कार्रवाई के लिए कहा गया है। भूमि की लागत के अंतिम रूप से सुनिश्चित हो जाने पर पट्टे वाली भूमि का परिशोधन एवं भवन के मूल्यहास पर प्रभाव पड़ेगा।



31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

- (ii) निगम द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार के कृषि विभाग से नंदयाल में बीज संसाधन संयंत्र तथा भंडार निर्माण के लिए 15.10.1994 को ली गई भूमि का पट्टा विलेख राशि को अंतिम रूप न दिए जा सकने के कारण इसका पट्टा विलेख निष्पादन लम्बित पड़ा हुआ है।
- (iii) हेमपुर (उत्तरांचल), का पट्टा/हक विलेख को अभी निष्पादित किया जाना है और गुवाहाटी (असम) का पट्टा/हक विलेख दिनांक 17.07.2012 को निष्पादित किया गया है।
- (iv) हेमपुर फार्म की भूमि का एक बड़ा भाग मार्च, 1987 में उत्तरप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम को सौंपा गया था। एनएससी ने 07 एकड़ भूमि अपने पास रखी हुई है। उत्तर प्रदेश / उत्तरांचल सरकार से कंपनी द्वारा आधारभूत ढांचा बनाने के लिए एवं एनएससी द्वारा पट्टा प्रीमियम पट्टा किराया आदि के कारण रु. 25 लाख की राशि के भुगतान के समायोजन के संबंध में देय क्षतिपूर्ति का अंतिम निपटान लिम्बित पड़ा होने से कोई समायोजन नहीं किया गया।
- (v) निवाड़ी स्थित भूमि रु. 40,000 के प्रीमियम एवं रु. 3000 प्रतिवर्ष के किराये पर एनएससी को स्थाई रूप से स्थानातंरित किया गया था। तथापि पट्टे की अवधि के अभाव में, निवाड़ी स्थित भूमि 99 साल की अवधि में परिशोधित किया जा रहा है।
- (vi) गोरखपुर स्थित भूमि निगम ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण से रु. 97,75,295/- के भुगतान पर अधिग्रहण की है तथा इसके पट्टा विलेख को अपने नाम पर पंजीकृत कर दिया है। यद्यपि निगम के पक्ष में न ही मोटेशन किया गया है और न ही गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने वास्तविक कब्जा दिया है। भुगतान की गई राशि को पूंजीगत अग्रिम में दिखाया गया है। (टिप्पणी संख्या 17)
- 40. व्यापार प्राप्य, ऋण, एवं अंग्रिम, अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ, व्यापारप्रदेय एवं अन्य वर्तमान देनदारियों के शेष पुष्टिकरण/पुर्नगणना के अध्याधीन है। सरकारी विभागों / पार्टियों के विरुद्ध 06 वर्ष से कम अविध के लिए लंबित देय वसूली योग्य है।
- 41. लेखा नीति संख्या 2.8 के अनुसार लागत में कमी, अस्थाई के अलावा, दीर्घावधि निवेश को लेखों में लिया गया है, तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर प्रबंधन द्वारा 1,06,37,998/- (पिछले वर्ष शून्य) को अनुमानित आधार पर लिया है तथा लाभ हानि विवरण में असाधारण मदों के रूप में लिया गया है।
- 42. निगम का व्यापारिक क्रियाकलाप / प्रचालन मुख्यत: एक व्यवसाय खंड नामत: बीजों का उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन के अंतर्गत है, भारत के सनदी लेखाकारों का संस्थान द्वारा लेखा मानक (एएस-17) लेखों से अपेक्षित संबंधित प्रकटीकरण कंपनी पर लागू नहीं होते है। सभी व्यापारिक क्रियाकलाप / प्रचालन प्रारंभिक तौर पर एक व्यवसाय खंड नामत: घरेलू है।

43. निगम ने सूक्ष्म लघु एवं मंध्यम उद्यमों के रूप में 05 विक्रेताओं की पहचान की है, जैसे कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) में परिभाषित है। उक्त अधिनियम के अनुसार प्रकटीकरण निम्न प्रकार से है:-

	1 3470147141141 3	19/1\ \1 ().
विवरण	31.03.2014	31.03.2013
	को समाप्त	को समाप्त
	₹	₹
एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत आर्पूतिकर्ताओं को मूल राशि देय है।	12,661,402	415,272
एमएसएमईडी अधिनियम के अन्तर्गत उपरोक्त राशि पर आर्पूतिकर्ताओं को देय उपार्जित ब्याज एवं अप्रदत्त	-	-
वर्ष के दौरान नियत दिन से परे (ब्याज को छोड़कर) आपूर्तिकर्ताओं को देय भुगतान	-	-
एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं को दिया गया ब्याज (धारा 16 को छोड़कर)	-	-
एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं को दिया गया ब्याज (धारा 16)।	-	-
एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत पहले से ही किए गए भुगतान हेतु आपूर्तिकर्ताओं को देय / प्रदेय ब्याज	-	_
एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं को वर्ष के अंत तक उपार्जित ब्याज एवं अप्रदत्त शेष	-	-



31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

44. लेखा नीतियों में परिवर्तन

लेखा नीतियों का मसौदा तैयार किया गया एवं पुर्नशब्दों में लिए जाने है तथा लेखा मानको तथा कुछ नीतियों के अनुरूप, वसूली योग्य अधिशोषों को हटा दिया गया है। इस तरह के बदलाव से खातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है सिवाय निम्न टिप्पणी संख्या i एवं ii को छोड़कर।

(i) सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा

31.03.2013 को समाप्त हुए वर्ष तक, राशि को पिछले वर्ष के कर पूर्व लाभ (पीबीटी) का 1.5% पर गणना की गई है, बीमा निगम को मेडिक्लेम पॉलिसी के रूप में अधिशेष से किया गया निवल भुगतान उचित रूप से हो रहा था। भुगतान किए गए राशि को 'आरक्षित एवं अधिशेष' के अंतर्गत 'सेवानिवृत्त कर्मचारि कल्याण निधि' के रूप में दिखाया गया। 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए निगम ने अपनी लेखा नीति में बदलाव कर दिया और लाभ – हानि के विवरण में पिछले वर्ष के कर पूर्व लाभ का 1.5% पर गणना की गई राशि रु. 93,39,000 को दिखाया है। निगम ने पहली बार उपलब्ध कराई गई चिकित्सा सुविधा के प्रति अपनी देयता का जीवनानंकीय मूल्याकंन किया है जिसे 31.03.2014 को रु. 1,91,05,850 पर अनुमानित किया है। इस राशि को 'आरक्षिक एवं अधिशेष' के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण निधि' से कम कर दिया है और गैर वर्तमान देयताओं के अंतर्गत दीर्घाविध प्रावधान के रूप में दिखाया गया है। लेखाकंन नीति में परिवर्तन के कारण, वर्ष के लिए लाभ को रु. 93,39,000 कम बताया है।

(ii) सीएसआर क्रियाकलाप

31.03.2013 को समाप्त वर्ष तक, निगम के निदेशक मंडल ने लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के दिशा निर्देशों का अनुमोदन कर दिया तथा निगम को इसके पिछले वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ का (पीएटी) 3% पर अभिकंलन की गई राशि को खर्च करने की अनुमित दी थी। इसके अलावा, खर्च की गई राशि को 'आरक्षित एवं अधिशेष' के अंतर्गत 'खर्च न किए गए सीएसआर आरक्षित' के रूप में लाभ हानि विवरण व तुलनपत्र में दिखाया गया। 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाकंन नीति में बदलाव होने के कारण 3% पर अभिकंलन राशि के रूप में अधिक है, जैसे कि ऊपर रु. 1,32,92,022 पर वर्ष के लिए अधिशेष से बाहर विनियोजित किया गया, और 'खर्च न किए गए सीएसआर आरक्षित' में डाल दिया गया है। इस आरक्षित से वासतिवक, रूप से खर्च की गई राशि रु. 1,21,72,022 को कम कर दिया गया और तदनुसार तुलनपत्र में दिखाया गया है। इस परिवर्तन के कारण, वर्ष के लाभ को रु. 1,21,72,022अधिक बताया है।

कंपनी द्वारा कर्मचारियों को उपलब्ध कराएं गए विभिन्न हितों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है:-

(क) परिभाषित अंशदान योजना

वर्ष के दौरान कंपनी ने लाभ-हानि विवरण में निम्नलिखित राशि की पहचान की है:

(i) भविष्य निधि

` ′	भविष्य निधि में नियोक्ता अंशदान	29,792,684.00	27,988,302.00
(ii)	राज्य बीमा योजना		
	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में	275,226.00	288,225.00
	नियोक्ता का अंशदान		
	कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में नियोक्ता का अंशदान	4,852,909.00	5,352,990.00

(ख) परिभाषित लाभ योजना

कर्मचारी उपदान निधि योजना एक परिभाषित हित योजना है। देयता के वर्तमान मूल्य परियोजना एकक ऋण विधि का प्रयोग करते हुए जीवाननंकीय मूल्यांकन के आधार पर है।

^{45.} लेखा मानक – 15 (संशोधित) के अनुसार भारत के सनदी लेखाकारों की संस्था द्वारा जारी "कर्मचारी हित" का प्रकटीकरण, जैसे कि लेखा मानक के रूप में परिभाषित किया गया है निम्न प्रकार से है:-



31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

31-03-2014 को समाप्त होने वाले वर्तमान रिपोटिंग अवधि के आंकड़ें ₹ 31-03-2013 को समाप्त होने वाले पिछली रिपोटिंग अवधि के आंकड़ें

		उपदान (वित्त पोषित)	उपदान (वित्त पोषित)
1.	विवरण		
जीव	बनानंकीय धारणाएं	आई ए एल 2006-08	-
	गशीलता सारणी	अंतिम	
_	ग दर	2.00% प्रतिवर्ष	_
	पित ब्याज दर (छूट दर)	9.10% प्रतिवर्ष	8.00% प्रतिवर्ष
	न वृद्धि	7.50% प्रतिवर्ष	6.00% प्रतिवर्ष
	गोजना परिसम्पत्तियों पर प्रतिलाभ	8.85% प्रतिवर्ष	-
શાબ 2.	कार्यरत जीवन दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (पीवीओ)	9.98 वर्ष	-
۷.	वर्ष के प्रारम्भ में पीवीओ	202 041 512	227 000 401
		282,841,512	227,908,491
	ब्याज लागत	24,131,648	18,232,679
	वर्तान सेवा लागत	12,972,066	8,416,889
	भुगतान की गई प्रसुविधायें	(35,317,142)	(22,153,166)
	देयता पर जीवनांनकीय (लाभ) / हानि	5,353,960	19,913,885
	वर्ष के अंत में पीवीओ	289,982,044	252,318,778
3.	आयोजना परिसम्पत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन		
	वर्ष के आरम्भ में आयोजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	274,949,526	249,592,351
	आयोजना परिसम्पत्ति पर सम्भावित प्रतिलाभ	24,144,032	22,515,663
	अंशदान	30,929,715	4,255,476
	भुगतान की गई प्रसुविधायें	(35,200,919)	(22,153,166)
	आयोजना परिसम्पत्ति पर जीवनांनकीय लाभ / हानि	(1,126,113)	-
	वर्ष के अंत में आयोजना परिसम्पत्ति के उचित मूल्य	293,696,241	254,210,324
4.	आयोजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य		
	वर्ष के आरम्भ में आयोजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	274,949,526	249,592,351
	आयोजना परिसम्पत्ति पर वासतविक वापसी	23,017,919	22,515,663
	अंशदान	30,929,715	4,255,476
	भुगतान की गई प्रसुविधायें	(35,200,919)	(22,153,166)
	वर्ष के अंत में आयोजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	293,696,241	254,210,324
	वर्ष के अंत में पीवीओ	289,982,044	252,318,778
	निधिकृत अवस्थिति	3,714,197	1,891,546
5.	अभिज्ञात जीवानंनकीय (लाभ) / हानि		
	देयता पर जीवानंनकीय (लाभ) / हानि	(5,353,960)	(19,913,885)
	वर्ष के लिए जीवानंनकीय लाभ / हानि - आयोजना परिसम्पत्ति	(1,126,113)	
	वर्ष में अभिज्ञात जीवानंकीय लाभ / हानि	6,480,073	19,913,885



31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

	जा नाज, 201 न जा तन	गाना जन जम गिमान गिना जन रामा जम रि	117171	
		31-03-2014 को समाप्त होने वाले	31-03-2013	 को समाप्त होने वाले
		वर्तमान रिपोटिंग अवधि के आंकड़ें	पिछली रिपोनि	<u>टंग अवधि के आंकड़ें</u>
		₹		₹
6.	तुलनपत्र में अभिज्ञात खर्चे की राशि			
	वर्ष के अंत में पीवीओ		289,982,044	252,318,778
	वर्ष के अंत में आयोजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	ī	293,696,241	254,210,324
	निधिकृत अवस्थिति		3,714,197	1,891,546
	तुलनपत्र में अभिज्ञात निवल देयता		(3,714,197)	1,891,546
7.	लाभ एवं हानि खाते की विवरणिका में अभिज्ञात ख	गर्चे		
	वर्तमान सेवा लागत		12,972,066	8,416,889
	ब्याज लागत		24,131,648	18,232,679
	आयोजना परिसम्पत्तियों पर सम्भावित प्रतिलाभ		(24,144,032)	(22,515,663)
	वर्ष में अभिज्ञात निवल जीवनांनकीय (लाभ) / हानि		6,480,073	19,913,885
	लाभ एवं हानि खाते की विवरणिका में अभिज्ञात खर्चे		19,439,755	24,047,790

एनएससी ने स्थाई कर्मचारियों के लिए वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान केनरा, एचएसबीसी, ओरियेंटल बैंक ऑफ कामर्स में उपदान निधि के रूप में रु. 1.5 करोड़ जमा किए है। जीवनांनकीय ब्याज एवं भुगतान लाभ के पश्चात वित्त वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान निधि लागत रु. 59,10,682/- रह गई है।

अर्जित अवकाश / अर्ध वेतन अवकाश का जीवानंकीय मूल्यांकन नीचे दिया जा रहा है:

<u> जिन्दर्ग</u>

जीवनानकीय धारणाए		
मरणशीलता सारणी	आई ए एल 2006-08	आई ए एल 2006-08
घर्षण दर	2.00% प्रतिवर्ष	2.00% प्रतिवर्ष
आरोपित ब्याज दर (छूट दर)	9.10% प्रतिवर्ष	8.15% प्रतिवर्ष
वेतन वृद्धि	7.50% प्रतिवर्ष	5.50% प्रतिवर्ष
आयोजना परिसम्पत्तियों पर प्रतिलाभ	-	-
शेष कार्यरत जीवन	10.13 वर्ष	10.68 वर्ष
	- 10.13 वर्ष	- 10.68 वर्ष

दायित्व के वर्तमानमूल्य में परिवर्तन (पीवीओ)	उपदान (वित्त पोषित) उप	ग्दान (वित्त पोषित)
वर्ष के प्रारम्भ में पीवीओ**	165,701,723	138,951,523
ब्याज लागत	14,114,397	10,582,872
वर्तमान सेवा लागत	14,746,245	16,300,579
भुगतान की गई प्रसुविधायें	(21,196,911)	(18,200,669)
देयता पर जीवनांनकीय (लाभ) / हानि	5,143,707	3,178,226
वर्ष के अंत में पीवीओ	178,509,161	150,812,531



31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

	31-03-2014 को समाप्त होने वाले	31-03-2013 को समाप्त होने वाले	
	वर्तमान रिपोटिंग अवधि के आंकड़ें	पिछली रिपो	टिंग अवधि के आंकड़ें
	₹		₹
आयोजना परिसम्पत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन			
	ī		
आयोजना परिसम्पत्ति पर सम्भावित प्रतिलाभ		-	-
अंशदान		-	
भुगतान की गई प्रसुविधायें		(21,196,911)	(18,200,669)
आयोजना परिसम्पत्ति पर जीवनांनकीय लाभ / हानि		-	-
वर्ष के अंत में आयोजना परिसम्पत्ति के उचित मूल्य			
आयोजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य			
वर्ष के आरम्भ में आयोजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य	ī	-	-
आयोजना परिसम्पत्ति पर वासतविक वापसी		-	-
अंशदान		-	-
भुगतान की गई प्रसुविधायें		(21,196,911)	(18,200,669)
वर्ष के अंत में आयोजना परिसम्पत्ति का उचित मूल्य		-	-
वर्ष के अंत में पीवीओ		178,509,161	150,812,531
निधिकृत अवस्थिति		(178,509,161)	(150,812,531)
अभिज्ञात जीवानंनकीय (लाभ) / हानि			
देयता पर जीवानंनकीय (लाभ) / हानि		(5,143,707)	(3,178,226)
वर्ष के लिए जीवानंनकीय (लाभ) / हानि - आयोजन	। परिसम्पत्ति	-	-
वर्ष में अभिज्ञात जीवानंकीय लाभ / हानि		5,143,707	3,178,226
तुलनपत्र में अभिज्ञात खर्चे की राशि			
वर्ष के अंत में पीवीओ		178,509,161	150,812,531
वर्ष के अंत में आयोजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य		-	-
निधिकृत अवस्थिति		(178,509,161)	(15,08,12,531))
तुलनपत्र में अभिज्ञात निवल देयता		178,509,161	150,812,531
लाभ एवं हानि खाते की विवरणिका में अभिज्ञात ख	<u>च</u> ें		
वर्तमान सेवा लागत		14,746,245	16,300,579
ब्याज लागत		14,114,397	10,582,872
आयोजना परिसम्पत्तियों पर सम्भावित प्रतिलाभ		(-)	
वर्ष में अभिज्ञात निवल जीवनांनकीय (लाभ) / हानि		5,143,707	3,178,226
लाभ एवं हानि खाते की विवरणिका में अभिज्ञात खर्चे		34,004,349	30,061,677

लेखा मानक-15 (आर) के अनुसार 31.03.2014 को सेवा के दौरान देयता के रूप में अवकाश यात्रा छूट का जीवनानंकीय मूल्याकंन नीचे दिया गया है:



31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

31-03-2014 को समाप्त होने वाले

31-03-2013 को समाप्त होने वाले

वर्तमान रिपोटिंग अवधि के आंकड़ें

पिछली रिपोटिंग अवधि के आंकड़ें

645,000

परिसंपत्तियां / देयताएं

देयताएं -

* 31.03.2014 को सभी सीडीए वेतनमान के कर्मचारियों को आईडीए वेतनमान में बदल दिया गया है इसलिए अवकाश यात्रा छूट को कर्मचारियों के 42% भत्तों में शामिल कर दिया है।

** उपदान एवं अर्जित अवकाश / अर्ध वेतन अवकाश के मामलों में देयता के वर्तमान मूल्य के बीच का अंतर, पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में जीवनानंकीय मान्यताओं में अंतर के कारण है।

46. सम्बद्ध पार्टी से लेन-देन:

लेखा मानक-18 की आवश्यकता के अनुसार 'सम्बद्ध पार्टी से लेन-देन' अन्य राज्य नियंत्रित उद्यमों के साथ सम्बद्ध पार्टी का संबंध तथा ऐसे उद्यमों से लेन देन को नहीं दिया गया है।

46.1 संबद्ध पार्टी का नाम एवं संबंध का विवरण

मुख्य प्रबंधन अधिकारीगण (केएमपी)

श्री. वी. के. गौड़ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री एम.एम. शर्मा निदेशक (वित्त) श्री एस.बी.खताळ निदेशक (वाणिज्यिक)

46.2 31.03.2014 को संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन एवं बकाया शेष का सार।

लेन देन की प्रकृति	रु.	रु.
श्री. वी. के. गौड़, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक –मानदेय	16,60,366	शून्य
वर्ष की समाप्ति तक लेखों में लिए जाने वाले बिलों के विरुद्ध यात्रा अग्रिम प्रापण	3,09,574	शून्य
श्री एम.एम. शर्मा निदेशक (वित्त) -मानदेय	21,50,383	35,12,000
श्री एस.बी.खताल, निदेशक (वाणिज्यिक) –मानदेय	15,19,5000	शून्य
माग्प्य		



47. अंशदाई पेंशन योजनाः

15-01-2014 को निदेशक मंडल ने अपनी 252 वीं बैठक में डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार एनएससी कर्मचारी परिभाषित सेवानिवृत्त पेंशन योजना का अनुमोदन किया जिसमें 01.04.2011 से नियोक्ता का अंशदान मूल + मंहगाई भत्ता का 10 प्रतिशत तथा कर्मचारी अंशदान मूल + मंहगाई भत्ता का 05 प्रतिशत होगा। एनएससी ने वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान 1.4.2011 से 31.3.2014 तक की अविध के लिए नियोक्ता अंशदान के रूप में रु. 8,00,39,000 का प्रावधान किया है।

- 49. कंपनी मामलों का मंत्रालय ने अपने आदेश संख्या 24/1/2014-सीएल.III दिनांक 5.5.2014 के द्वारा दिनांक 1.4.2014 से भारतीय राज्य फार्म निगम का एकीकरण राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के साथ करने का आदेश जारी कर दिया है।
- 50 पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के समकक्ष पुन:श्रेणित/पुन:वर्गीकृत कर दिया है, जहां कहीं आवश्यक हो,

(मो. राकि़म) कंपनी सचिव (एम.एम.शर्मा) निदेशक (वित्त) (वी.के. गौड़) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नई दिल्ली - 110001 दिनांक: 31 जुलाई, 2014 हमारी सलंग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार के.सी. खन्ना एंड कंपनी के निमित्त सनदी लेखाकार एफआरएन-000481 एन

> हर्षा चंद्रा साझेदार

सदस्यता सं: 080489 दिनांक: 18.08.2014



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण 31-03-2014 को समाप्त वर्ष के लिए 21-03-2013 को समाप्त वर्ष के लिए ₹

परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह **(क)**

करों तथा पूर्वावधि समायोजन से पूर्व निवल लाभ		806,659,520		613,496,209
निम्नलिखित के लिए समायोजन:				
मूल्याह्मस	26,685,108		32,872,777	
बट्टे खाते डाले गए व्यापार प्राप्य एवं अंग्रिम	231,812,005		469	
अशोध्य एवं संदिग्ध व्यापार प्राप्य के लिए प्रावधान	17,748,994		14,082,201	
अग्रिम एवं दावों के लिए प्रावधान	1,867,180		54,854,303	
निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	10,637,998			
बोनस	767,384		6,100,195	
उपदान	-		7,891,986	
अवकाश प्रसुविधाएं	34,004,349		30,263,113	
पेंशन अंशदान	80,039,000			-
सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण के लिए प्रावधान	8,421,403		-	
निष्पादन संबंधी वेतन	40,400,000		-	
अनुग्रह राशि (वीआरएस)	25,795,710		-	
वित्त लागत	16,092,771		49,486,787	
अनुदान सहायता से खरीदी गई परिसंपत्तियों	(13,941,478)		(14,074,716)	
पर आय के रूप में पहचाना गया मूल्याह्यस				
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ (निवल)	(471,621)		(812,960)	
प्रावधान एवं देयताएं जिनकी अब आवश्यकता नहीं है	(77,244,287)		(9,064,426)	
ब्याज आय	(38,088,822)		(5,060,951)	
लाभांश आय	(5,093,950)	359,431,744	(6,028,239)	160,510,539
कार्यशील पूंजी के बदलाव से पूर्व परिचालन लाभ		1,166,091,264		774,006,748
निम्नलिखित के लिए समायोजनः				
स्टॉक	259,886,223		9,853,538	
व्यापार प्राप्य	(70,459,180)		(200,603,124)	
अन्य चालू परिसंपत्तियां	742,378,098		2,394,402	
ऋण एवं अग्रिम - अल्प एवं दीर्घ अवधि	194,084,387		(646,326,507)	
चालू देयताएं एवं प्रावधान – चालू एवं गैर चालू	(507,816,472)	618,073,056	255,631,097	(579,050,594)
परिचालनों से अर्जित नकदी		1,784,164,320		194,956,154
बोनस / पीएलआई का भुगतान	(6,106,272)	_	(9,981,206)	
अवकाश नकदी करण का भुगतान	(21,821,622)			(18,200,669)
पूर्वावधि समायोजन (निवल)	(8,916)			9,147,740
आयकर का भुगतान	(245,370,754)	(273,307,564)	(152,541,230)	(171,575,365)
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी (क)		1,510,856,756		23,380,789



31 मार्च, 2014 के	ो समाप्त हा। वर्ष क	ा नकती पवाह	विवरण
01 11141, 2017 41	1 /1:11:41 (2/2 -4 -4 -4)	1 17191 27110	1 -1 -1 / -1

	31-03-2014 को सम	ाप्त वर्ष के लिए	31-03-2013 को	समाप्त वर्ष के लिए
	₹	₹	₹	₹
ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
स्थायी परिसंपत्तियों के लिए प्राप्त पूंजीगत अनुदान	32,258,522		925,284	
प्रगतिशील पूंजीगत कार्य	(355,850)		23,026,696	
स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	(100,240,993)		(107,885,939)	
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री	932,045		1,701,152	
ब्याज आय	38,088,822		5,060,951	
लाभांश आय	5,093,950		6,028,239	
निवेश गतिविधियों से / (प्रयोग किया) निवल न	कदी (ख)	(24,223,504)		(71,143,617)
ग) वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
प्रत्याभूत ऋणों की उधार राशियां / (वापसी)	(260,542,528)		35,870,643	
लाभांशे पर लाभांश एवं कर	(47,928,540)		(23,964,270)	
वित्त लागत	(16,092,771)		(49,486,787)	
वित्तपोषण गतिविधियों से / में (उपयोग की गई)		(324,563,839)		(37,580,414)
नकदी एवं नकदीतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी)	(क+ख+ग)	1,162,069,413		(85,343,242)
नकदी एवं नकदीतुल्य प्रारंभिक शेष		139,387,751		224,730,993
नगदी एवं नकदीतुल्य अंतिम शेष		1,301,457,164		139,387,751
नगदी एवं नकदीतुल्य में समावेश:				
बैंकों के पास शेष		111,031,343		135,632,479
बैंक जमा जिनकी परिपक्वता 3 माह के भीतर है		1,185,001,100		399,689
हाथ में चैक, स्टैम्प		283,258		5,380
हाथ में नगदी		485,495		125,145
	22 2 2	1,296,801,196		136,162,693
जोड़े: नगदी एवं नकदीतुल्य के रूप में वसूली न ह	होने वाले बैंक जमा	4,655,968		3,225,058
कुल नगदी एवं नकदीतुल्य (संदर्भ टिप्पणी संख्य	॥ - 20) के अनुसार	1,301,457,164		<u> 139,387,751</u>

टिप्पणी

नई दिल्ली - 110001 दिनांक: 31 जुलाई, 2014

- नकदी प्रवाह विवरण को परोक्ष विधि के अंतर्गत तैयार किया गया है जैसे कि भारत के सनदी लेखाकारों का संस्थान द्वारा जारी 'नकदी प्रवाह विवरण' पर लेखा मानक - 3 में निर्धारित किया गया है।
- 2.
- कोष्ठक में आंकड़ें नकद खर्च का संकेत है। संलग्न टिप्पणियां 01 से 50 तक वित्तीय विवरणों का भाग है।

(मो. राकि़म)	(एम.एम.शर्मा)	(वी.के. गौड़)
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी सलंग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार के.सी. खन्ना एंड कंपनी के निर्मित्त सनदी लेखाकार एफआरएन-000481 एन

> हर्षा चंद्रा साझेदार

दिनांक: 18.08.2014

सदस्यता सं: 080489